RIN No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

वर्ष 23 अंक 02 05 अक्टूबर 2022

जगत विज़न

क्या छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में चल रहा है प्रदेश में ऑनलाईन सट्टा?

क्या मुख्यमंत्री के रिश्तेदार विनोद वर्मा और चंद्रभूषण वर्मा हैं महादेव मोबाईल ऐप के संरक्षक?

Scanned with CamScanner

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 23 अंक 02 05 अक्टूबर 2022

क्या छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में चल रहा है प्रदेश में ऑनलाईन सट्टा?

क्या मुख्यमंत्री के रिश्तेदार विनोद वर्मा और चंद्रभूषण वर्मा हैं **महादेव मोबाईल ऐप** के संरक्षक?

(पृष्ठ क्र.-6)

हसदेव जंगल पर चलने लगी आरी

अडानी की कठपुतली बने सीएम भूपेश बघेल

(पृष्ठ क्र.-18)

■ वायु प्रदूषण : जीवन और अर्थवव्स्था दोनों के लिए खतरनाक.......46
■ रेलवे के जन विरोधी फैसले 48
■ मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय का मंथन 52
■ अमीरों को छूट गरीबों की लूट 56
■ कविता-पाठ 61
■ The potential of Indian tyo industry 62

Scanned with CamScanner

हसदेव
विजया:)

संपादकीय

भारत जोड़ो यात्रा

अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का संकल्प

इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना देश को आज़ादी मिलने से बहुत पहले ही यानी ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। देश को आज़ादी मिलने के बाद सबसे यादा वक्त तक कांग्रेस ने ही राज किया है। पुरानी कहावत है कि सत्ता में रहने का स्वाद आपको सड़क की हकीकत से बहुत दूर ले जाता है और दरबार छिन जाने के बाद ही ये अहसास होता है कि जनता से आखिर कैसे जुड़ा जाये। केंद्र की सत्ता से हटने के आठ साल बाद कांग्रेस को पहली बार ये अहसास हुआ है कि सरकार की नीतियों की मुख़ालफत करने के लिये सड़क पर उतरने के सिवा कोई और चारा नहीं है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मकसद देश में प्रेम और भाईचारे को फैलाना है, इसलिए इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया है क्योंकि यह यात्रा एकता की शक्ति दिखाने, कदम से कदम मिलाने और सपनों का भारत बनाने के लिए है। हालांकि सियासी गलियारों में कांग्रेस की इस यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसके जरिये अपने सोए हुए काडर को जगाते हुए पार्टी में एक नई जान फूंकना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं। जगह-जगह उनके साथ समय बिता रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं। हाथ मिला रहे हैं। गले मिल रहे हैं। कहीं आश्वस्त कर रहे हैं तो कहीं हौसलाअफजाई भी कर रहे हैं और बीच-बीच में मौका निकालकर कट्टर राजनीतिक विरोधी बीजेपी पर प्रहार भी कर रहे हैं। रास्ते में जब भी मौका मिल रहा है, राहुल गांधी मीडिया से भी बात कर रहे हैं और हर किसी को अपने मन की बात भी बताते चल रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बात भी कह रहे हैं, कांग्रेस नेताओं को भी संदेश दे रहे हैं और कांग्रेस समर्थक जनता को भी। यात्रा में राहुल गांधी को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। यही कारण है कि यात्रा को लेकर बीजेपी चिंता में दिख रही है।

कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की 3,570 किलोमीटर लंबी ये यात्रा लगभग पांच महीनों में 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी और इसके जरिये कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिक नफ़रत फैलाने जैसे मुद्दों को उठाते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नई जान फूंकने का काम करेगी। हम ये नहीं जानते कि इस पूरी कवायद से कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनावों में कितना फायदा मिलेगा लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छी बात ये है कि विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी का इतना तो अहसास हुआ कि वह सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुआ। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उसका पहला फर्ज यही बनता है कि वो आम जनता से जुड़ी तकलीफों को जानने-समझने के लिए पहले उनके बीच जाये और फिर सरकार पर सवालों की बौछार करे। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध की आवाज होना तो बेहद जरूरी है, वरना जनता तो तानाशाही और लोकतंत्र के बीच का फर्क ही भूल जाएगी। इसलिये बरसों पहले समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिस दिन सड़क खामोश हो जायेगी, उस दिन संसद आवारा हो जायेगी। उनकी इस बात पर गहराई से गौर करें तो लगता है कि वे एक सांसद, नेता होने के अलावा काबिल दूरदृष्टा भी थे। बेशक पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं लेकिन उनकी सरकार के खिलाफ जनहित से जुड़ी समस्याओं के मुद्दे उठाना और उसके लिए जनता के बीच जाना, विपक्ष का भी हक है और सत्तारूढ़ पार्टी ये जुमला देकर उस जवाबदेही से बच नहीं सकती कि ये भारत जोड़ो नहीं, बल्कि परिवार बचाओ यात्रा है।

देश की राजनीति में कभी सबसे ताकतवर पार्टी रही और सबसे यादा सत्ता पर काबिज रह चुकी कांग्रेस पार्टी इस वक्त भारी अंतर्कलह और बिखराव से जूझ रही है। पार्टी न तो स्थायी अध्यक्ष पद पर किसी नाम पर फैसला ले पा रही है और न ही पार्टी के पुराने वफादार नेताओं को जाने से रोक पा रही है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद सिर्फ भाजपा को चुनौती देना नहीं खुद का अस्तित्व बचाना भी है। इस यात्रा से क्या कांग्रेस जोड़ो मकसद पूरा हो पाएगा? पार्टी के असंतुष्ट खेमे की नाराजगी दूर हो पाएगी? इसके अलावा विपक्षी दलों में खुद को साबित करने की चुनौती भी है।

विजया पाठक

Scanned with CamScanner

क्या छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में चल रहा है प्रदेश में ऑनलाईन सट्टा?

क्या मुख्यमंत्री के रिश्तेदार विनोद वर्मा और चंद्रभूषण वर्मा हैं **महादेव मोबाईल ऐप** के संरक्षक?

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ में महादेव मोबाईल ऐप के जरिए चल रहा सट्टा सुर्खियों में हैं। सट्टे के इस ऐप से प्रदेश की भूपेश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। क्योंकि बताया जा रहा है कि इस सट्टे को खिलाने में भूपेश सरकार का पूरा संरक्षण है और इस सट्टे का मास्टर माइंड भूपेश बघेल के रिश्तेदार और नान घोटाले के आरोपी विनोद वर्मा और उनके रिश्तेदार चन्द्रभूषण वर्मा हैं। सट्टे का यह कारोबार हजारों करोड़ का है। जिसमें कमाई की बड़ी हिस्सेदारी सीधे सीएम हाऊस तक पहुंचाई जा रही है। इतना ही नहीं इस पूरे गिरोह में पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी, कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें हर माह कमीशन पहुंच रहा है। यही कारण है कि तमाम विरोध और हल्ला मचने के बाद पुलिस प्रशासन छोटे-मोटे सटोरियों को पकड़ती आ रही है जबकि बड़े मगरमच्छों तक पुलिस पहुंचना ही नहीं चाहती है।

विजया पाठक

आजकल पूरे छत्तीसगढ़ में एक बैटिंग उर्फ सट्टे की ऐप चल रही है। प्रदेश के खासतौर पर युवा इस ऐप के प्रति काफी आकर्षित हैं और प्रदेश में बड़े स्तर पर लोगों को इस सट्टे की लत लगती जा रही। इस महादेव मोबाईल सट्टे ऐप का एकदम उदय भी बहुत आश्चर्यजनक है। यह मोबाइल ऐप दुबई में रजिस्टर्ड है और भारत में ऑनलाइन गेमिंग गतिविधि को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं है। इस लूप होल का लाभ उठाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विश्वासपात्रों ने पैसों के संग्रह का एक और क्षेत्र बनाया है जिसमें महादेव मोबाइल ऐप के माध्यम से आईपीएल सट्टा और जनरल सट्टा का आयोजन किया जा रहा है, जोकि छत्तीसगढ़ पुलिस के संरक्षण में दुबई से चलाया जा रहा है। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी भी समझनी होगी। अभी ताजा-ताजा पड़े ईडी और आयकर के छापों से अवैध कोयला

सट्टेबाज तिकड़ी!

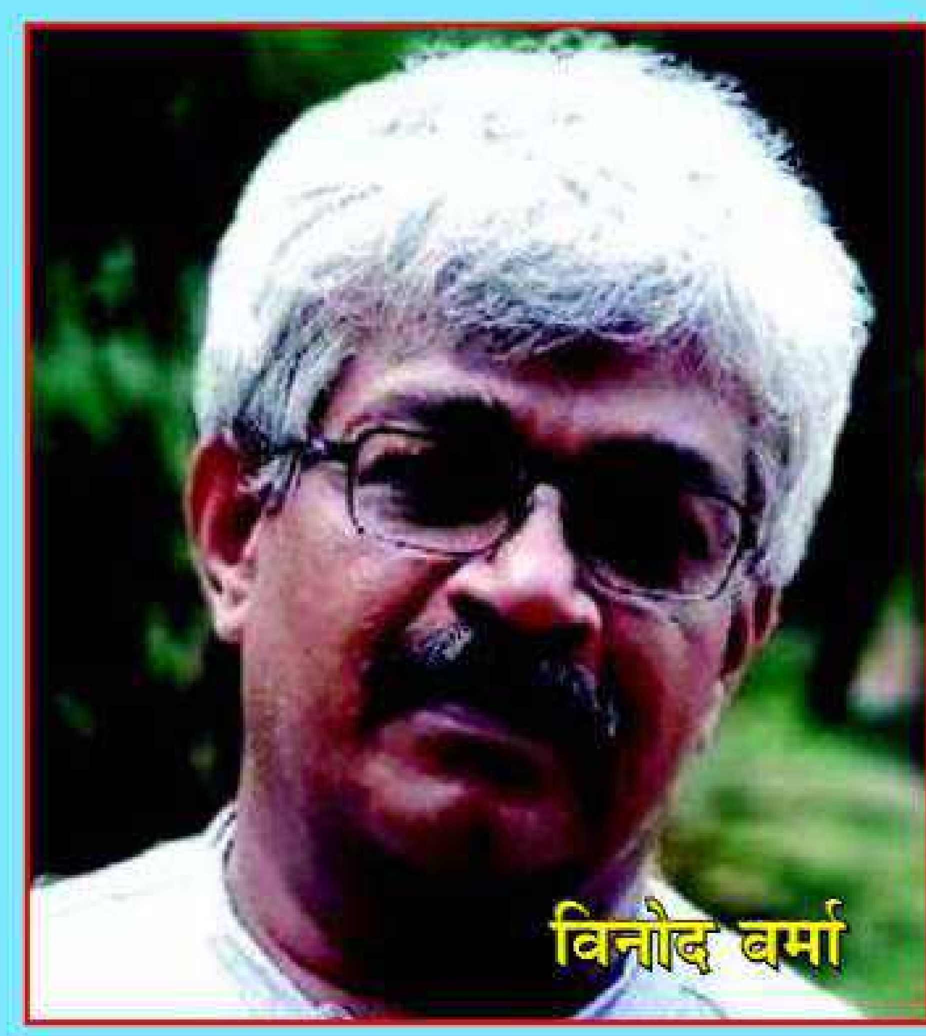

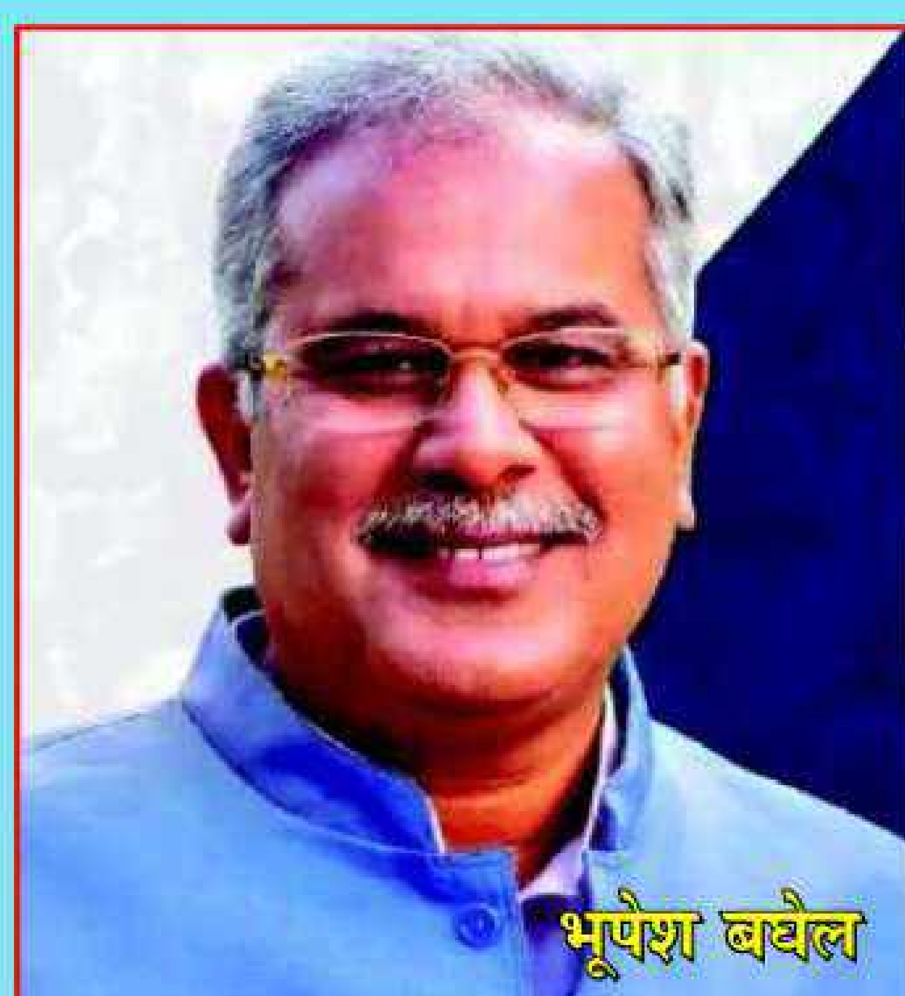

Scanned with CamScanner

विनोद वर्मा और चंद्रभूषण वर्मा हैं महादेव ऐप के मुख्य संरक्षक

एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, विनोद वर्मा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपस में रिश्तेदार है। महादेव ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल की विनोद वर्मा से मुलाकात एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने करवाई थी। दरअसल इससे पहले चंद्रभूषण वर्मा ने रायपुर में इसी ऐप पर कार्यवाही की थी उसके बाद ही इनकी आपस में नजदीकियां बढ़ गई। इसके बाद महादेव ऐप का विस्तार प्रदेश में कुकुरमुत्ते के समान फैल गया। विनोद वर्मा ने ही महादेव ऐप की लाइजिंग हाउस तक की एवं हाउस तक पैसे पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री के रिश्तेदार चंद्रभूषण वर्मा का था। वैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार चंद्रभूषण वर्मा का विलासितापुर्ण लाइफस्टाइल की चर्चा पूरे प्रदेश में थी वो भी वो एक एएसआई होते हुए। महंगा बंगला, और ऊंचे शौक के कारण निश्चित तौर पर यह एजेंसियो के रडार में जरूर आयेंगे। इस काम में पूर्व में आरक्षक विजय पांडे का भी उपयोग किया गया था पर उनके इनसे पैसों की हेराफेरी करने के शक में उनको इस चक्र से हटा दिया गया। इसी के बाद इस गोरखधंधे में पदमनाभपुर के सतीश चंद्राकर की एंट्री हुई। सतीश चंद्राकार पर पूर्व में भी 45 लाख की जालसाजी पर मुकदमा चल रहा है और शायद इसकी कारण वो इस महा जालसाजी के काम के लिए फिट बैठते थे। इस मामले में इनको बार बार वारंट जारी हो रहे थे पर सूत्रों के मुताबिक विनोद वर्मा के कारण उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी। इस वारंटी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ प्रशासन की मिलीभगत से दुबई भगा दिया गया और वही से वो पूरे ऑपरेशन को चलाता है। रायपुर और पूरे प्रदेश में महादेव ऐप का संरक्षण पुलिस ने हर स्तर पर किया विशेष तौर पर अभिषेक माहेश्वरी, तारकेश्वर पटेल, प्रशांत अग्रवाल, ओपी पाल ने पूरे गोरखधंधे को फ्री हैंड दे कर रखा। पूरे लेन देन और इन्वेस्टमेंट की जानकारी सतीश चंद्राकार के पास ही है। अब केंद्रीय एजेंसियां चाहे तो इनको कस्टडी में लेकर पूरे मामले का पर्दाफाश कर सकती है।

अपराधी प्रवृत्ति का है विनोद वर्मा!

यह विनोद वर्मा वहीं पत्रकार है जिन्होंने पहले एक मंत्री का फर्जी सीडीकांड को अंजाम दिया था। आज वह सीएम भूपेश बघेल का खास बना हुआ है। वर्तमान में विनोद वर्मा अनेक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार कर रहा है। अपने बेटे तक को जनसंपर्क में बिठा दिया है ताकि वहां भी भ्रष्टाचार कर सके। विनोद वर्मा के कारण सरकार की भी काफी किरकिरी हो रही है। यदि ऐसा ही रहा तो 2023 के चुनाव हारने का कारण विनोद वर्मा हो सकते हैं।

और शराब में कमाई बहुत कमी आ गई है। भूपेश की खास कोटरी उर्फ चांडाल चौकड़ी पूरी तरह केंद्र की सरकारी एजेंसियों के गिरफ्त में है। हालत यह है कि सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी शराब और कोयले से जुड़े लोगों को कभी भी ये ऐजेंसियां कस्टडी में ले सकते हैं। साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट से नान घोटाले में अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की जमानत कभी भी खारिज हो सकती है। छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च नेता की कमाई बहुत कम हो गई थी, इसी गैप को महादेव ऐप ने प्रदेश के आमजनों को सट्टे की आदत लगाकर अरबों की कमाई बघेल को करके देना चालू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अभी

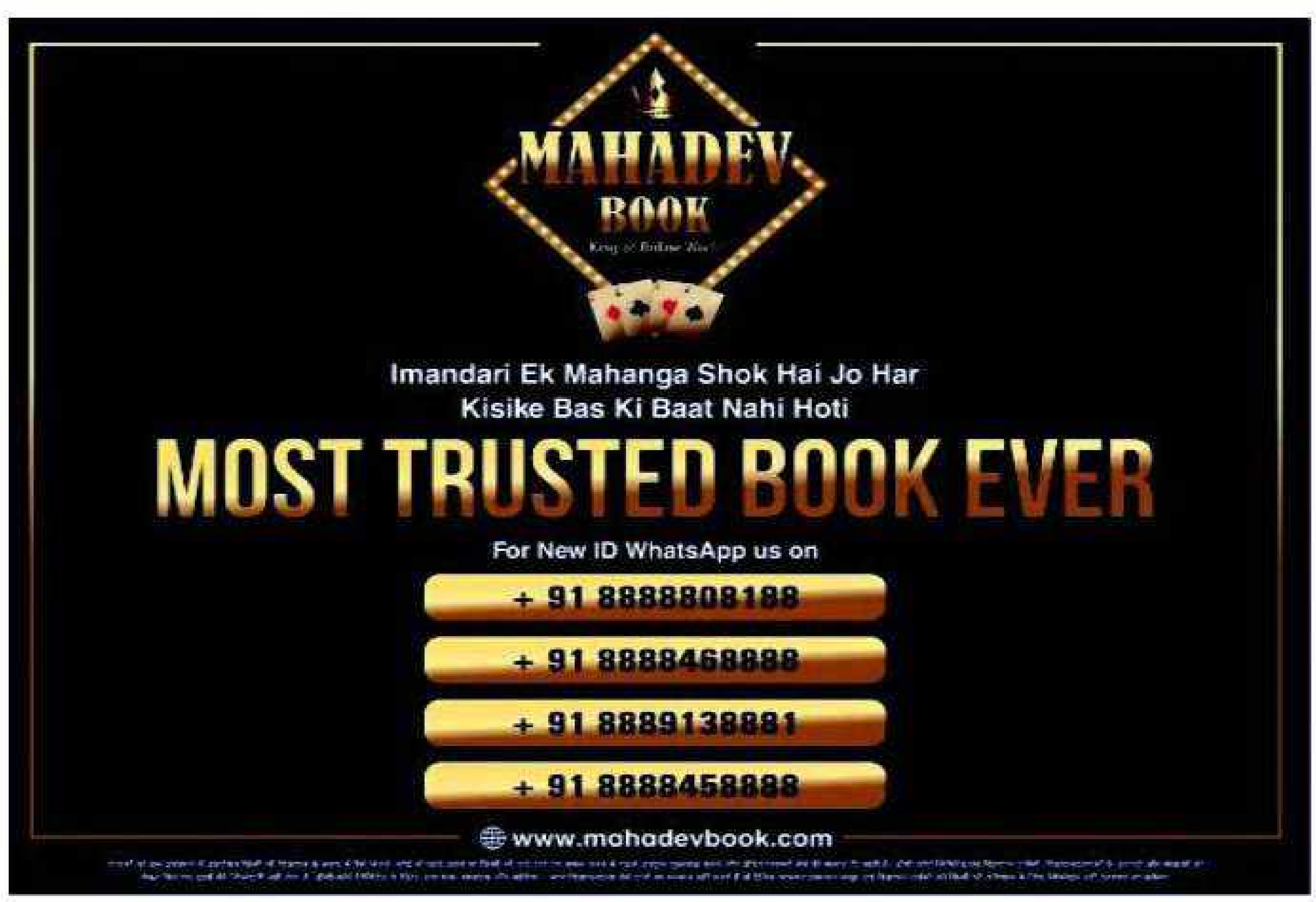

Scanned with CamScanner

तक करीब 100 करोड़ से ऊपर प्रदेश मुखिया के पास पहुंच गए हैं और उनका टारगेट चुनाव तक 2500 करोड़ का है।

चूंकि महादेव ऐप का रजिस्ट्रेशन दुबई में किया गया है। साथ-साथ भारत देश में ऑनलाईन गेम संबंधित कोई ठोस कानून ना होने के कारण इसका आपरेशन काफी सेफ हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की सरपरस्ती ने पूरे देश में इस ऐप के माध्यम

Scanned with CamScanner

महादेव ऑनलाईन सट्टा

गेमिंग एप से सट्टा किंग बनने की कहानी

महादेव एप की शुरूआत वर्ष 2016 में हुई थी। इस एप्लीकेशन को बनाने के पहले भिलाई के दो और रायगढ़ का युवक हैदराबाद गए। इन युवकों में सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल और रायगढ़ का अतुल अग्रवाल शामिल है। तीनों ने साउथ में मशहूर रेड्डी अन्ना के संचालक अन्ना रेड्डी से संपर्क किया। एप्लीकेशन, पैसों का लेनदेन और मार्केट में बिजनस के विकास-विस्तार करने की तरीका सीखा। इसके बाद अतुल सीधे दुबई चला गया। इंडिया में रहकर हैदराबाद की सायबर सिटी में सौरभ और रवि ने तीन लाख रूपये में अपना नया एप तैयार कराया। इसका नाम महादेव रखा गया। इस ऐप की मास्टर आईडी शुरूआती दौर में रेड्डी अन्ना एप्लीकेशन के साथ मिलकर एडवर्टाइज कराया। जिससे यूजर्स महादेव आई से जुड़ने लगे। बिजनस बढ़ाने के लिए दुर्ग और रायपुर के पांच सराफा कारोबारियों से संपर्क करके निवेश कराया गया। इनमें करीब 9-10 करोड़ रूपये का फंड जुटाकर सौरभ और रवि भी दुबई चले गए। दोनों के पहुंचने के पहले रायगढ़ के अतुल ने दुबई के दो शेख से संपर्क करके महादेव आईडी का पूरा प्लान डिसकस कर लिया था। लॉक डाउन लगने के बाद सौरभ और रवि भिलाई, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हैदराबाद, पुणे और मुंबई के कुछ लोगों को मास्टर आईडी बांटकर दुबई में शिफ्ट हो गए।

पाकिस्तानी और दुबई में पार्टनर्स

दुबई में शेख और पाकिस्तानी पार्टनर्स के बिजनस में पार्टनरशिप होने के बाद महादेव एप को स्ट्रांग बनाने के लिए साफ्टवेयर उपडेट किया गया। साफ्टवेयर की मॉनीटरिंग के लिए 1 दर्जन अमेरिका के से आईपीएल, क्रिकेट और सभी प्रकार का सट्टा खिलवाया जाता रहा है। जिसका संचालन दुबई से और छत्तीसगढ़ सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है। सूत्रों के अनुसार भिलाई पदमनाभपुर के चंद्राकर, भिलाई के ही सौरभ, उत्पल, कांस्टेबल विजय, मथुरा से क्रिमिनल दुबे इसके अलावा भूपेश बघेल के रिश्तेदार एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, विनोद वर्मा (रिश्तेदार-

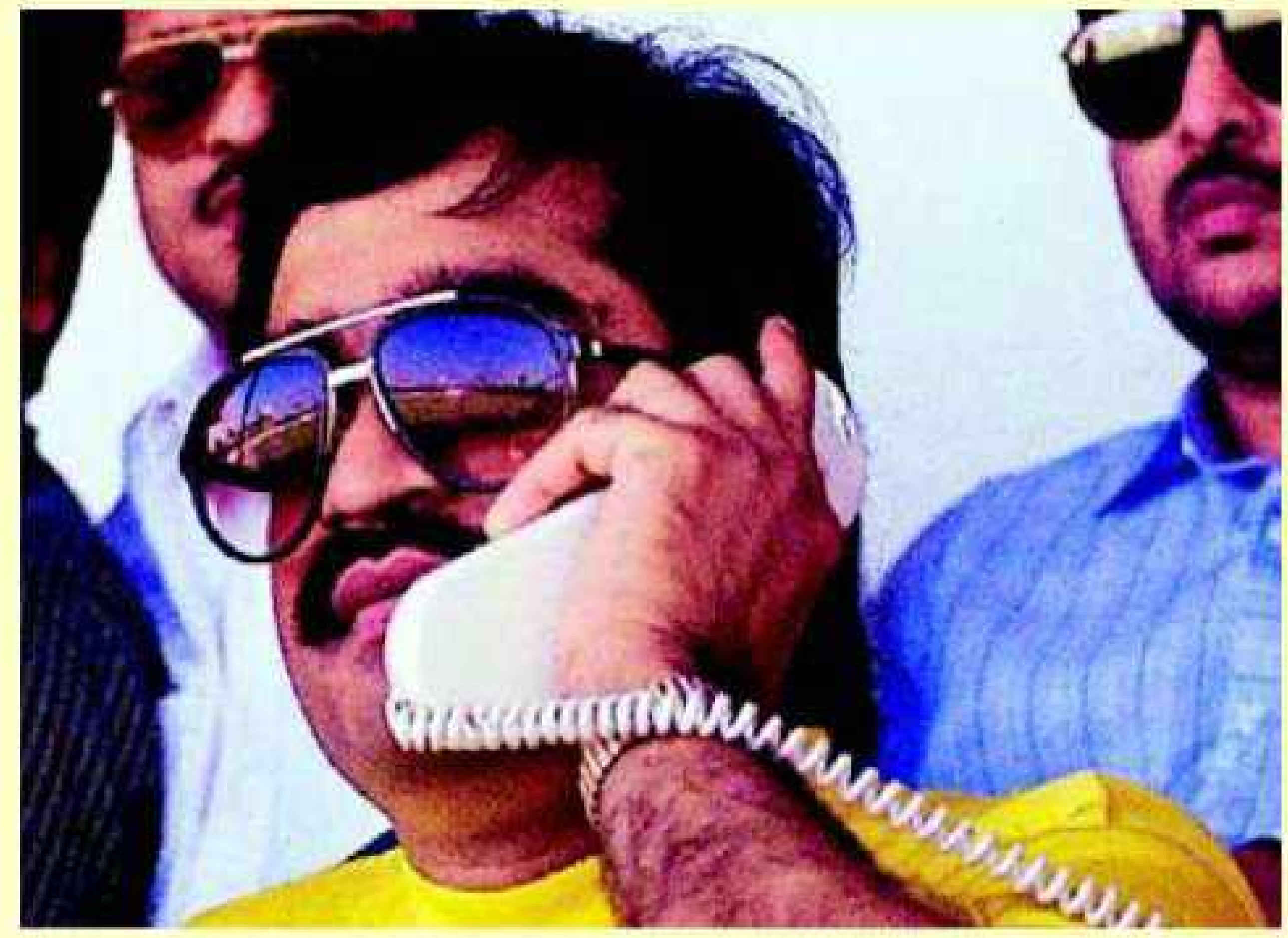

डी कंपनी (दाऊद इब्राहिम) को करीब सौ करोड़ रूपये हर महीने बतौर प्रोटेक्शन मनी दी जा रही है

हैकर्स को हायर किया गया। वीपीएन नेटवर्क के जरिए हैकर्स पूरे साफ्टवेयर की मॉनिटरिंग करने लगे। करीब ढाई साल में महादेव के यूजर्स की संख्या करीब 12 लाख तक पहुंच गई। इसके बाद बिजनस को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 में सौरभ, रवि और हिडन पार्टनर अतुल ने रेड्डी अन्ना को भी 1 हजार करोड़ में रखीद लिया। इससे महादेव और रेड्डी अन्ना के 40 लाख यूजर्स से टर्नओवर एक महीने का ढाई से तीन सौ करोड़ तक पहुंच गया।

रेड्डी अन्ना, सौरभ और रवि हो गए शिफ्ट

वर्ष 2022 में सौरभ ने अपने पिता को सबसे पहले नगर निगम से वॉलेंटियर रिटायरमेंट दिलवाया। इसके बाद अपने माता पिता को हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया। इधर, रवि ने अपनी पत्नी और बच्चों के लंदन में शिफ्ट कर दिया। जबकि रेड्डी अन्ना ऐप का मालिक लिबिया में शिफ्ट हो गया। रायगढ़ का अतुल अब भी अकेला ही दुबई में रहता है। सौरभ के चाचा और कुछ रिश्तेदार भिलाई में रहते है। उसकी प्रेमिका है, जिससे शादी करने वाला था। लेकिन करीब तीन महीने पहले लगातार सौरभ की खबरें प्रकाशित होने के बाद उसने भी शादी करने से मना कर दिया। वहीं रवि का एक भाई नेहरू नगर में रहता है। एक भाई निगम में ठेकेदारी का काम करता है। महादेव ऐप के पहले सौरभ और रवि नेहरू नगर में जूस फैक्टरी नाम से दुकान संचालित करते थे।

वर्किंग पैटर्न ऑफ महादेव एप्लीकेशन

महादेव एप्लीकेश ऑनलाईन गेमिंग ऐप मल्टीलेबल मार्केटिंग

सलाहकार भूपेश बघेल) के साथ-साथ पूरा भिलाई एवं दुर्ग का पुलिस प्रशासन, प्रदेश का इंटेलिजेंस एवं भिलाई के पांडेय मिलकर पूरे सिंडिकेट को चला रहे हैं। आम जनता के सामने महादेव ऐप पर समय-समय पर छोटे मोटे सटोरियों पर कार्यवाही होती है ताकि इसके बड़े मगरमच्छ बचे रहे। सूत्रों के हवाले से अब तक 100 करोड़ पैसा अब तक मुखिया

महादेव मोबाइल ऐप के जरिए खिलाए जा रहे सट्टे के सट्टेबाजों को पकड़े जाने को लेकर रायपुर में पुलिस अफसरों द्वारा प्रेस कोन्फ्रेंस की गई। साथ ही पूरे सट्टे के विषय में जानकारी दी गई।

की तर्ज पर काम करता है। यह एप्लीकेशन बेवपेज में काम करता है। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म वाटसएप, इंस्टाग्राम मैसेजिंग बॉक्स और टेलीग्राम का उपयोग किया जा रहा है। एडवर्टाइज नंबर के जरिए महादेव एप के कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके बाद महादेव और रेड्डी अन्ना एप के अलग-अलग बेवपेज की डिटेल मिलती है। बेवपेज पर लॉगइन के लिए आईडी प्रोवाईड कराई जाती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से लॉग इन पासवर्ड उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद बेवपेज पर मौजूद क्रिकेट, लूडो, तास पत्ती, हार्श राइडिंग, काउंटी मैच जैसे अनेक गेम में हार जीत का दाव लगाया जा सकता है।

ऐसे समझे एप्लीकेशन के काम करने का पूरा सिस्टम

महादेव एप मास्टर आईडी पर एक्टिव रहता है.. मास्टर आई : इसका मतलब है कि सबसे पहले एक आईडी क्रिएट किया जाता है, इसके बाद इसी मास्टर आईडी को टुकड़ों में बांटा जाता है। एक टुकड़ों के लिए अलग लॉगइन पासवर्ड उपलब्ध कराया जाता है। इन टुकड़ों को टेक्निकली यूजर आईडी कहा जाता है। इसी यूजर आईडी पर होने वाले एक एक ट्रांजेक्शन मास्टर आई से जुड़े बैंक खातों से होता है। सोमवार को मास्टर आईडी और यूजर आईडी का पूरा

तक पहुंच चुका है और अगले चुनाव तक 2500 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट मिला है। इससे संबंधित व्यक्तियों ने दुबई और मुंबई में जमीन जायजात अर्जित कर चुके है। सूत्रों के अनुसार दिनांक 13-09-2022 और 18-09-2022 को दो एयर एंबुलेंस से छत्तीसगढ़ की जनता से महादेव ऐप के माध्यम से लूटा गया पैसा ठिकाने लगवाया गया। अब देखना बाकी है कि कमाई के इस

Scanned with CamScanner

patrika.com

पत्रिका

T20 विश्व कप 2022 ओपिनियन शिक्षा जॉब्स ऑटोमोबा

महादेव ऐप: सौ से ज्यादा युवा जुड़े हैं ऐप से, दुबई की पार्टी के सटोरियों की बनी लिस्ट

राजधानी में महादेव बुक और रेड्डी अन्ना एप के जरिए चल रही ऑनलाइन सट्टेबाजी के रैकेट से बड़ा खुलासा हुआ है। दुबई के फाइव स्टार होटल में 18 सितंबर को ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा गया था। इसमें राज्य के नेता, कारोबारी, बिल्डर समेत 80 से ज्यादा लोग शामिल होने की चर्चा है। सात समंदर पार दुबई से महादेव ऐप के जरिए आनलाइन सट्टा खेलाने वाले गैंग के मुख्य सरगनाओं को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। सिर्फ गुर्गों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही है।

हिसाब किताब होता है।

मोबाईल नंबर, अकाउंट नंबर और वेबपेज के जरिऐ होती है गेमिंग : गेमिंग एप मोबाईल नंबर, बैंक खाते, ऑनलाईन वॉलेट और बेवपेज के जरिए किया जाता है। शुरूआती दौर में एप्लीकेशन के लिए फर्जी मोबाईल नंबर, कमीशन पर बैंक एकाउंट का उपयोग किया गया । इसके लिए देश भर के 20 हजार से ज्यादा बैंक खातों और करीब 1 हजार मोबाईल नंबरों का उपयोग किया गया। ट्रांजेक्शन के लिए सेविंग, करंट और कॉरपोरेट अकाउंट का उपयोग किया गया। करीब 6 महीने पहले 5 हजार रूपये का कमीशन देकर मोबाईल नंबरों पर ऑनलाई वॉलेट एक्टिव कराया गया।

ट्रांजेक्शन पैटर्न विथड्राल एंड डिपाजिट पैनल

ऐसे समझते है विथड्राल एंड डिपाजिट पैलन : शुरूआती दौर में मास्टर आईडी से कनेक्टर बैंक खाते और वॉलेट के जरिए ही पूरा लेनदेन किया जाता है। एजेंट और यूजर्स को पैसा देने के लिए अलग सिस्टम है। यूजर्स को डेबी बेसिस पर जीत का पैसा उनके बैंक अकाउंट या वॉलेट में उपलब्ध कराया जाता है। जबकि मास्टर आईडी ऑपरेट करने वालों को सोमवार को कमीशन दिया जाता है। कमीशन की राशि 15 से 20 प्रतिशत तक होती है। लेटेस्ट आईपीएल सीजन के पहले मास्टर आईडी होल्डर्स को सिर्फ कमीशन दिया जाता है। लेकिन सीजन शुरू होने के लिए मास्टर आईडी 10 से 20 लाख रूपये में दिया गया। अब दोबारा इस पैटर्न को बदलकर कमीशन सिस्टम पर कर दिया गया।

विथड्रॉल और डिपाजिट पैटर्न : आईपीएल सीजन शुरू होने के पहले महादेव आईडी आपरेटर ने फाईनेंसियल ट्राजेक्शन के लिए

नए स्वरूप पर केंद्रीय एजेंसियों का क्या रुख रहता है। इस ऐप में शामिल लोगों ने मुंबई और दुबई में बड़ी संपत्ति बनाई हैं। अगर ठीक से जांच की जाए तो यह छत्तीसगढ़ से संचालित किए जा रहे सबसे बड़े संगठित धन शोधन रैकेट से कई लोगों का खुलासा होगा। विनोद वर्मा और एएसआई चंद्रभूषण वर्मा सीएम हाउस की ओर से काम करने वाले मुख्य मास्टर

Scanned with CamScanner

विथड्रॉल और डिपॉजिट पैनल शुरू किया था। इसके तहत गेमिंग के लिए पूरा अलग पैनल कर दिया गया। लेनदेन के लिए अलग-अलग पैनल बना दिया गया। अब यूजर्स की डिपॉजिट और विथड्रॉल की हिसाब किताब अलग अलग कर दिया गया। विथड्रॉल पैनल के जरिए न सिर्फ यूजर्स को पैसा ट्रांसफर किया जाता है। बल्कि एजेंट को कमीशन देने के साथ ऑनलाईन गेमिंग एप की 80 प्रतिशत कमाई कार्पोरेट अकाउंट के जरिए कैश में कनवर्ट करके निकाल लिया जाता है। इसी तरह डिपाजिट पैनल में यूजर्स का पैसा जमा कराया जाता है।

कार्पोरेट अकाउंट से पैसा हवाला के जरिए विदेश भेजा जा रहा

सटोरियों ने देश भर में करीब 1 हजार कार्पोरेट अकाउंट खोले थे। इन अकाउंटस में हिडन तौर पर फर्जी ट्रेडिंग के नाम पैसों को जमा कराया जाता है। इसक बाद 10 से 12 प्रतिशत पैसा काटने के बाद महानगरों से पैसा हवाला के जरिए दुबई तक पहुंचाया जाता है। कई कार्पोरेट अकाउंट बंद पड़ी फैक्टरियों के मालिकों से संपर्क करके खोले गए थे। बाद में बिजनस बढ़ते ही कमीशन पर दूसरे बड़े शहरों में भी खोले गए। यही नहीं फाईनेंसियल सिस्टम को अरेंज करने लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया था। सेविंग अकाउंट में 1-3 लाख तक का ही ट्रांजेक्शन किया जाता था। जबकि करंट अकाउंट में 15 से 20 लाख तक का ट्रांजेक्शन। इसी तरह कार्पोरेट अकाउंट को मैनेज करने के लिए महीने में 80 लाख से 1 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन किया जाता है।

फाईनेंसियल सिस्टम को अब कर दिया गया अपडेट

लगातार बैंक अकाउंट को होल्ड कराने की कार्यवाही के बाद महादेव एप की फाईनेंसियल सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है। अब ट्रांजेक्शन के लिए सरकार के साथ मिलकर प्राईवेट वॉलेट तैयार कर लिया गया है। इससे कार्पोरेट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का उपयोग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यूजर, एजेंट से लेनदेन सीधे प्रायवेट वॉलेट के जरिए किया जाएगा। लेनदेन को सिक्योर करने के लिए क्यूआर कोड और फिसिंग लिंक का भी जल्दी उपयोग होगा।

पूरे नेटवर्क को ऐसे समझा जा सकता है

सौरभ चंद्रकार : लाइजनिंग और फाइनेंसियल सिस्टम को

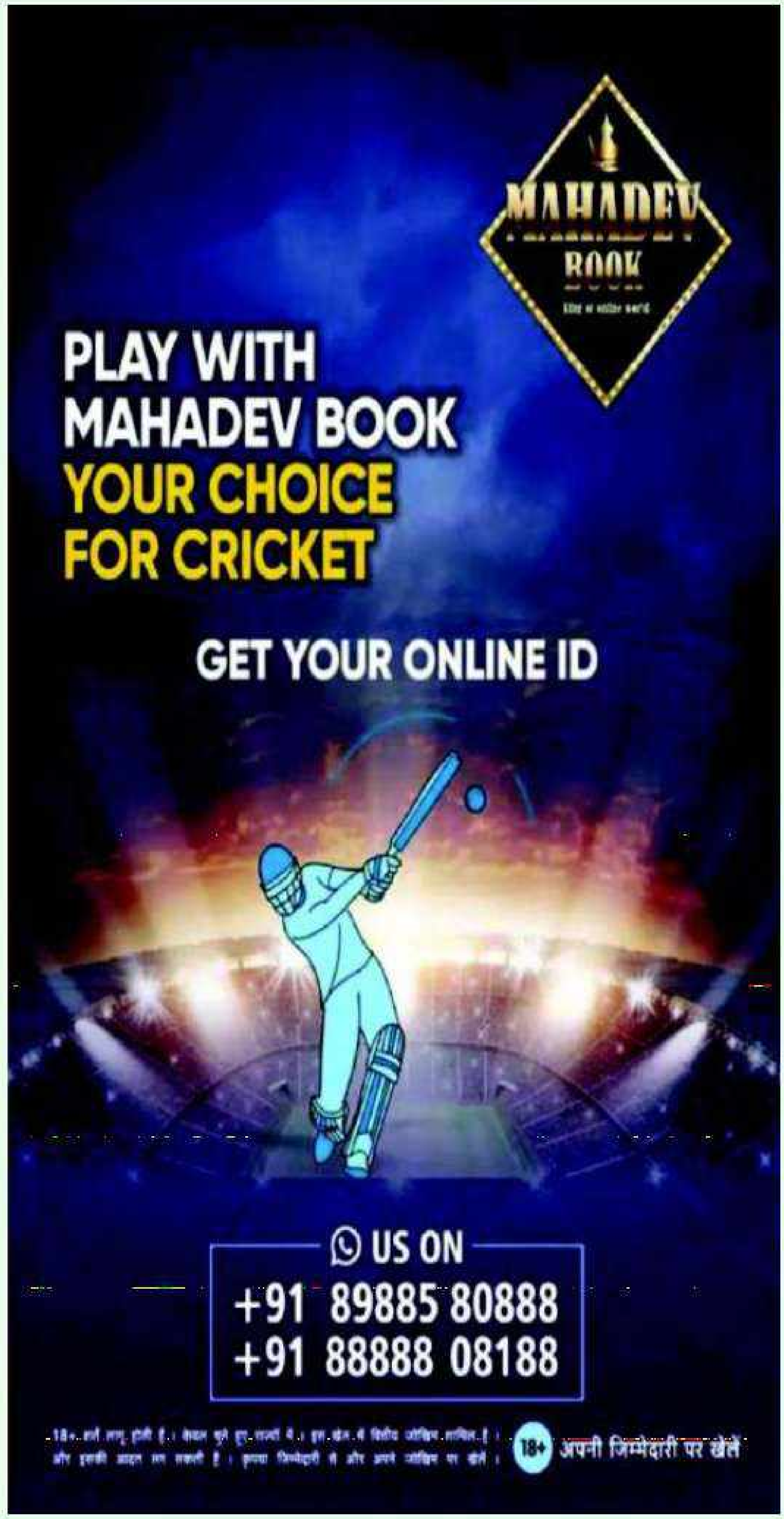

माइंड हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं और पुलिस द्वारा अपराधियों पर कार्यवाही के नाम पर महज खानापूर्ति करने के आरोप भी निरंतर लगते आ रहे हैं। परंतु इन सबके बाद भी पुलिस प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब सवाल यह उठता है कि इसी तरह यदि अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे तो आमजन की सुरक्षा पर कई सवाल

Scanned with CamScanner

संभालता है।

रवि उत्पल : साफ्टवेयर सिस्टम और आईडी ऑपरेशन को संभालता है।

हिडन पार्टनर : अतुल अग्रवाल बिजनस पार्टनर और विदेशी डेलीगेट्स को संभालता है।

इसके साथ बैंक खाते खुलवाना, ट्रेनिंग देना, वॉलेट का जुगाड़ करने के लिए राजगुप्ता जैसे कई खास लोग लगे हुए है।

सतीश चन्द्रकार : ब्यूरोकेट्स को मैनेज करता है। सतीश चन्द्राकर के आईजी ओ.पी. पाल से संबंध रहे हैं एवं इनको वहां पर फ्री हेंड दिया गया है। इसके साथ ही भिलाई के विधायक और दोनों पार्षदों को चुनाव में 30 से 40 लाख रूपए चुनाव प्रचार के लिए भी दिए गए थे। रायपुर के दो विधायकों का पैसे को दुबई में निवेश कराने की जिम्मेदारी भी सतीश के पास है।

दुर्ग में राज गुप्ता के जरिए ओपीपाल से मुलाकात

दुर्ग में जनवरी-फरवरी 2020 को पुलिस ने टीप के जरिए अंजोरा स्थित एक सीजी ढाबे में दबिश देकर राज गुप्ता समेत 7-8

इन्वेस्टमेंट करने वालों में तीन विदेशी, ऑनलाइन सट्टा एप महादेव बुक में देशभर के 35 लाख से ज्यादा यूजर्स

भिलाई के दो युवक, दो पाकिस्तानी पार्टनर, अन्ना रेड्डी एप से ट्रेनिंग हजारों बुकी से कांट्रैक्ट कर 5 से ज्यादा राज्यों में बने सट्टे के किंग

ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा सब्जी व्यापारी हुआ नागपुर से गिरफ्तार, 15 बैंक खाते भी जब्त

पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन हंटर • महादेव एप से चल रहा सट्टा

ऑनलाइन सट्टा : दुबई से लौटे सौरभ सहित 8 को पुलिस ने किया गिरफ्तार

24 बैंक खातों पर नजर, डिटेल खंगाल रहे

सट्टेबाजी • महादेव बुक एप पर ऑनलाइन सट्टे का पूरा बिजनेस

हफ्ते में 100 करोड़ का सट्टा 20 हजार अकाउंट से लेन-देन

ऑपरेशन हंटर • पुष्पक नगर और वनांचल सिटी में पकड़े गए आरोपियों से हुआ खुलासा

ऑनलाइन सट्टे की जांच में मास्टर माइंड निकला सौरभ चंद्राकर, एफआईआर में सात नए नाम जुड़े

ऐसे हुआ था इस पूरे मामले का भंडाफोड़

मोहन नगर थाना अंतर्गत पुष्पक नगर में सबसे पहले पकड़ा गया था आरोपी आलोक सिंह

जामुल पुलिस की जांच में भी सौरभ का नाम आया

खड़े हो जाएंगे।

महादेव ऐप का हो चुका है बड़ा विस्तार, छत्तीसगढ़ सरकार की सरपरस्ती में बन गए देश के सट्टा किंग

महादेव ऐप का विस्तार भी इसके चलाने वाले चुके है। जहां छत्तीसगढ़ पुलिस कागज़ी कार्यवाही कर रही है वही इसके विज्ञापन देश के अग्रणी समाचार पत्र में छप

Scanned with CamScanner

युवकों को पकड़ा था। यहां राज गुप्ता महादेव एप की ट्रेनिंग दे रहा था। ट्रेनिंग के दौरान शहर के एक गुंडे मथुरा भी पहुंच गया था। मथुरा को एक करोड़ रूपए और एक आईडी दी गई। इसके बाद मथुरा छत्तीसगढ़ में महादेव के संचालकों के लिए उगाही का काम करने लगा। इस काम में छह महीने पहले बीजेपी का एक नेता लोकेश भी शामिल हो गया था। राज गुप्ता का स्थानीय पुलिस ने मोबाइल जब्त किया था। जिसे ओपी पाल के कहने पर लौटाया गया था। इसके बाद राज गुप्ता ने एक स्थानीय पत्रकार को लाखों रूपए दिए थे।

दुर्ग के 9 से 10 पुलिस जवान भी ऑनलाईन सट्टे के खेल में शामिल

दुर्ग पुलिस में नौकरी करने वाले जवान अर्जुन, भीम, सहदेव, विनोद यादव, अंकित सिंह, लीलीधर वर्मा, बंटी बघेल, ब्रजमोहन सिंह, मुर्ली सोनी, इशांत प्रधान, अजय सिंह, बालेन्द्र द्विवेदी, अनूप, समीम और राजेन्द्र यादव। जांच के बाद सभी को लाइन अटैच किया गया था। इस पूरे खेल में एक टीआई ने दिल्ली जाकर सौरभ और राहुल से मुलाकात की और मोटा पैसा लेकर पूरे मामले को दबा दिया था। दुर्ग में मोहन, जामुल, भिलाई नगर, छावनी और सुपेला में केस दर्ज किया गया था।

ये है लोकल नेटवर्क से जुड़े लोगों की सूची

आलोक सिंह और उसके दो साथी खडग सिंह और रामप्रवेश साहू, पिंटू खुर्सीपार, अभिषेक कैंप, सौरभ और रवि, राज गुप्ता, रवि, सतनाम, सन्नी, जितेन्द्र उर्फ काली, रिखी पारेख और सौरभ गौर, खुर्सीपार निवासी सागर, रायपुर के निखिल, मैनाक, गोविंद, जावेद, भानु कुशवाह, अनुराग मिश्रा, श्रवण सिंह, लोकेश सुबड़े, निकेत त्रिपाठी, मोह हाबिस, नीरज कुमार संकल्प सिंह, राहुल उर्फ अमन खान, जयशंकर प्रसाद निवासी संतोषी पारा, विकाश उर्फ बाबू सिंह निवासी घासीदास नगर, सन्नी चौधरी निवासी राजीव नगर, एन सुनील निवासी कैलाश नगर और अनिल उर्फ झुमरू सिंह निवासी रूआ बांधा, वैशाली नगर निवासी सागर, हर्षित, विशाल, स्मृति नगर निवासी अभिषेक, दीपक नेपाली, जेल में हत्या की सजा काट रहे बदमाश का दामाद, डीके उर्फ धर्मेन्द्र, जगदीश, बॉबी, बलजीत, दुर्ग का बच्चा नाम से मशहूर युवक,

मनोज उर्फ मलिक, अजय, राजा, गोपाल, राहुल और धर्मेन्द्र उर्फ गोरे, कैलाश नगर का सुनील। रायपुर का अजय जैन उर्फ अज्जू।

आईपीएल समाप्त होने के बाद दुबई से लौट आए

दुर्ग समेत बाकी से आईपीएल सीजन में काम करने गए करीब ढाई सौ युवक अब दुबई से लौट आए हैं। दुबई में अब सिर्फ सौरभ और रवि की कोर टीम में शामिल करीब 70 लोग रह रहे हैं। दुबई की बाकी विला में बाकी राज्यों के युवक 25 से 30 हजार रूपए महीने की सैलेरी में काम कर रहे हैं। अब स्थानीय स्तर पर नेटवर्क से जुड़े लोगों को सिर्फ एक से दो आईडी दे दी गई हैं। इसी आईडी के जरिये पैसों का लेनदेन हो रहा है। आईपीएल सीजन के दौरान एक-एक आईडी 5 से 15 लाख रूपए तक में बेचा गया है।

रहे हैं। इससे साबित होता है की परदे के पीछे विनोद वर्मा व अन्य के संरक्षण में सब चल रहा है। आज के दिन महादेव ऐप ने अपना विस्तार बहुत ही व्यापक कर लिया है जिसमें https://lasersbook247 .com/home, https://mahadevbook.com/, https://www.betbhai.com/home, https://sixcricstar.com/,https://tigerexch. Om, https://www.betbook247.com/m/ यह

Scanned with CamScanner

रिश्तेदारी से शुरू हुआ कार्पोरेट, ब्यूरोक्रेटस, पुलिस अधिकारियों का इनवॉलमेंट

वर्ष 2021 में विनोद वर्मा के बेटे ने रवि उत्पल की पारिवारिक भतीजी से लव मैरिज की। इसके बाद विनोद वर्मा ने स्टेट को मैनेज करने का जिम्मा उठाया। विनोद वर्मा और चन्द्रभूषण वर्मा की सौरभ और रवि से मीटिंग के बाद ही महादेव ऐप आज के सट्टाकिंग के रूप में उभर पाया है। इसके बाद सीबी और और सौरभ का रिश्तेदार सतीश चन्द्रकार को हाउस तक पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। दोनों सट्टा किंग से पैसा लेकर हाउस को मैनेज करते हैं। इस पूरे खेल में रायपुर के सीएसपी अभिषेक महेश्वरी, एसपी अग्रवाल, एएसपी तारकेश्वर, रायपुर के टीआई गिरीश एवं गौरव, भिलाई के टीआई वीरेन्द्र श्रीवास्तव, एएसपी दुर्ग, दुर्ग के आरक्षक भीम, सहदेव, नकुल, अंकित, विनोद एवं छत्तीसगढ़ पुलिस की महादेव ऐप संचालकों पर विशेष कृपा रही। समय-समय पर छोटे-मोटे ऐप से संबंधित छोटी मछलियों को इन पुलिस द्वारा पकड़ा जाता रहा है पर इस सट्टे के बड़े मगरमच्छों को अभी तक छुआ तक नही है और इस सट्टे का प्रचार-प्रसार रोकने के लिए पुलिस द्वारा कुछ नहीं किया गया है।

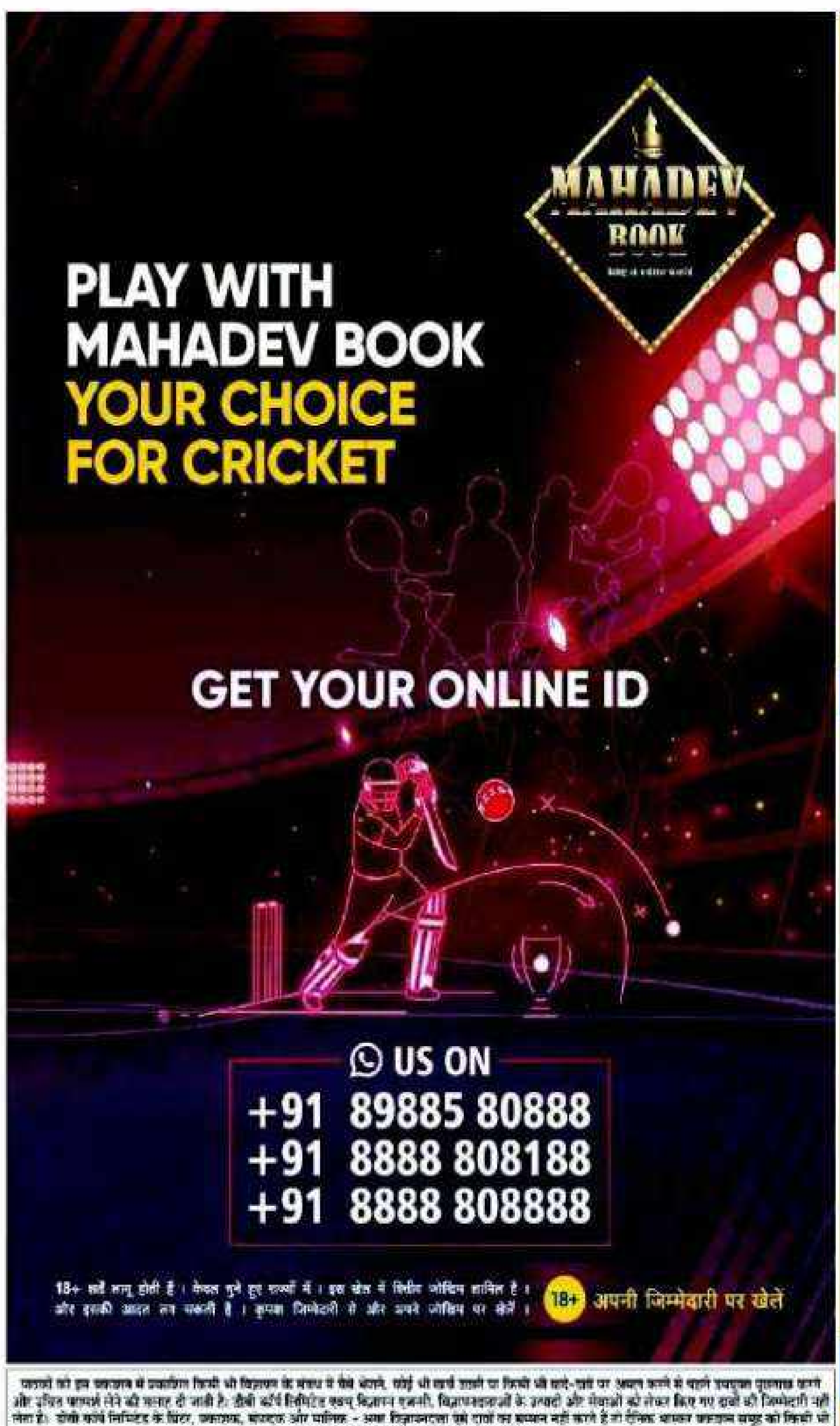

भिलाई में दो सटोरिया से कांग्रेस नेता का बेटा और उसका पैनल पकड़ाया

भिलाई में दो सटोरिए सौरभ और कृष्णा जायसवाल के पकड़े जाने के बाद कांग्रेस नेता के बेटे के पैनल का पता चला। इसके बाद कांग्रेस नेता का पैनल जगदलपुर से पकड़ा गया। आईडी और पैनल संचालित करने वालों में गुरलीन सिंह एनएसयूआई हुडको, फतह सिंह एनएसयूआई सेक्टर 2, रौनक भाटिया नेहरू नगर एनएसयूआई, आदित्य सिंह पार्षद, अभिषेक मिश्रा पार्षद, विभोर जिला अध्यक्ष, इमाम खान सेक्टर 7 सरकार टंडन सेक्टर 7, टाईगर उर्फ नवनीत सिंह सेक्टर 4, नॉटी गर्ल शॉप रिसाली, सनीर साहू पार्षद रिसाली, गोलू श्रीवास्तव खुर्सीपार, गोपाल केआर खुर्सीपार, अमन सिंह उर्फ गोल्डी कैम्प, प्रिंस वैशाली नगर, शंकर केडिया खुर्सीपार, सन्नी हंस कैम्प, संतोष मथुरा कैम्प, दीपक नेपाली केम्प नाम से सामने आए हैं।

तो कुछ प्रमुख विस्तार महादेव ऐप के हैं जिसकी जानकारी जगत विजन पत्रिका को है, इसके अलावा भी महादेव ऐप के विस्तार के कितनी ऑनलाइन सट्टे की वेबसाइट चल रही होगी उसका अनुमान लगाना ही मुश्किल है। इससे जुड़े एक सूत्र के मुताबिक आने वाले क्रिकेट विश्वकप में महादेव ऐप का 5000 करोड़ के सट्टे का लक्ष्य है। अब अपने फायदे के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सरपरस्ती में पनपते इस महादेव ऐप से प्रदेश और देश के कितने परिवार बर्बाद होंगे पर इस बात से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे धन पशुओं को फर्क नहीं पड़ता है।

हसदेव जंगल पर चलने लगी आरी

अडानी की कठपुतली बने सीएम भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले सरगुजा के हसदेव अरण्य इलाके के आधा सैकड़ा से ज्यादा गांवों को भरोसा दिलाया था कि उनके जीवनरक्षक जल, जंगल और जमीन से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। 2018 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव की मौजूदगी में ग्रामीणों से वादा किया था कि किसी भी सूरत में यह इलाका अडानी को नहीं सौंपा जाऐगा। कांग्रेस सत्ता में आयी तो पैसा कानून समेत जल-जंगल और जमीन की रक्षा की जायेगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद ठीक हुआ उलट। सीएम बनते ही भूपेश के यहां के आदिवासियों से मुंह-मोड़ लिया। जनसभाओं में अडानी का नाम लेकर बीजेपी को कोसने वाले भूपेश बघेल ने सीएम बनने के बाद अडानी के हितो को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे कारनामे कर डाले जिसे देखकर आदिवासी हैरत में हैं। उन्हें उम्मीद नही थी कि सत्ता में आने वाले ही एक दिन अडानी के दलाल बन जायेंगे। राज्य में तमाम कानून कायदों को दरकिनार करते हुए छतीसगढ़ सरकार ने वो घोटाला कर डाला जो भविष्य में सिर्फ छतीसगढ़ ही नही देश के ईको सिस्टम को प्रभावित करेगा। आदिवासियों ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री बघेल और उनके अधिकारी नेता उन्हें धोखा देंगे। अडानी को मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने के बाद पहले तो हसदेव अरण्य योजना को लागू करने के लिए तमाम दावे आपत्तियां और कानूनी प्रावधानों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया फिर इस इलाके में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करवाई। जब हसदेव अरण्य परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने वादाखिलाफी की तो इलाके के आदिवासी समूह उतर आया। आदिवासियों के बीच कांग्रेस की सत्ता पिटते देख अचानक बघेल ने अपने कदम वापिस खींच लिए। इस दौरान उन्हें इलाके के विधायक और वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंह देव का भी विरोध झेलना पड़ा। दरअसल अडानी के लिए अवैध रूप से जंगलों में हो रही कटाई का विरोध करते हुए सिंहदेव ने ऐलान किया कि आदिवासी बेफिक्र हो जाए। पेड़ कटने नही दिए जायेगे। इसके लिए अगर सरकार ने गोली चलाई तो पहली गोली उनके सीने में लगेगी। सिंहदेव की इस दरियादिली देख सुनकर अदिवासियों के चेहरे खिल गए। उनके बीच इंसाफ की आस उस समय जगी जब अडानी के सरगुजा में स्थित तमाम प्रोजेक्ट को रद्द करने के लिए एक संकल्प छतीसगढ़ में लाया गया। यह संकल्प बीजेपी ने नही बल्कि खुद बघेल सरकार ने लाया था। आदिवासी समुदाय सरकार के इस कदम की प्रशंसा में ही जुटा था कि मुख्यमंत्री बघेल ने उनकी पीठ पर खंजर घोंप दिया। बघेल ने रातोंरात फरमान जारी कर सरगुजा अरण्य परियोजना के लिए 08 हजार पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी। इस पर फोरी अमल भी शुरू हो गया। पुलिस के संरक्षण में अडानी के गुण्डों ने आधुनिक मशीनों के जरिए सहज कुछ घंटों के भीतर 15 हजार से ज्यादा पेड़ काट दिए जबकि उन्हें मात्र 08 हजार पेड़ कटाने की अनुमति मुख्यमंत्री बघेल ने दी थी। कहा जा रहा है कि इस पूरे क्रियाकरम में बघेल और अडानी के बीच एक समझौता हुआ है। अडानी सुप्रीम कोर्ट में बघेल के परिवारजनों और चहेतो के बीच चल रहे मामलों में मदद करेगा। इलाके में सरकार की धोखाधड़ी को लेकर जबदस्त रोस है। यह आदिवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उधर इनके साथ इंसाफ का वादा करने वाले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। उन्होंने इन आदिवासियों की सुध तक नही ली। यही हालत छतीसगढ़ सरकार में आदिवासी मंत्रियों और विधायकों का है। कांग्रेसी आदिवासी विधायक भी अपने समाज से मुँह छिपा रहे है। किसी भी विधायक इतनी हिम्मत नही दिखाई कि मुख्यमंत्री से पूछ सके कि जिसमें संकल्प लाने के बावजूद हसदेव अरण्य के पेड़ों की कटाई कैसे हो गई। आदिवासियों के लिए गोली खाने का वादा करने वाले मंत्री टीएस सिंहदेव भी चुप्पी साधे हुए है। सबसे खराब हालत आदिवासी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की है। सरकार सरगुजा जाने के बजाय यहां वहां भटक रहे है। इन दिनों भी राहुल गांधी की तर्ज पर कांग्रेस यात्रा पर निकले हुए है। राज्य में आदिवासियों के बलवूते पर ही मुख्यमंत्री बघेल सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। वहीं आदिवासी समुदाय भी अगले साल होने वाले चुनाव में आईना दिखाने की तैयारी में जुट गया है।

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, सरगुजा स्थित हसदेव जंगल में कोल माइंस के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ सहित देश-दुनिया के तमाम शहरों में हुए विरोध प्रदर्शन के बावजूद हसदेव के जंगलों में आरी चलना शुरू हो गई है। जिला प्रशासन के साथ ही वन विभाग और पुलिस की टीम ने 27

Scanned with CamScanner

तमाम विरोध के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ पुलिस के पहरे में हसदेव अरण्य जंगल की कटाई शुरू हो गई है।

सितम्बर 2022 की सुबह 05 बजे से ही पेड़ों की कटाई शुरू करा दी। रफ्तार इतनी तेज है कि महज 06 घंटे में ही 08 हजार पेड़ धराशायी कर दिए गए। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तानाशाही रवैया लोगों के सामने आ गया है। इससे पहले तमाम मौकों पर

क्या छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का खात्मा करेंगे भूपेश बघेल?

बघेल मंचों से कहते रहे थे कि हसदेव के जंगलों से पेड़ों की कटाई नहीं होगी और क्षेत्र के आदिवासियों की आजीविका पर आंच नहीं आने दी जाएगी। इतना ही नहीं कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी 2015 में छतीसगढ़ दौरे के दौरान वादा किया था कि वह जल-जंगल-

Scanned with CamScanner

पेसा (पंचायत, अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार) अधिनियम-1996 : एक नजर में

पेसा कानून समुदाय की प्रथागत, धार्मिक एवं परंपरागत रीतियों के संरक्षण पर असाधारण जोर देता है। इसमें विवादों को प्रथागत ढंग से सुलझाना एवं सामुदायिक संसाधनों का प्रबंध करना भी सम्मिलित है। कानून की धारा 4 अ एवं 4 द निर्देश देती है कि किसी राज्य की पंचायत से संबंधित कोई विधि उनके प्रथागत कानून, सामाजिक एवं धार्मिक रीतियों तथा सामुदायिक संसाधनों के परंपरागत प्रबंध व्यवहारों के अनुरूप होगी और प्रत्येक ग्रामसभा लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं के संरक्षण एवं संवर्धन, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों एवं विवादों को प्रथागत ढंग से निपटाने में सक्षम होंगी। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 जो पेसा के नाम से जाना जाता है, संसद का एक कानून है न कि पांचवीं एवं छठी अनुसूची जैसा संवैधानिक प्रावधान। परंतु भारत की जनजातियों के लिए यह उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने वे संवैधानिक प्रावधान। जैसा कि हम देख चुके हैं, छठी अनुसूची इसके अंतर्गत आने वाले सीमित जनजाति क्षेत्रों को ही अपने स्वयं को स्वायत्तरूप से शासित करने का अधिकार देती है। पेसा कानून अपनी परंपराओं एवं प्रथाओं के अनुसार पांचवीं अनुसूची की जनजातियों को उसी स्तर का स्वायत्त शासन देने की संभावनाओं का अवसर प्रस्तावित करता है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए यह अधिनियम एक मूलभूत कानून का स्थान रखता है। एक तरह से यह कानून ही है जो संविधान की पांचवीं अनुसूची देश के 10 राज्यों में लागू है। इस प्रकार पेसा अधिनियम जनजातियों की बड़ी जनसंख्या को शक्ति प्रदान करता है।

जनजातियों के लिए अधिक प्रासंगिक है यह अधिनियम- जनजातियां आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से अधिक दुर्बल हैं। हालांकि सांस्कृतिक रूप से वे भारतीय समाज का एक दैदीप्यमान भाग हैं। पांचवीं अनुसूची में बसी अधिकांश जनजाति जनसंख्या और वे भी जो इस संरक्षण सूची से बाहर बिखरी हुई है विशेष रूप से कमजोर हैं। मील का पत्थर पेसा इसे कानूनी मान्यता देता है। इस अधिनियम ने सत्ता के संतुलन को बदलने का कार्य किया, कम से कम स्थानीय स्तर पर तो इसने जनजातियों के पक्ष में किया जहां इसने स्वशासन की व्यवस्था दी है। इसने यह स्वीकार किया है कि उनकी जीवन शैली, मूल्य व्यवस्था और विश्व के प्रति दृष्टिकोण ठीक है और इसे स्वीकार करते हुए इस बात को मान्यता दी कि जनजातियां स्वशासन में सक्षम हैं। दिसंबर 1996 में पेसा अधिनियम पारित किया और जनजातियों की विशेष स्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन एवं अपवाद के साथ भाग को पांचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया।

ग्रामसभा को पंचायत से ऊपर स्थान- अधिनियम में ग्रामसभा को परिभाषित कर इसमें गांव की मतदाता सूची के सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है (धारा 4स) पंचायत की तुलना में यह कहीं अधिक प्रतिनिधित्व वाली इकाई है जिसमें कुछेक ही निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। कानून ने छोटी इकाई पंचायत को ग्रामसभा के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी बना दिया है, जिसमें गांव के समुदाय के सभी लोग होते हैं। कानून गांव के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित सभी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की ग्रामसभा द्वारा पुष्टि के बाद ही पंचायतों द्वारा इन्हें क्रियान्वित किया जा सकेगा

पेसा कानून ग्राम सभा/पंचायतों को निम्नलिखित की शक्ति प्रदान करता है- ■ भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार। ■ एक उचित स्तर पर पंचायत को लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। ■ एक उचित स्तर की ग्राम सभा या पंचायत द्वारा खान और खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस पट्टा, रियायतें देने के लिए अनिवार्य सिफारिशें करने का अधिकार। ■ मादक द्रव्यों की बिक्री/खपत को विनियमित करना। ■ लघु वनोपजों का स्वामित्व। ■ भूमि हस्तान्तरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि की बहाली। ■ गांव बाजारों का प्रबंधन। ■ अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण। ■ सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओ और संस्थानों, जनजातीय उप योजना और संसाधनों सहित स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण।

पेसा का महत्व- पेसा का प्रभावी क्रियान्वयन न केवल विकास लाएगा बल्कि यह पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में लोकतंत्र भी और गहरा होगा। पेसा के कई फायदे हैं। इससे निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी में वृद्धि होगी। पेसा आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करेगा और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर बेहतर नियंत्रण होगा। पेसा से जनजातीय आबादी में गरीबी और बाहर पलायन कम हो जाएगा क्योंकि प्राकृतिक संसाधानों पर नियंत्रण और प्रबंधन से उनकी आजीविका और आय में सुधार होगा।. पेसा जनजातीय आबादी के शोषण को कम करेगा, क्योंकि वे ऋण देने, शराब की बिक्री खपत एवं गांव बाजारों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन से भूमि के अवैध हस्तान्तरण पर रोक लगेगी और आदिवासियों की अवैध रूप से हस्तान्तरित जमीन को बहाल किया जा सकेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पेसा परंपराओं, रीति-रिवाजों और जनजातीय आबादी की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के माधयम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा।

जमीन बचाने के संघर्ष में आदिवासियों के साथ हैं। लेकिन भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की बात को भी नहीं माना है। एक उदयोगपति के फायदे के लिए हजारों आदिवासियों और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति दे दी। भूपेश

Scanned with CamScanner

बघेल को आदिवासियों की चिंता नहीं है।

गौरतलब है कि पहले फेज में 45 हैक्टेयर में जंगल काटा जाना प्रस्तावित है। इसमें करीब 8000 पेड़ हैं। इसके लिए खदान का विरोध कर रहे ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेड़ों की कटाई वन विभाग द्वारा कराई जा रही है। अभी 45 हैक्टेयर के जंगल काटे जाएंगे। उसके बाद 1100 हैक्टेयर का एक और जंगल काटा जाएगा। घाटबर्रा में खनन 03 साल बाद होना है। यहां जंगल के इलाके में लोगों को जाने की मनाही है। इस कारण विरोध करने वाले नहीं पहुंच पा रहे हैं। मीडिया को भी जंगल में जाने नहीं दिया जा रहा है।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित परसा खदान के लिए 841.538 हेक्टेयर और परसा ईस्ट केते बासन फेज-2 के लिए 1,136.328 हैक्टेयर वन भूमि में खनन की अनुमति दी है। पीकेईबी खदान के विरोध का समर्थन करते हुए मंत्री टीएस सिंहदेव ने ग्रामीणों के समक्ष कहा था कि गोली चली तो पहली गोली मुझे लगेगी। मंत्री के इस बयान के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि बाबा साहब (टीएस सिंहदेव) का बयान आया है कि पहली गोली मुझे लगेगी। गोली चलने की नौबत ही नहीं आएगी, जो गोली चलाएगा पहले उन पर ही गोली चल जाएगी। सीएम बघेल ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि बाबा नहीं चाहेंगे तो पेड़ तो क्या एक डंगाल भी नहीं कटेगी। अब सवाल उठता है कि जब बाबा नहीं चाह रहे हैं तो कैसे शुरू हो गई पेड़ों की कटाई, कहां गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया वादा, क्या सिर्फ आदिवासी ग्रामीणों को बेवकुफ बनाने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए और कटाई को तत्काल रोकना चाहिए, ऐसा क्या हो गया जो

तारीख-दर-तारीख

छतीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के फैसलों को नियंत्रित करने के लिए उदयोगपति गौतम अदानी कैसे सुप्रीम कोर्ट के मामले का इस्तेमाल कर रहा है। इसे भी समझने की आज जरूरत है।

2019- दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो आईएएस अधिकारियों अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला (अत्यधिक दागी, भूपेश बघेल के बेहद करीबी) के खिलाफ 2019 में छत्तीसगढ़ के एनएएन पीडीएस घोटाले के पुख्ता सबूतों के मद्देनजर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

13 मार्च 2020- ईडी ने आईएएस अधिकारियों को समन जारी किया और उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। अब इस मोड़ पर अडानी सामने आते हैं और अपने एजेंट सूर्यकांत तिवारी के माध्यम से सीएम को बताया कि वह न केवल इन दो आईएएस अधिकारियों की मदद करेंगे, बल्कि पोर्न सीडी ट्रायल ट्रांसफर मामले में एससी से आपके पक्ष में फैसला भी दिलवाएंगे। उपरोक्त के अलावा वह चाहते हैं कि 2019 में सौम्या चौरसिया सहित सीएम के करीबी अधिकारियों पर आयकर छापे में कुछ भी प्रतिकूल न हो। इसके बदले अडानी ने अपनी कोयला खदानों और लौह अयस्क खदान को बिना किसी परेशानी के साफ करने की मांग की। वह आगे उसी के लिए सुंदर राशि भी प्रदान करता है।

14 जुलाई 2020- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वीसी मोड में हुई जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अभी तक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जैसे किसी वरिष्ठ विधि अधिकारी ने ईडी की ओर से जमानत का विरोध नहीं किया और मामले का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल के स्थानीय सहायक ने किया, जिन पर विचार नहीं किया गया है।

14 अगस्त 2020- उच्च न्यायालय ने इन आईएएस अधिकारियों को अग्रिम जमानत दी।

सितंबर-अक्टूबर 2020- राज्य सरकार के वन विभाग ने हसदेव अरण्य वन को खनन से बचाने के लिए आरक्षित क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इस तरह के प्रस्ताव में आरआरवीयूएनएल के कोयला ब्लॉक शामिल हैं जिसमें अदाणी को खान के जीवनकाल के लिए एमडीओ नियुक्त किया गया है।

नवंबर 2020 की शुरुआत में- ईडी ने इन दो आईएएस अधिकारियों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की। हालांकि लिस्टिंग के लिए इसे आगे नहीं बढ़ाया। (माना जा रहा है कि सीएम और इन दोनों आईएएस अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए एसएलपी दाखिल की गई थी) ईडी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग नहीं की थी।

दिसंबर 2020- राज्य सरकार ने लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कार्यवाही रोक दी।

19 जनवरी 2020- राज्य सरकार के खान विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा हसदेव वन के दो कोयला ब्लॉकों के कोयला असर अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति जताई, जिनमें से एक पर अदानी का नियंत्रित था।

27 जनवरी 2021- जमानत के खिलाफ ईडी की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध हुई। मामला सूचीबद्ध होने के बावजूद, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता या यहां

Scanned with CamScanner

समझें हसदेव जंगल का मामला

तक कि केंद्र सरकार का कोई भी कानून अधिकारी पेश नहीं हुआ और मामले को स्थगित करने का अनुरोध करने वाला एक पत्र ईडी द्वारा दायर किया गया था। स्थगन एक सप्ताह के लिए दिया गया था लेकिन मामला नवंबर 2021 तक सूचीबद्ध नहीं किया जा सका।

फरवरी 2021- गौतम अडानी रायपुर आए और सीएम हाउस में भूपेश बघेल के साथ डिनर मीटिंग की।

मार्च से जून 2021- सरकार ने हसदेव अरण्य वन क्षेत्र को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और अलग-अलग स्तर पर अडानी एमडीओ के खनन प्रस्तावों को सुगम बनाया।

जुलाई 2021- विधानसभा सत्र में हसदेव अरण्य वन को बचाने और क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित करने की मांग के साथ एक तीखी बहस देखी गई क्योंकि राज्य के साथ-साथ देश में अन्य जगहों पर पर्याप्त कोयला ब्लॉक उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में खनन डाउन स्ट्रीम में स्थित बांध हसदेव के लिए एक बड़ा खतरा है जो राज्य का सबसे बड़ा सिंचाई ढांचा है।

अगस्त 2021- पार्टी और कोरबा क्षेत्र के सांसद के दबाव में राज्य सरकार फिर से हसदेव अरण्य क्षेत्र के संरक्षण के बारे में सोचने लगी।

23 सितम्बर 2021- ईडी ने पूर्वोक्त लंबित एसएलपी में एक आवेदन दायर किया जिसमें राज्य के सीएम ने जांच को प्रभावित करके इन दो दांगी अधिकारियों को बचाने की कोशिश की थी।

07 अक्टूबर 2021- राज्य सरकार ने 1995 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व को प्रस्तावित 3827 वर्ग किलोमीटर से लगभग आधा कम अधिसूचित किया। नक्शा खनन की सुविधा के लिए अडानी राजस्थान के कोयला ब्लॉकों को रिजर्व से बाहर कर देता है।

ईडी ने अभी भी अपनी एसएलपी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने में दिलचस्पी नहीं ली।

04-14 अक्टूबर 2021- हजारों आदिवासियों के साथ पूरे हसदेव अरण्य क्षेत्र की ग्रामसभाओं ने हसदेव वन से राजधानी रायपुर तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली और खनन अनुमति को रोकने के लिए सीएम और राज्यपाल से मुलाकात की क्योंकि ग्रामसभा इसके खिलाफ है।

21 अक्टूबर 2021- बड़े पैमाने पर विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने परसा कोयला ब्लॉक के लिए वन मंजूरी जारी की, जिस पर राय सरकार द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जाना है।

28 अक्टूबर 2021- राज्य सरकार को कोई अनुमति देने से रोकने के लिए हसदेव के आदिवासियों ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के भारी विरोध को देखते हुए सीएम से खनन परियोजनाओं पर धीमी गति से चलने के लिए कहा। अडानी बाकी अनुमति लेने के लिए बेताब थे, सरकार पर दबाव बना रहे थे।

17 नबंवर 2021- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से सूचीबद्ध दो आईएएस अधिकारियों की अग्रिम जमानत के खिलाफ ईडी का मामला जिसमें एससी ने नोटिस जारी किया और 23.11.2021 को पहले मामले के रूप में सुनवाई का आदेश दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की तत्काल सुनवाई की जोरदार दलील दी।

21 नबंवर 2021- राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल को अदाणी परियोजनाओं में सभी आदेश तत्काल जारी करने के लिए पत्र लिखा। गौरतलब है कि राजस्थान पीएसयू का अडानी के साथ एक समझौता है, जो भाजपा शासन के वसुंधरा राजे के दौरान दर्ज किया गया था, जिसके द्वारा राजस्थान को अपना आवंटित कोयला महंगे दाम पर मिल रहा है और इस समझौते के कारण राजस्थान की बिजली की लागत बढ़ गई है। 2008 के राजस्थान अदानी समझौते को चुनौती देने वाला 2019 का डब्ल्यूपीसी 371, जो वास्तव में 2014 के कोल ब्लॉक डील लोकेशन फैसले के कारण शून्य और शून्य है, अभी भी जारी है।

23 नबंवर 2021- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सीजेआई कोर्ट में पहले तत्काल सुनवाई की मांग करने के बावजूद पेश नहीं हुए और मामला जो कि आइटम 1 के रूप में सूचीबद्ध था। ईडी ने इसे एक सप्ताह के लिए बिना किसी निश्चित तारीख के स्थगित कर दिया। 27 जनवरी 2021 को भी इसी तरह एक सप्ताह के स्थगन का आदेश दिया गया था लेकिन मामले को 10 महीने तक सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। अब ऐसा ही होने की संभावना है यदि राय सरकार उन सभी कोयला ब्लॉकों को खाली करने के आदेश पारित करती है जिनमें अदानी की रुचि है।

अडानी द्वारा अपने हितों की सेवा के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे मंच का इस्तेमाल बेहद शर्मनाक है। इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ एसएलपी की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वे बेहद भ्रष्ट अधिकारी हैं, फिर भी राज्य सरकार को नियंत्रित कर रहे हैं। साथ ही इस तरह की कार्यवाही का कॉरपोरेट द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

भाजपा को उद्योगपतियों की सरकार कहने वाली काँग्रेस कैसे जा बैठी अडानी की गोदी में

04 गांवों और जंगल की जमीन, 02 लाख पेड़ काटे जाएंगे

राजस्थान के विद्युत उत्पादन निगम हेक्टेयर जंगल की भूमि से पेड़ों की कटाई की गई थी। दूसरे चरण में परसा ईस्ट-केते-बासेन कोल ब्लॉक में कुल 2711 हेक्टेयर करने का प्रस्ताव है। अनुमान के मुताबिक पीकेईबी में 02 लाख पेड़ काटे जाएंगे।

बता दें कि राजस्थान विद्युत निगम

भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के सामने झूठा साबित कर दिया छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य योजना के लिए अडानी के घुटनों पर आ गई छत्तीसगढ़ सरकार

लिमिटेड को आवंटित परसा कोल ब्लाक के डेवलेपमेंट एवं माइनिंग का ठेका अडानी इंटरप्राइसेस के हाथों में है। पहले चरण में परसा कोल ब्लॉक में 841 क्षेत्र में कोल उत्खनन की मंजूरी दी गई थी। इसमें 1898 हेक्टेयर भूमि वनक्षेत्र है, जिसमें परसा, हरिहरपुर, फतेहपुर और घाटबर्रा के 750 परिवारों को विस्थापित लिमिटेड को आवंटित परसा-केते कोल ब्लॉक के दूसरे चरण में परसा ईस्ट केते बासेन एक्सटेंशन खदान के लिए स्वीकृति वर्ष 2012-13 में दी गई थी। वर्ष 2019 में

Scanned with CamScanner

फारेस्ट क्लीयरेंस दिया गया है। इस कोयले की खुदाई से लेकर बाकी सभी कार्य उदयोगपति गौतम अडानी की कंपनी को मिला है। परसा ईस्ट केते बासन परियोजना में कुल चार गांवों परसा, हरिहरपुर, घाटबर्रा एवं फतेहपुर की निजी और राजस्व

Scanned with CamScanner

एक दशक से चल रहा है हसदेव बचाओ आंदोलन

पिछले 10 सालों में हसदेव के अलग-अलग इलाकों में जंगल काटने का विरोध चल रहा है। कई स्थानीय संगठनों ने जंगल बचाने के लिए संघर्ष किया है और आज भी कर रहे हैं। विरोध के बावजूद कोल ब्लॉक का आवंटन कर दिए जाने की वजह से स्थानीय लोग और परेशान हो गए हैं। आदिवासियों को अपने घर और जमीन गंवाने का डर है। वहीं हजारों परिवार अपने विस्थापन को लेकर चिंतित हैं।

राजस्थान के लिए हुआ है कोल ब्लॉक का आवंटन : छत्तीसगढ़ और सूरजपुर जिले में परसा कोयला खदान का इलाका 1252.447 हेक्टेयर का है। इसमें से 841.538 हेक्टेयर इलाका जंगल में है। यह खदान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित है। राजस्थान की सरकार ने अडानी ग्रुप से करार करते हुए खदान का काम उसके हवाले कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान को ही केते बासन का इलाका भी खनन के लिए आवंटित है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने खदानों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। पहले से ही काटे जा रहे जंगलों को बचाने में लगे लोगों के लिए यह विस्तार चिंता का सबब बन गया है। इसके लिए स्थानीय लोग जमीन से लिए अदालत तक लड़ाइयां लड़ रहे हैं। खदान के विस्तार के चलते लगभग आधा दर्जन गांव सीधे तौर पर और डेढ़ दर्जन गांव आंशिक तौर पर प्रभावित होंगे। लगभग 10 हजार आदिवासियों को डर है कि वे अपना घर गंवा देंगे। अपने घर बचाने के लिए आदिवासियों ने दिसंबर 2021 में पदयात्रा और विरोध प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन सरकार नहीं मानी और अप्रैल में आवंटन को मंजूरी दे दी।

की जमीनों के साथ ही वनभूमि को मिलकार 2711 हेक्टेयर भूमि पर शामिल है। खदान के विस्तार से घाटबर्रा गांव को पूरी तरह से विस्थापित किया जाएगा।

तड़के 03-04 बजे ही आंदोलनकारियों को उठा ले गई पुलिस

Scanned with CamScanner

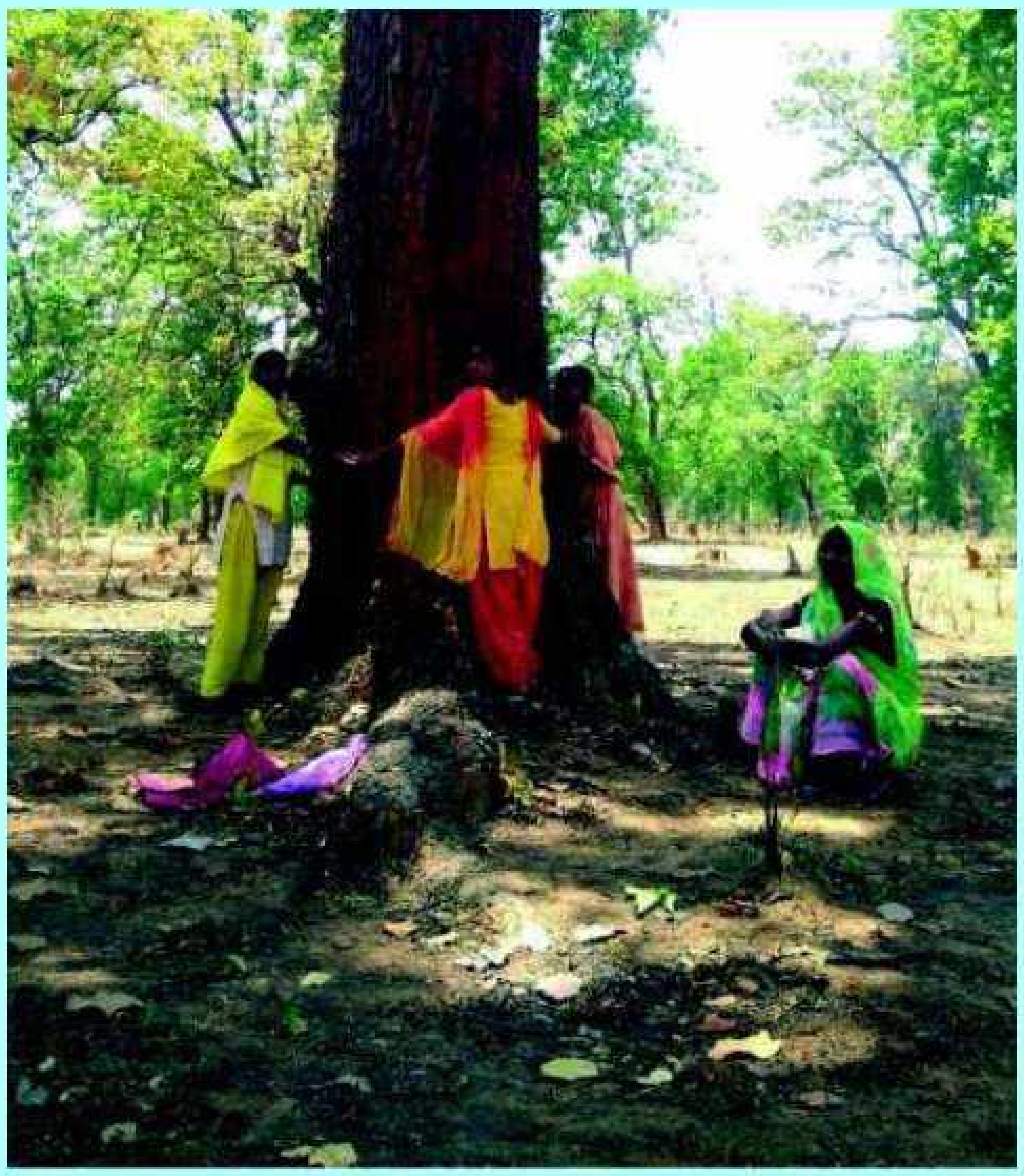

ग्रामीण पेड़ों की कटाई और कोयला खदान खोलने का वर्षो से करते आ रहे हैं विरोध

एक साल से अधिक समय से ग्रामीणों धरने पर बैठे हैं। पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले ग्रामीणों के नेतृत्वकर्ताओं को पुलिस ने घरों से उठा लिया है। 04 गांवों को घेरकर जंगल में कड़ी सुरक्षा के बीच घाटबर्रा क्षेत्र में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है। इतनी ज्यादा पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है कि मौके पर विरोध करने वाले ग्रामीण भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुलिस ने आसपास के इलाके को छावनी बना दिया है। पेड़ कटाई को लेकर पुलिस प्रशासन और गांव के आदिवासियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। कभी भी कुछ भी अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है।

आपको बता दें कि पहले चरण में बासन से बंबारू तक पेड़ काटे जाने हैं। बताया जा रहा है कि 1138 हेक्टेयर में जंगल काटा जाएगा। इससे पहले खदान का विरोध कर रहे आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक, तड़के करीब 3-4 बजे से ही पुलिस टीम आंदोलनकारियों को उनके घरों से उठा कर ले गई। सभी को अलग-अलग जगह रखा गया है।

पेड़ काटने में 600 लोग, 500 जवान लगाए गए

पेड़ काटने को लेकर जिला प्रशासन ने देर रात ही पुलिस और वन विभाग के साथ रणनीति बना ली थी। इसी के तहत ग्रामीणों को गिरफ्तार कर पेड़ों की कटाई शुरू कराई गई। इन ग्रामीणों की गिरफ्तारी परसा कोल ब्लॉक के आसपास बसे गांवों से की गई है। पेड़ काटने के लिए 20 टीमें लगाई

इनका कहना है-

कानूनों का खुला उल्लंघन हो रहा है

इन खनन परियोजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रियाओं में पेसा कानून 1996, वन अधिकार मान्यता कानून 2006, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और तमाम कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों की धजियां उड़ाते हुए कोल बेयरिंग एक्ट 1957 और कोयला खदान विशेष प्रावधान अधिनियम दिसंबर 2014 का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही लगातार खनन परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रस्तावित 06 परियोजनाओं में चोटिया कोल ब्लॉक नीलामी में बाल्को कंपनी को मिली है, अन्य 05 कोल ब्लॉक विभिन्न राज्य सरकारों को आवंटित हुई हैं, जिनके एमडीओ (माइन डेवलपर कम ऑपरेटर) अनुबंध अदानी कंपनी (और उसकी सहायक इकाइयों) को दिए गए हैं। वर्तमान में संचालित परसा ईस्ट केते बासेन का संचालन भी अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के द्वारा ही किया जा रहा है। कॉरपोरेट घराने को पिछले दरवाजे से लाभ पहुंचाने के लिए एमडीओ का तरीका बनाया गया है और समृद्ध जैव विविधता से परिपूर्ण हसदेव अरण्य के जंगलों में कोयला खदानों की अनुमति दी जा रही है।

▶▶ आलोक शुक्ला, संयोजक, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति

Scanned with CamScanner

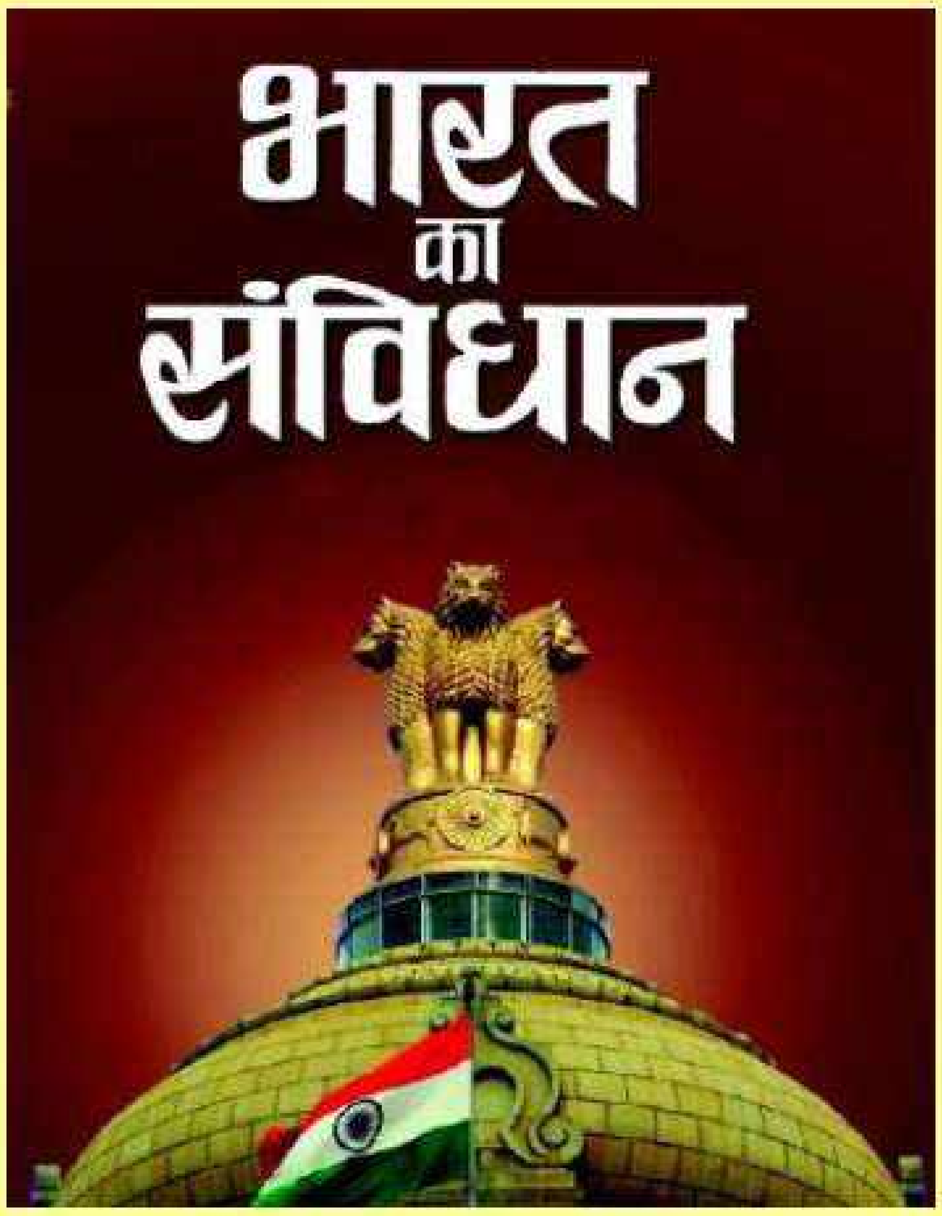

पांचवी अनुसूची : एक नजर में

संविधान के अनुच्छेद 244(1) में, अनुसूचित क्षेत्र अभिव्यक्ति का अर्थ है ऐसे क्षेत्र जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के रुप में घोषित करे। संविधान की पांचवी अनुसूची भारत की अनुसूचित जनजातियों के लिये किसी धर्मग्रंथ से कम नहीं है। क्योंकि अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा और हित की तरफदारी इन्हीं कानूनों में निहित थी। पांचवी अनुसूची संविधाान की पुस्तक में ...भारत का संविधान- पांचवीं अनुसूची, अनुच्छेद 244(1) उल्लेखित है।

राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा

(क) निर्देश दे सकेगा कि संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र अथवा उसका कोई निर्दिष्ट भाग अनूसूचित क्षेत्र नहीं रहेगा अथवा ऐसे क्षेत्र का कोई भाग अनुसूचित क्षेत्र नहीं रहेगा।

(ख) उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के आकार में वृद्धि कर सकेगा।

(ग) केवल सीमाओं के समाधान के माध्यम से ही किसी अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन कर सकेगा।

(घ) संघ में शामिल होने पर अथवा नए राज्य की स्थापना पर किसी राज्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन किए जाने पर, यह घोषित कर सकेगा कि किसी राज्य में पूर्व में शामिल नहीं किया गया कोई राज्य-क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है अथवा उसका कोई भाग है।

(ड.) किसी राज्य अथवा राज्यों के संदर्भ में, इन उपबंधों के अंतर्गत किए गए किसी आदेश अथवा आदेशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके निरस्त कर सकेगा, उन क्षेत्रों को जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र बनाया जाता है, को पुनर्परिभाषित करते हुए नए आदेश कर सकेगा ।

गई हैं। इसमें 600 लोग शामिल हैं। मौके पर कलेक्टर कुंदन कुमार, एसपी भावना गुप्ता सहित अन्य अफसर मौजूद थे। वहीं विरोध को रोकने के लिए गांवों में 500 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन आदिवासियों को गैर जमानतीय धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है।

राजस्थान की रोशनी के लिए कट रहे पेड़

दरअसल, हसदेव अरण्य से पेड़ों को काटने का पूरा मामला राजस्थान की बिजली से जुड़ा हुआ है। राजस्थान राय विद्युत उत्पादन निगम को परसा ईस्ट केते बासन कोयला खदान 2012 में आवंटित हुई थी। 2019 में इसके दूसरे फेज का

Scanned with CamScanner

पेसा कानून का हवाला दे रहे हैं आदिवासी

आदिवासियों के मुताबिक, पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल्ड एरिया (पेसा) कानून 1996 के तहत बिना उनकी मर्जी के उनकी जमीन पर खनन नहीं किया जा सकता। पेसा कानून के मुताबिक, खनन के लिए पंचायतों की मंजूरी ज़रूरी है. आदिवासियों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो मंजूरी दिखाई जा रही है वह फर्जी है। आदिवासियों का कहना है कि कम से कम 700 लोगों को उनके घरों से विस्थापित किया जाएगा और 840 हेक्टेयर घना जंगल नष्ट हो जाएगा। जंगलों को काटे जाने से बचाने के लिए स्थानीय लोग, आदिवासी, पंयायत संगठन और पर्यावरण कार्यकर्ता एक साथ आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन से लेकर अदालतों में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है कि किसी तरह इस प्रोजेक्ट को रोका जाए और जंगलों को कटने से बचाया जा सके। आदिवासियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने इस जंगल के क्षेत्र में मौजूद परसा कोल ब्लॉक का संचालन अदानी की कंपनी को दिया है। खनन शुरु हुआ तो जंगल के जैव विविधता को खतरा होगा।

प्रस्ताव आया था। इसमें परियोजना के लिए 348 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 1138 हेक्टेयर वन भूमि के अधिग्रहण सहित करीब 04 हजार की आबादी वाले पूरे घाटबर्रा गांव को विस्थापित करने का प्रस्ताव है। इसको लेकर मार्च में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से रायपुर में मुलाकात भी की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अप्रैल

जैसा जगत विज़न मासिक पत्रिका की संपादक विजया पाठक को बताया –

फर्जी ग्राम सभा हुई, डरा, धमकाकर सहमती ली

रामलाल सिंह कुरियाम, ग्राम सालनी, समिति के कार्यकर्ता, पढ़ाई-संस्कृत में एम.ए.,

भाजपा जैसा ही कांग्रेस का रवैया है। भाजपा के समय में आंदोलन करना मुश्किल हो रहा था। अब हम कांग्रेस के समय में विरोध कर पा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ अन्याय नही होने देंगे। अगर हमें मुख्यमंत्री साथ देंगे तो हम जीत सकते हैं। ग्रामसभा फर्जी हुई है। भाजपा के समय में एसडीएम ने उदयपुर रेस्ट हाउस में सरपंच लुनिया बाई, सचिव, क्षेत्रपाल को बुलाया, वहां उनको डराया, धमकाया और उनसे सहमति ले ली। तीन बार ग्रामसभा में विरोध हुआ तो यह दमनात्मक और दादागिरी से हस्ताक्षर करवाये। पूरा गांव विरोध कर रहा है। 19 मार्च 2019 को सरकार के कुछ लोग फोर्स लेकर फतेहपुर में जमीन अधिग्रहण करने के लिये जबरदस्ती घुसे। एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, पटवारी काफी लोग थे। ग्रामवासियों ने उन्हें वहां से भगाया। ये सब लोग चुनाव आचार संहिता में आये थे। उन्होंने आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन किया। हम लोग सामूहिक रूप से पूजा-पाठ करते हैं। इन्हीं गांवों में हमारे भगवान हैं। हम इनको छोड़कर नही जायेंगे। 2012-13 में परसाई, केतीवासा में ग्रामसभा हुई थी। ग्रामसभा में जो शर्तें थीं, उन शर्तों में से उन्होंने कोई भी मांग पूरी नही की। जब हमने अपनी बात रखी तो इन्होंने कई लोगों को जेल में डाल दिया।

Scanned with CamScanner

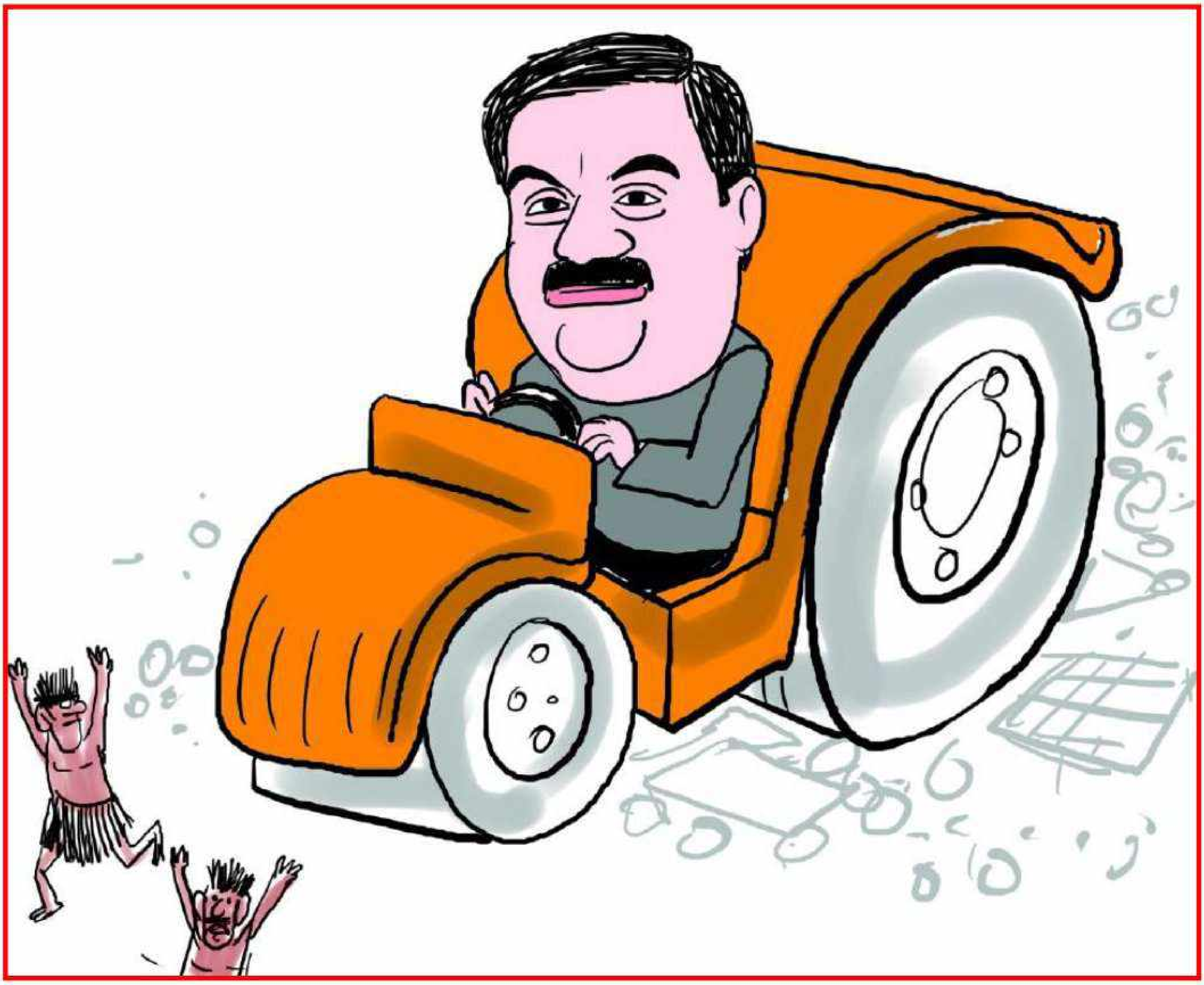

में मंजूरी दे दी। जबकि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जुलाई 2019 में ही माइंस को मंजूरी दे चुका है।

राज्य से लेकर विदेशों तक में हुआ विरोध

परसा कोल माइंस के दूसरे चरण की मंजूरी के बाद हसदेव अरण्य में पेड़ों के काटे जाने को लेकर गांव से लेकर शहर और छत्तीसगढ़ से लेकर विदेशों तक में विरोध हुआ। करीब चार माह पहले अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल, लंदन के प्रसिद्ध इंडिया हाउस,

परियोजना के लिए 348 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 1138 हेक्टेयर वन भूमि के अधिग्रहण सहित करीब 04 हजार की आबादी वाले पूरे घाटबर्रा गांव को विस्थापित करने का प्रस्ताव है।

आस्ट्रेलिया में सिडनी ओपेरा हाउस के पास, कनाडा और ब्राजील के भारतीय दूतावासों के पास हाथ में सेव हसदेव, आदिवासी लाइव्स मैटर जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया था।

सिंहदेव के विरोध पर भूपेश बघेल ने कहा था- एक डंगाल नहीं कटेगी

हसदेव अरण्य में पेड़ों के काटे जाने को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के अंदर ही विरोध था। इसे लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ही विरोध किया था।

Scanned with CamScanner

निशाने पर क्यों हैं मंत्री टीएस सिंहदेव

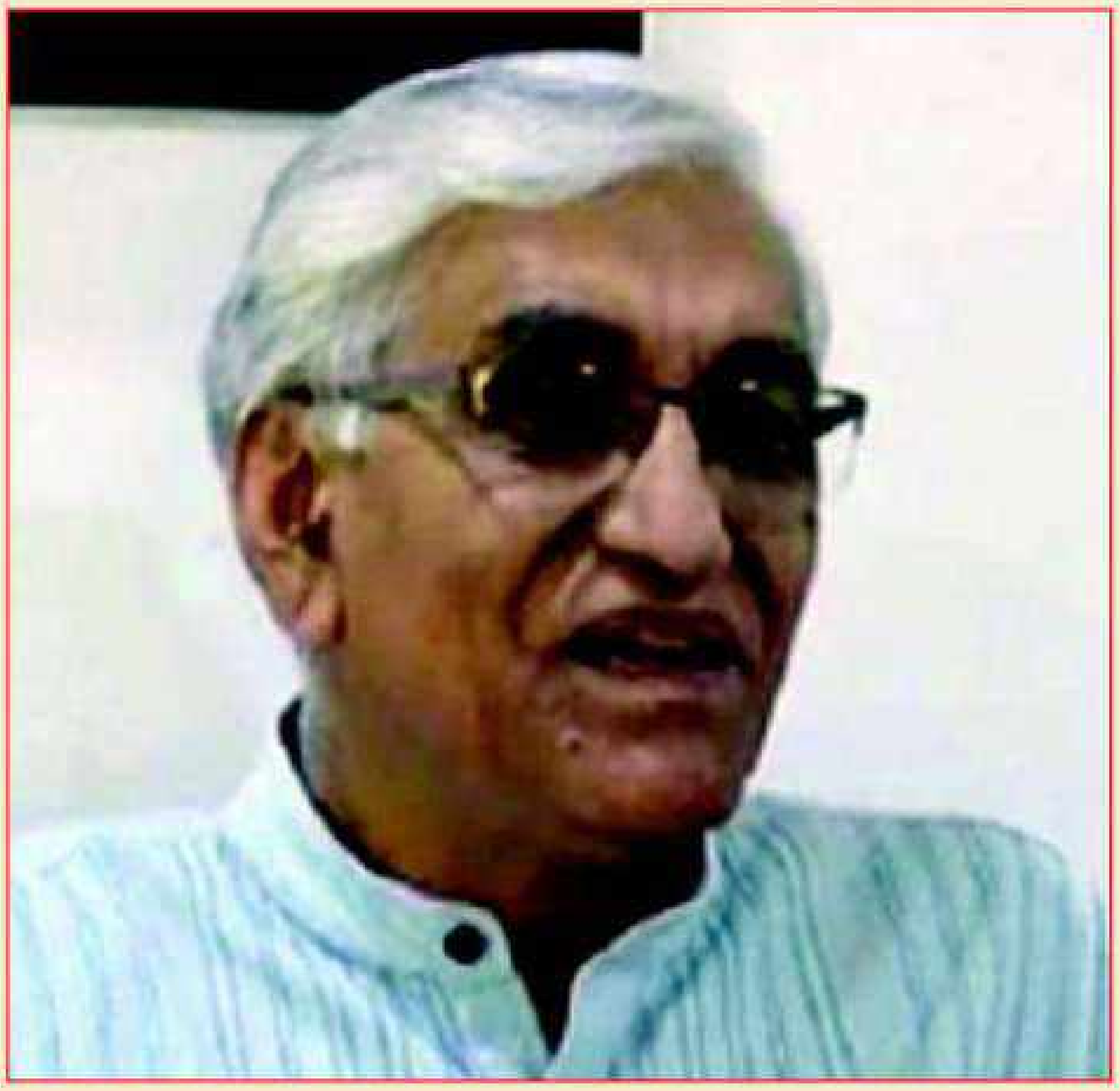

हसदेव क्षेत्र में परसा केले एवं परसा ईस्ट केले बासेन कोल ब्लॉक अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। परसा-केते खदान में कोयला उत्खनन साल 2027 तक किया जाना था। अडानी ने उत्खनन का कार्य 2022 में ही खत्म होना बता दिया है। पीकेईबी खदान के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस वर्ष 2019 में दी गई है। इस खदान में 1898 हेक्टेयर भूमि वनक्षेत्र है। परसा, हरिहरपुर, फतेहपुर और घाटबर्रा के 750 परिवारों को विस्थापित करने का प्रस्ताव है। यहां के जंगलों को बचाने ग्रामीण करीब एक वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे ग्रामीणों के बीच जून में पहुंचे टीएस सिंहदेव ने कहा था कि आंदोलन मै गोली चलेगी तो पहली मुझे लगेगी। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि जब तक टीएस बाबा नहीं चाहेंगे, पेड़ तो क्या एक डंगाल भी नहीं कटेगी। अब 8 हजार बड़े पेड़ों को काट दिया गया तो भाजपा के साथ ही लोगों के निशाने पर टीएस सिंहदेव आ गए।

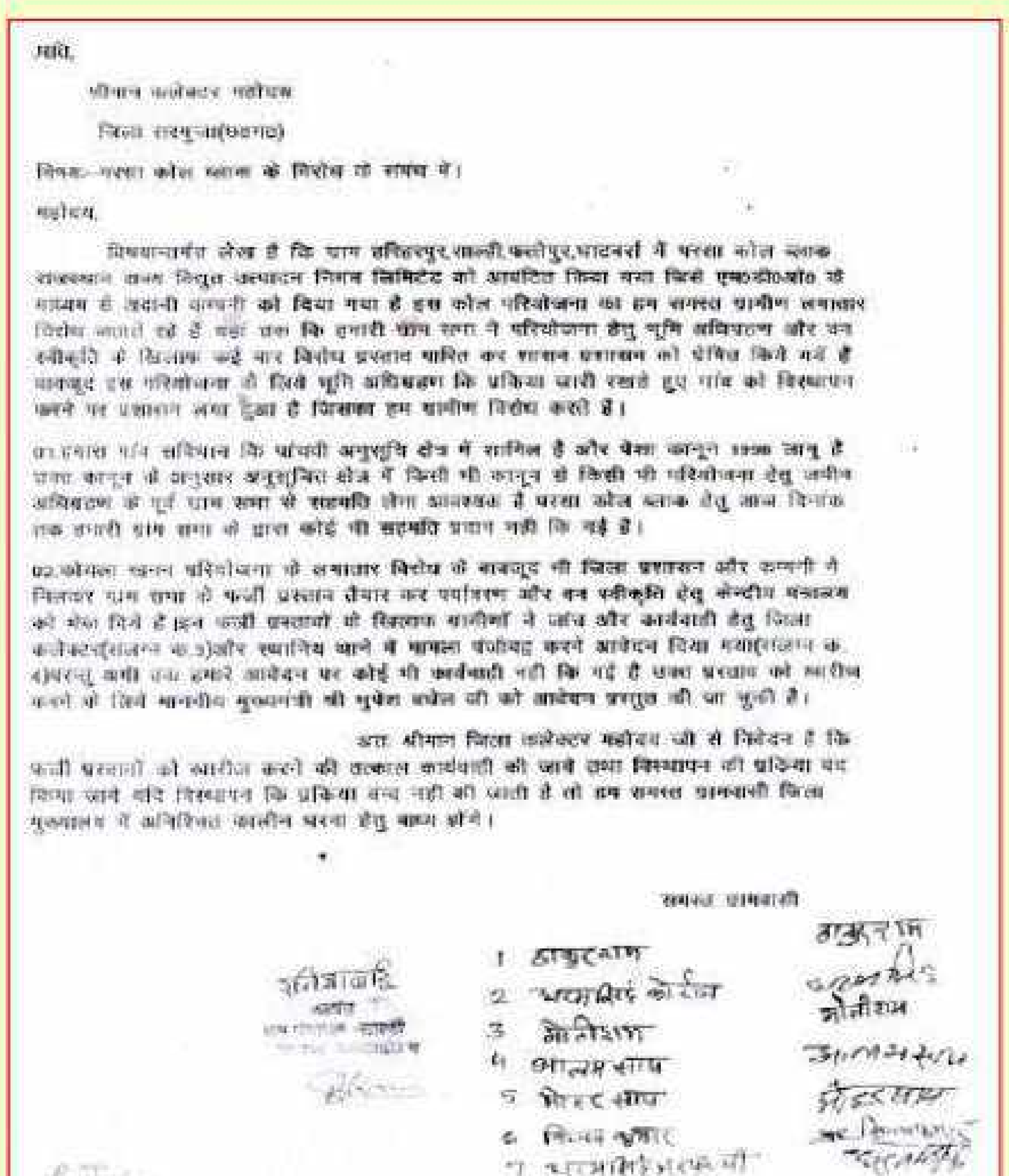

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय

जिला सरगुजा(छ0ग0)

विषय- परसा कोल ब्लाक के विरोध के संबंध में।

महोदय,

समस्त ग्रामवासी

ग्राम पंचायत साल्ही के ग्रामवासियों ने कलेक्टर सरगुजा को पत्र लिखकर अडानी कम्पनियों को दी गई परसा कोल ब्लॉक का विरोध जताया है। ग्रामवासियों का कहना है कि यह गांव पाँचवी सूची में शामिल है और पेसा कानून 1996 लागू है।

इसे लेकर वह प्रदर्शनकारी ग्रामीणों से मिलने भी गए थे। सिंहदेव ने कहा था कि उनका व्यक्तिगत मानना है कि घने जंगल का विनाश कर कोयले का खनन नहीं होना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि अगर टीएस बाबा नहीं चाहते हैं तो वहां से पेड़ क्या, एक डंगाल भी नहीं कटेगी।

आलाकमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सारे कारनामों पर पर्दा क्यों डाले हुए है?

इन खदान क्षेत्र के आदिवासियों ने राहुल गांधी से दिल्ली में भेंट की। इसके उलट सरकार ने ग्रामसभा में तमान आपत्ति के बावजूद क्षेत्र में माइनिंग के लिए पेड़ काटने चालू कर दिए। इस पूरे घटनाम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने

Scanned with CamScanner

अपने नेता राहुल गांधी को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके उलट भूपेश बघेल ने उद्योगपति, अपना, अपने रिश्तेदार सलाहकार, कमाकर देने वाले भ्रष्ट आरोपी अधिकारी का साथ दिया और अपने आलाकमान के वादे को झूठा साबित

Scanned with CamScanner

लोक सुनवाई की जगह परिवर्तित की जाये

आलोक शुक्ला, संयोजक, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, ग्राम मदनपुर, जिला कोरबा

हमने 06 अक्टूबर 2017 को कलेक्टर, सरगुजा और क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर को परसा ओपन कास्ट खदान और पिट हेड कोल वाशरी की जन सुनवाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी सूचना पर आपत्ति विषयक पत्र लिखा था। उस सुनवाई में हमने कई आपत्तियों को दर्ज करते हुए सुनवाई की अनुमति निरस्त करने की मांग की थी, जैसे- पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) नोटिफिकेशन 2006 की धारा 7 (i) (1) (ii) (ए) का उल्लंघन- ईआईए नोटिफिकेशन के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति से पहले परियोजना स्थल पर या निकटता में लोक सुनवाई का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे स्थानीय प्रभावित व्यक्ति परियोजना के बारे में अपनी आपत्ति को व्यक्त कर सकें। इस परियोजना से प्रभावित लोग फतेहपुर, हरिहरपुर, साल्ही, घाटबर्रा और शिवनगर के गांवों से हैं। बासेन न तो परियोजना स्थल में स्थित है, न ही इन गांव के समीप है। बासन में लोक सुनवाई होने के कारण प्रभावित गांवों के ग्रामीणों को परियोजना के बारे में चिंताओं को व्यक्त करने में कठिनाई होगी। इसके साथ ही हमारी समिति परसा कोल ब्लॉक को मिली पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसा का विरोध करती है। क्योंकि यह क्षेत्र पॉचवी अनुसूचि में शामिल है और ग्रामसभा की सहमति के बाद ही कुछ किया जा सकता है लेकिन अडानी को खदान आवंटित करने में किसी भी नियम का पालन नही किया गया। आसपास के लोग काफी प्रभावित हैं।

कर दिया। अब सवाल यह उठता है की कांग्रेस आलाकमान अपने इस भ्रष्ट, झूठे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सारे कारनामों पर पर्दा क्यों डाले हुए हैं। आलाकमान यह गलतफहमी में ना रहे कि कांग्रेस 2023 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कोई

फर्जी अपराध के कारण मैं 43 दिन जेल में रहा

बालसाय कोर्राम, जनपद सदस्य उदयपुर, शिक्षा दसवीं

सितम्बर, 2018 में परसा ईस्ट केतेबासन कोल परियोजना की क्षमता 15 मिलियन टन के विस्तार के लिए जनसुनवाई हो रही थी। मेरे द्वारा इसका विरोध किये जाने पर मेरे ऊपर अपराध दर्ज किया गया। परसा खदान नया आवंटन हुआ, जिसमें 07 गांवों का विस्थापन हुआ है, इसमें भी मैंने फर्जी ग्रामसभा और अडानी और सरकार गलत तरीकों से खदान लेना चाह रहे थे जिसका भी मैंने विरोध किया। क्षमता विस्तार का पूरे ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया गया, जिसके लिये पर्यावरण मण्डल को आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन पर अधिकारियों ने कहा कि नेतागिरी तुम करते हो। मुझे जो वन अधिकार पट्टा दिया गया था वह फर्जी है, कहकर मेरे खिलाफ अपराधदर्ज कर कराया गया। मेरे ऊपर एसडीएम अजय त्रिपाठी (वर्तमान में अपर कलेक्टर सूरजपुर) द्वारा कार्यवाही की गई। महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी, 2018 को सरपंच और सचिव को उदयपुर रेस्ट हाउस में बुलाकर बलरामपुर, उदयपुर एसडीएम की उपस्थिति में बलपूर्वक हस्ताक्षर कराये गये। इस पूरी कार्यवाही का रामलाल ने भी विरोध किया, जिसे भी डराया, धमकाया एवं भयभीत किया गया। फर्जी अपराध दर्ज कराये जाने के कारण मैं 43 दिन जेल में रहा। जमानत पर रिहा हुआ। उक्त पूरी फर्जी कार्यवाही कलेक्टर भीमसिंह के कहने पर एसडीएम आर.के. तम्बोली ने की थी।

Scanned with CamScanner

तेजी से घट रही आदिवासियों की आबादी

छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में 2001 -2011 के दशक में आबादी दर में गिरावट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ की आबादी पिछले एक दशक में 4.32 फीसदी बढ़ी है, जबकि नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाकों की आबादी दर तेजी से घटी है। सर्वाधिक प्रभावित जिला बीजापुर है, जहां से सलवा जुडूम अभियान का आगाज हुआ था। 2001 की जनगणना में आबादी वृद्धि दर 19.30 फीसदी थी जो 2011 में घटकर महज 8.76 फीसदी रह गई। आमतौर पर कन्या भ्रूणहत्या जैसी कुरीतियों से कोसों दूर आदिवासी क्षेत्र में यह कमी निश्चित तौर पर चिंता की बात है। स्त्री–पुरुष अनुपात के मामले में बस्तर, दंतेबाड़ा, कांकेर जैसे नक्सली गढ़ में देश और राज्य के औसत से कहीं आगे है। स्त्री–पुरुष अनुपात बेहतर होने से जनसंख्या वृद्धि दर तेज होनी चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। जब वनों पर आदिवासियों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए फॉरेस्ट ड्वेलर्स कानून 2006 इस बात की मान्यता देता है कि पीढियों से वनों में रहने वाले जनजातीय लोगों का ही वन संपदाओं पर अधिकार है। इस कानून के तहत पीढ़ियों से वनों में रहने वाले लोगों को बिना उपयुक्त लिखा–पढ़ी के कोई भी विस्थापित नहीं कर सकता। आबादी घटने का एक कारण यह भी है कि स्थानीय क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों में इन लोगों को रोजगार नहीं मिलता और यह लोग या तो पलायन करते हैं या गलत रास्तों में चले जाते हैं।

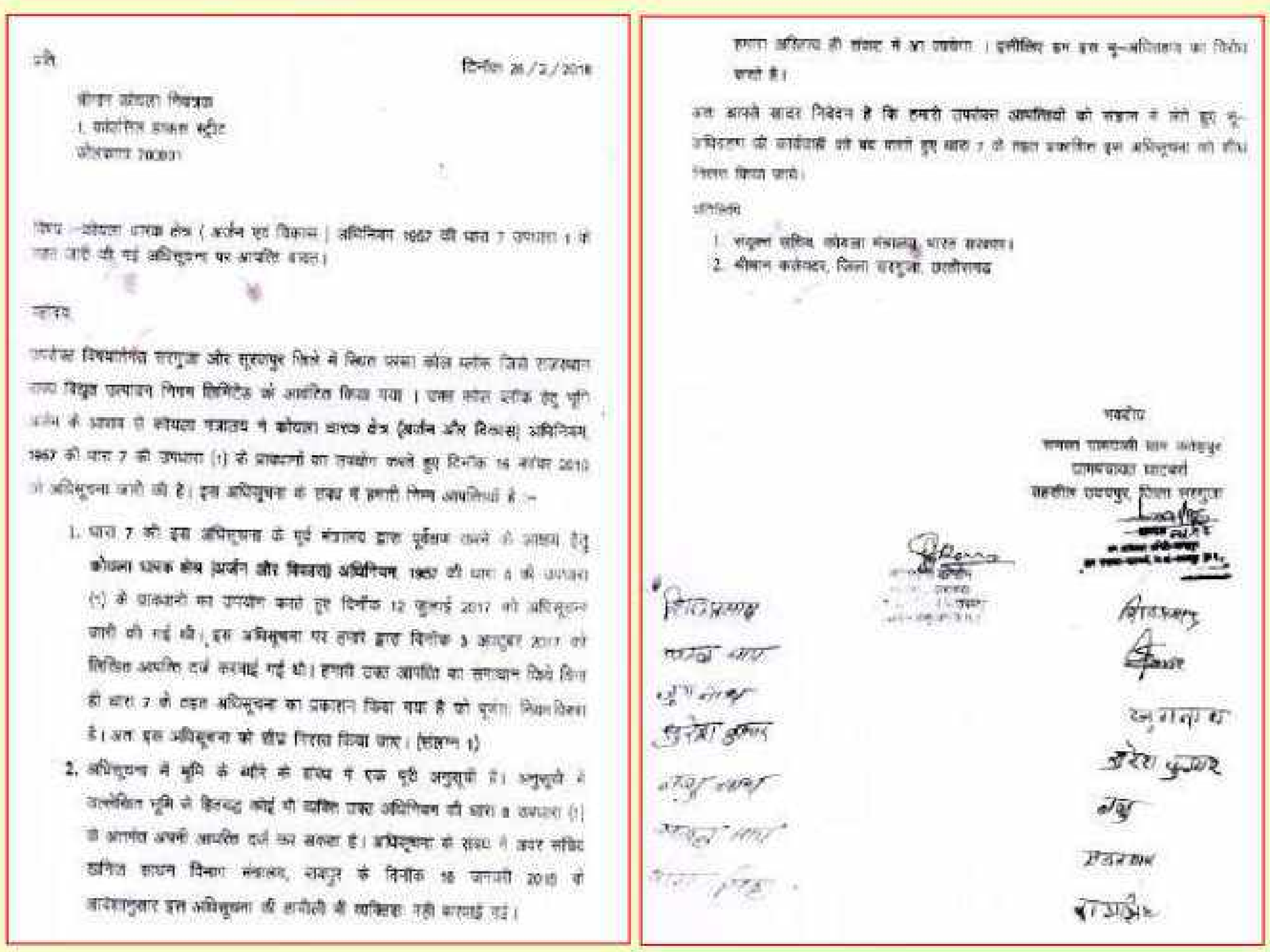

ग्राम फतेहपुर के समस्त ग्रामवासियों ने कोयला नियंत्रक–1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट कोलकाता को पत्र लिखकर कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 की धारा 7 उपधारा 1 के तहत जारी की गई अधिसूचना पर आपत्ति दर्ज की थी।

कमाल कर पाएगी।

एमडीओ अडानी, फिर भाजपा विरोध में कैसे

परसा केले एवं परसा केले ईस्ट बासेन कोल परियोजना भले ही राजस्थान विदयुत उत्पादन निगम लिमिटेड को दी गई है, लेकिन इस खदान का एमडीओ अडानी इंटरप्राइसेस है। अडानी इंटरप्राइसेस के एमडी गौतम अडानी सीधे तौर पर पीएम मोदी एवं भाजपा के करीबी माने जाते हैं। भाजपा द्वारा खदान का विरोध करने का मतलब सीधे तौर पर अडानी का विरोध करना है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के कई नेताओं ने हसदेव क्षेत्र के कोल ब्लॉक के लिए पेड़ की कटाई का विरोध किया है। भाजपा को इस बहाने प्रदेश की भूपेश सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है। सरगुजा में भाजपा को इस बहाने मंत्री टीएस सिंहदेव को घेरने का मौका मिल गया है।

समृद्ध जैव विविधता वाला जंगल हो जाएगा नष्ट

छत्तीसगढ़ के कोरबा, सरगुजा और

Scanned with CamScanner

खदानें खुलने से वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में

पूरा इलाका सघन वनों से भरपूर है। यही क्षेत्र हसदेव बांगो (मिनीमाता बांगो बांध) का कैचमेंट एरिया है। खदानों के खुलने से हसदेव व चोरनई नदियों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा, जिससे बांध पर भी सूखे का संकट आ जाएगा, जबकि इसी बांध के पानी से ही करीब चार लाख तिरेपन हजार हेक्टेयर खेती की जमीन सिंचित होती है। साथ ही इस इलाके के जंगल हाथी, भालू, हिरण और अन्य दुर्लभ वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। खदानों से इनके अस्तित्व पर भी संकट आ जाएगा। बता दें कि इस पूरे क्षेत्र में हाथियों का लगातार आवागमन होता रहता है और आए दिन हाथी मानव द्वंद की घटनाएं होती रहती हैं। वन क्षेत्र कम होने से यह समस्या और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। परसा कोल ब्लॉक के प्रभावित ग्राम घाटबर्रा में जनवरी 2018 में तीन महिलाओं तथा जनवरी 2019 में परसा गांव में एक बुजुर्ग और ईंट भट्ठे में काम करने वाली नवविवाहित युवती की हाथियों के हमलों में जान जा चुकी है। आदिवासियों के आंदोलन के दौरान ही आठ हाथियों का दल क्षेत्र में विचरण कर रहा था, जिसकी चेतावनी वन विभाग के द्वारा साल्ही, हरिहरपुर, फतेहपुर और घाटबर्रा के ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जारी की गई थी। गांवों के कोटवारों द्वारा भी मुनादी की गई थी। पर हैदराबाद की कंपनी विमटा लैब लिमिटेड द्वारा परसा कोल ब्लॉक की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए तैयार किए गए ईआईए (पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन) रिपोर्ट में इस क्षेत्र में साल 2013 के बाद हाथियों का आवागमन नहीं होना दर्शाया गया है। कोल ब्लॉक के कोर जोन में पाए जाने वाले कई तरह के सरीसृप, चिड़ियों की कई प्रजातियां, स्तनधारी वन्य जीव जंतु, प्राकृतिक जल स्रोत, छोटे नाले और उनमें रहने वाली मछलियां और अन्य जलीय जीव तथा संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रजाति के पेड़ पौधों का जि तक नहीं है। यहां तक कि करमी पेड़ और जिंवटी मछली तक ईआईए रिपोर्ट से नदारद हैं, जबकि पूरे सरगुजा संभाग के ग्रामीण अंचल में मनाए जाने वाले करमा त्योहार का नाम ही करमी पेड़ से पड़ा है।

सूरजपुर जिले के बीच स्थित हसदेव समृद्ध जंगल है। करीब एक लाख 70 हजार हेक्टेयर में फैला यह जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में 10 हजार आदिवासी हैं। हाथी तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा जैसे जीव, 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और 167 प्रकार की वनस्पतियां पाई गई हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है हसदेव अरण्य?- छत्तीसगढ़ में 58,000 मिलियन टन कोयले का भंडार है। यह पूरे देश में मौजूद कोयला भंडार का करीब 21 प्रतिशत है। अकेले हसदेव अरण्य में छत्तीसगढ़ के कोयला भंडार का 10 प्रतिशत हिस्सा माना जाता है। सरकारी आंकड़ों की माने तो अगले 100 वर्षो के लिए कोयला छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है।

क्या है विवाद?- छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार ने 06 अप्रैल 2022 को एक

Scanned with CamScanner

हरिहरपुर ग्राम की आदिवासी महिलाओं के साथ जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक को इन महिलाओं ने अपनी परेशानियों से अवगत कराया।

प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत, हसदेव क्षेत्र में स्थित परसा कोल ब्लॉक परसा ईस्ट और केते बासन कोल ब्लॉक का विस्तार होगा। सीधी सी बात इतनी है कि जंगलों को काटा जाएगा और उन जगहों को पर कोयले की खदानें बनाकर कोयला खोदा

इनका कहना है–

खदान खुलने से हम लोग बेघर हो जाएंगे

खदान खुलने से हजारों आदिवासियों समेत अन्य परिवारों को विस्थापित होकर बेघर होना पड़ेगा, जिससे गांव के बिखरने के साथ ही प्राचीन आदिवासी संस्कृति भी विलुप्त हो जाएगी। आदिवासियों ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लेते हुए प्रत्येक गांव की तरफ से ग्राम रक्षा के प्रतीक विभिन्न देवी देवताओं के नाम से दिए जलाए और पारंपरिक करमा नृत्य किया है।

▶▶ मंगल सिंह आर्मो, स्थानीय निवासी

जंगल कट जाएंगे तो हम सब कहां जाएंगे?

इन्हीं वनों से हम आदिवासियों को पुटु–खुखड़ी (प्राकृतिक जंगली मशरूम), तेंदूपत्ता, सालबीज, चिरौंजी, महुआ तथा जरूरत की अन्य चीजें प्राप्त होती हैं, जिस पर हमारी परंपरागत आजीविका निर्भर है। इलाके के जंगलों में दुर्लभ प्रजाति की औषधीय वनस्पतियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, जिससे हम सब स्थानीय निवासी अपना उपचार करते हैं। जंगलों पर ही हम सब निर्भर हैं, जंगल कट जाएंगे तो हम सब कहां जाएंगे, हम अपनी जमीन और जंगल उजड़ने नहीं देंगे।

▶▶ शिवकुमारी, निवासी, चारपारा

अग़नी कंपनी के लोग बना रहे दबाव

खदान का विरोध करने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तरह–तरह के हथकंडे अपनाकर हमें अपने गांव और जमीन से बेदखल करने का षड़यंत्र किया जा रहा है। खदानों का विरोध करने वालों को कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है। मैंने भी इस परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ग्राम बासेन में आयोजित जनसुनवाई के दौरान खदान खोलने का विरोध किया था। अदानी कंपनी के लोग बार–बार मुझे खदान का विरोध न करने और ग्रामसभा में सहमति का प्रस्ताव पारित करवाने का दबाव बनाते रहे, पर मैंने मना कर दिया। तब कंपनी के इशारे पर मेरे ऊपर जमीन का फर्जी पट्टा बनवाने का आरोप लगाते हुए कूटरचित आवेदन के आधार पर उदयपुर थाने मे एफआईआर दर्ज करवाया गया। उस मामले में मुझे और मेरी पत्नी को 45 दिनों तक जेल में रहना पड़ा।

▶▶ बालसाय कोर्राम, निवासी, हरिहरपुर, जनपद पंचायत उदयपुर के सदस्य

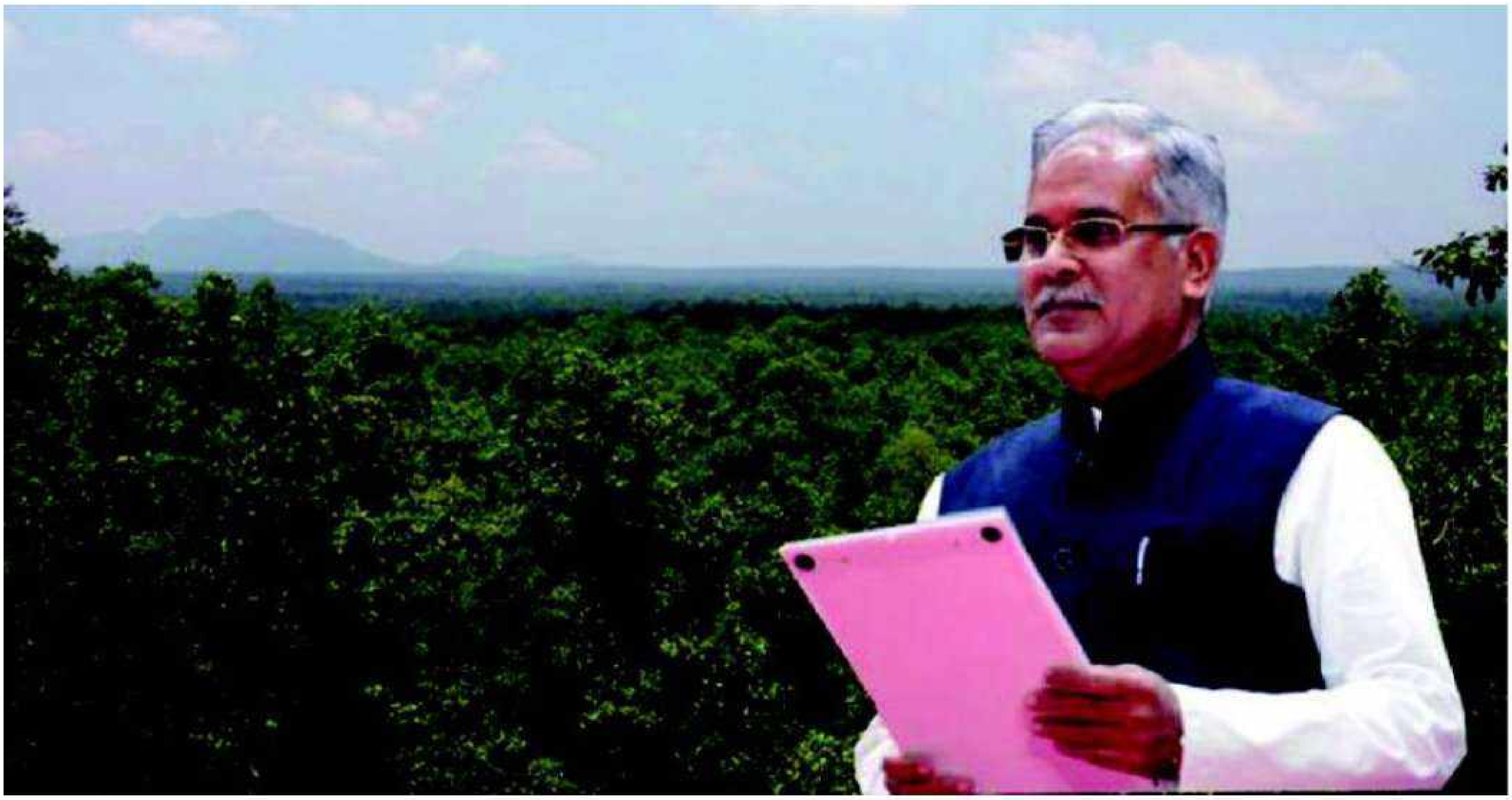

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कथनी और करनी सबके सामने हैं। उन्होंने कैसे एक हरे-भरे और आदिवासियों की आजीविका पर प्रहार करते हुए हसदेव अरण्य जंगल को काटने की अनुमति दे दी है।

जाएगा। स्थानीय लोग और वहां रहने वाले आदिवासी इस आवंटन का विरोध कर रहे हैं।

बीते कई दिनों से राज्य के सरगुजा, सूरजपुर और कोरबा ज़िले के बीस से ज्यादा गांवों के आदिवासी हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खदान खोले जाने के ख़िलाफ़ धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि कोल ब्लॉक के लिए पेसा कानून और पांचवी अनुसूची के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। साथ ही प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। यह पहला मौका नहीं है जब प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों के हकों पर हो रहे अत्याचार पर आवाज नहीं उठाई है। इससे पहले भी सरकार ने जल, जंगल और जमीन के मामलों में उद्योगपतियों का ही पक्ष लिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में करीब एक लाख सत्तर हजार हेक्टेयर में फैले हसदेव अरण्य के वन क्षेत्र में जंगलों पर उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों ने जंगलों को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है।

यह पहला मौका नहीं है जब प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों के हकों पर हो रहे अत्याचार पर आवाज नहीं उठाई है। इससे पहले भी सरकार ने जल, जंगल और जमीन के मामलों में उद्योगपतियों का ही पक्ष लिया है।

दरअसल इस पूरे वनक्षेत्र में कोयले का अकूत भंडार छुपा हुआ है और यही इन जंगलों पर छाए संकट का कारण भी है। पूरे इलाके में कुल 20 कोल ब्लॉक चिन्हित हैं, जिसमें से 06 ब्लॉक में खदानों के खोले जाने की प्रक्रिया जारी है। एक खदान परसा ईस्ट केते बासेन शुरू हो चुकी है और इसके विस्तार के लिए केते एक्सटेंशन के नाम से नई खदान खोलने की तैयारी है। वहीं परसा, पतुरिया, गिधमुड़ी, मदनपुर साउथ में भी खदानों को खोलने की कवायद जारी है। इन परियोजनाओं में करीब एक हजार आठ सौ बासठ हेक्टेयर निजी और शासकीय भूमि सहित सात हजार सात सौ तीस हेक्टेयर वनभूमि का भी अधिग्रहण होना है। खदानों की स्वीकृति प्रक्रियाओं से ग्रामीण हैरान हैं और इसके विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। प्रभावित क्षेत्र के सैकड़ों आदिवासी

Scanned with CamScanner

कभी वोट बैंक तो कभी मनी बैंक क्यों बनते हैं आदिवासी?

छत्तीसगढ़ में जल, जंगल, जमीन का मसला नया नहीं है। विकास के नाम पर संसाधनों की लूट और बर्बादी का आलम यह है कि अपने ही जमीन से बेदखल होते आदिवासियों की पीड़ा सुनने वाला कोई नही है। पिछले कई दशक से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले इन आदिवासियों पर एक-एक कर उनकी आस्था, आजीविका और संस्कृति पर कुठाराघात होते जा रहे हैं। धीरे-धीरे इनके बजूद को ही नष्ट करने पर हमारी राजनीति और प्रशासन अमादा है। लगता है कि देश के विकास का पूरा रोडमेप शायद आदिवासियों के क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। तभी तो कभी विकास के नाम पर तो कभी क्षेत्र की उन्नति के नाम पर निशाने पर आदिवासी ही आते हैं। अब नया मामला सरगुजा जिले में स्थित परसा कोल ब्लॉक का है, जिसमें 2016 से आदिवासी अपने हक और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह कोयला खदान तमाम फर्जी गतिविधियों से गुजरती हुई अडानी को आवंटित हुई है। अडानी ने तो परसा कोल ब्लॉक में आदिवासियों की ही नहीं जल, जंगल, जमीन पर्यावरण सबकी बर्बादी का नया इतिहास लिख दिया। कोल ब्लॉक के इन आवंटनों में शासकीय नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोगों की आजीविका के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। जबकि ये गांव संविधान की पाँचवी सूची में शामिल हैं और पेशा कानून 1996 लागू है। अडानी जैसे एक उद्योगपति के लिये लाखों आदिवासियों की आस्था और संस्कृति को नष्ट करना कहां तक उचित है। सरकारी कोल कंपनियां 12 प्रतिशत आइआरआर (फायदा) पर काम करती हैं। सरकारी कंपनियां ज्यादा लाभ नही लेती। वो इसलिये जरूरी है कि कोयला जरूरत के हिसाब से निकाला जाता है, क्योंकि कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है। खनन की संभावना एक निश्चित सीमा तक है, उसके बाद कोयला खत्म हुआ तो बाहर के देशों पर निर्भर होना पड़ेगा, इसलिये इस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग बहुत ही संचय करके किया जाता है ताकि भविष्य में भारत के बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों का लाभ मिल सके। जबकि निजी हाथों में देने के बाद इस प्राकृतिक संसाधनों की जमकर लूट मचेगी, जो कायेला 200 से 500 वर्ष चलाना है। वह 30 से 35 वर्ष में खर्च कर देंगे तो भविष्य में जरूरतें कैसे पूरी होगी। जापान, अमेरिका, चीन जैसे देश कोयला, लोहा आदि अपने प्राकृतिक संसाधनो का उपयोग क्षेत्रीय स्तर पर करते हैं। वह भी संतुलन के साथ। वह देश अपने देश की संपत्ति बचाकर रखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयले का प्रचुर मात्रा में भण्डार है। प्रदेश में खनिज भण्डार का 17.45 प्रतिशत है। देश में भण्डारण में तृतीय स्थान है। प्रथम स्थान झारखण्ड, दूसरा उड़ीसा। उत्पादन की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश में कुल राजस्व प्राप्ति का कोयला का योगदान 46.84 प्रतिशत है। दिसम्बर 2013 तक प्रदेश में कोयला का उत्पादन 875.91 लाख टन हुआ है। प्रदेश में कोरबा क्षेत्र राज्य के कोयला उत्पादन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये क्षेत्र लगभग 626 वर्ग किमी में फैला हुआ है। इस क्षेत्र के मध्य में हसदेव नदी बहती है। रायगढ़ क्षेत्र कोयला का सबसे अधिक भंडारण क्षेत्र है। इसका 518 वर्ग किमी में फैला हुआ उत्तरीय क्षेत्र है तथा दक्षिण भाग 40 किमी की विस्तार पर फैला हुआ है।

व अन्य ग्रामीण लामबंद होते हुए विगत कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है।

गौरतलब है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश द्वारा साल 2009 में हसदेव अरण्य क्षेत्र को नो गो क्षेत्र घोषित

Scanned with CamScanner

राहुल गांधी के विरोध के बावजूद भूपेश सराकर ने अडानी को दिया है कोयला खदान का ठेका

छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोरबा जिले में गिधामुड़ी और पतुरिया कोयला खदान को गौतम अडानी की कंपनी को देने का निर्णय लिया है। अब अडानी ने भी इस जंगल में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल अडानी को पूरा समर्थन करने में लगे हैं। अडानी की कंपनी अन्य कंपनियों के साथ मिलकर इस कोयला खदान में एमडीओ यानी माइन डेवलपर कम ऑपरेटर के तौर पर कोयला खनन का काम कर रही है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी एमडीओ के तौर पर कोयला खनन का विरोध करती रही है और इसे बड़ा भ्रष्टाचार बताती रही है। यहां तक कि पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कोयला खनन के इलाके में जाकर ग्रामसभा के मुद्दे पर राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने भी कोयला खनन के लिए एमडीओ का रास्ता अपनाते हुए अडानी को ही चुना है। राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर आरंभ से ही उद्योगपति गौतम अडानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते आ रहे हैं। यह भी कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के लिए नीतियां बनाती है। सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस एमडीओ के तौर पर कोयला खनन का विरोध करती रही है और इसे बड़ा भ्रष्टाचार बताती रही है, यहां तक कि राहुल गांधी खुद कोयला खनन वाले इलाकों में जाकर राज्य की रमन सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने का काम करते रहे हैं, ऐसे में अब उनकी सरकार अडानी को कोयला खनन के लिए क्यों चुना जाता है? छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को इस निर्णय पर विचार करना चाहिए था क्योंकि जब वह सत्ता में नही थे तो इसका विरोध करते थे अब सत्ता में है तो पक्ष में आ गये। राहुल गांधी क्या, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी भी आदिवासियों के हित के लिये ऐसा कदम नही उठाते थे जिससे आदिवासियों को नुकसान हो। आखिर आदिवासी उनके ही प्रदेश के हैं। केन्द्र सरकार अडानी पर मेहरबान है तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसा ही करेगी।

किया गया था। हालांकि साल 2011 में परसा ईस्ट केते बासेन और तारा कोल ब्लॉक में खनन की अनुमति यह कहते हुए दी कि ये बाहरी भाग में हैं और इनमें खनन परियोजनाओं से जैव विविधता को ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, पर इसके बाद किसी भी अन्य परियोजना को अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी फिर से इस क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। प्रस्तावित परियोजनाएं सरगुजा, सूरजपुर और कोरबा जिले के अंतर्गत हैं। तीनों ही जिले पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र हैं, जहां पेसा कानून 1996 का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में ग्रामसभा का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। पूरे क्षेत्र की 20 ग्राम सभाओं ने अक्टूबर 2014 में कोल परियोजनाओं के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था। इस परियोजना के लिए फर्जी ग्रामसभा के माध्यम से अनुमति की प्रक्रिया की गई है जबकि इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर सरगुजा से की गई है पर इस मामले में कार्रवाई तो दूर जांच तक नहीं की गई है। वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने की मंशा रही है। इस कानून की धारा 4 (5) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश (30 जुलाई 2009) के अनुसार जब तक वन संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों के मान्यता की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती और संबंधित ग्रामसभा की लिखित सहमति नहीं मिल जाती है, तब तक किसी भी परियोजना के लिए वन भूमि का डायवर्जन नहीं हो सकता है।

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार दागियों के परिवारों पर भी मेहरबान

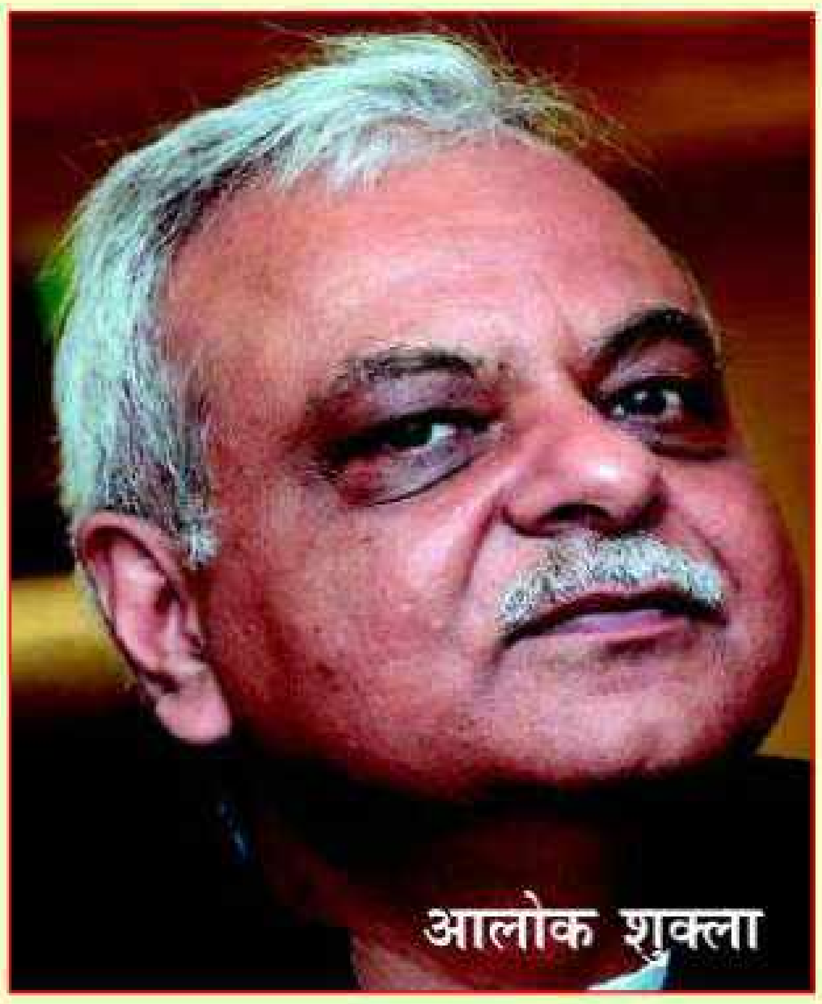
आलोक शुक्ला

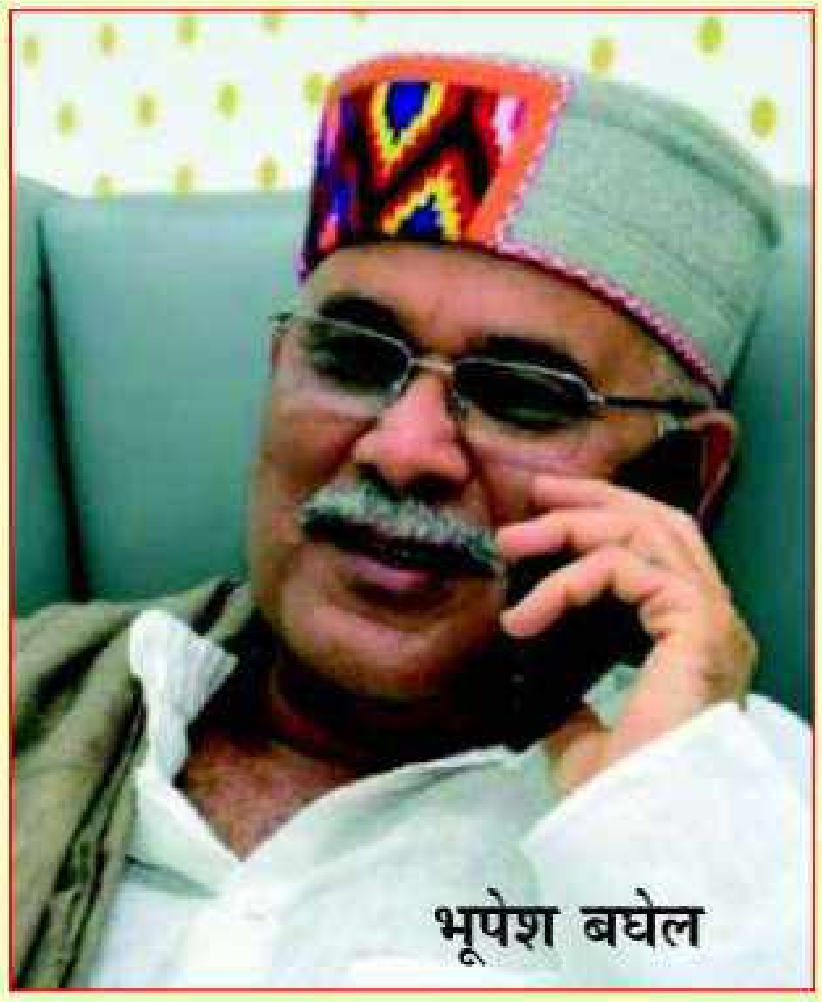
भूपेश बघेल

रेखा शुक्ला

2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनते ही मानो प्रदेश में दागियों और भ्रष्टाचारियों की जैसे लॉटरी निकल गई हो। पहले तो प्रदेश में दागियों को उपकृत कर सरकार की अहम जिम्मेदारियां दी गई, बाकी रही सही कसर उनके परिवारजनों को तमाम नियम शिथिल कर मलाईदार पदों पर आसीन कर दिया। यहां हम बात आलोक शुक्ला की पत्नी रेखा शुक्ला की बात कर रहे हैं जिन्हें छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी से सर्वोच्च वेतन पर छत्तीसगढ़ खादी एवक ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक पद पर नियुक्त किया है। रेखा शुक्ला इससे पहले दिल्ली में किसी कंपनी की महाप्रबंधक पद पर आसीन थी। आश्चर्य की बात है जहां देश के मुख्य न्यायाधीश की तनख्वाह 2.80 लाख प्रति माह है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की मासिक तनख्वाह 2.50 लाख है और प्रदेश के मुख्य सचिव की तनख्वाह 2.25 लाख प्रति महीना है वहां रेखा शुक्ला का मासिक वेतन वित्तीय वर्ष 2021-22 में 34.42 लाख का भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया गया जो की प्रति माह 3,14,819.00 प्रति महीना बनता है जो कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वही रेखा शुक्ला के पति आलोक शुक्ला अभी सरकार के प्रमुख सचिव पद पर आसीन है और वो 36000 करोड़ के नान घोटाले के मुख्य अभियुक्त भी है। निश्चित है इनकी नियुक्ति में नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। नान घोटाले के अभियुक्तों के परिवारों पर भूपेश बघेल की मेहरबानी समझ से परे हैं। भूपेश बघेल की इसी शासक प्रणाली को लेकर चारो और किरकिरी हो रही है। कभी अपनों से तो कभी विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। भ्रष्टाचार, अत्याचार और अनैतिक कामों में बघेल ने महारत हासिल की है।

Scanned with CamScanner

आजादी के बाद देश में पहली बार इनकम टैक्स ने भूपेश बघेल की चांडाल चौकड़ी पर दर्ज किया है आपराधिक मामला

अनिल टुटेजा

सौम्या चौरसिया

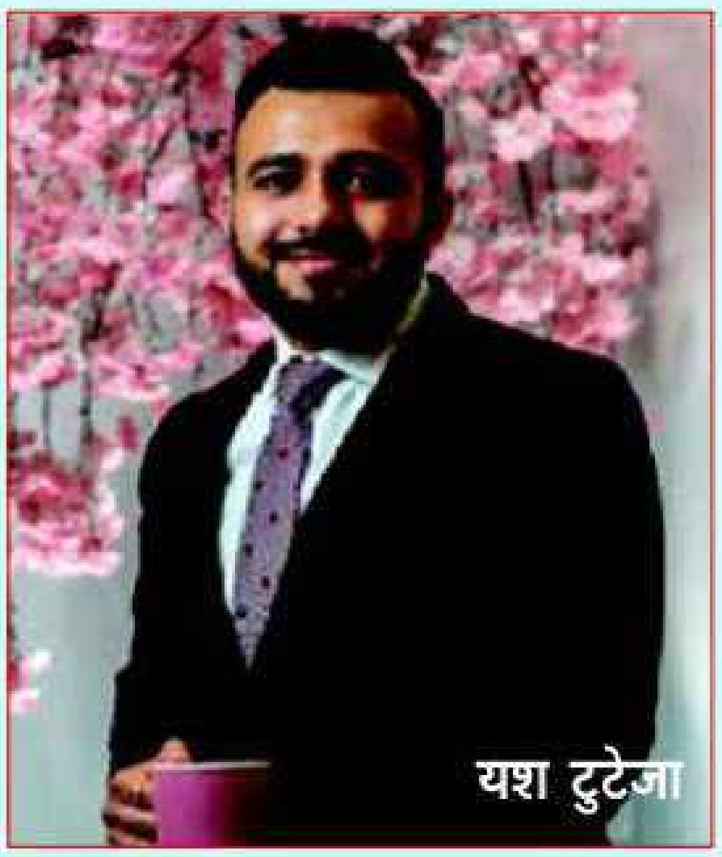
यश टुटेजा

छत्तीसगढ़ के लिए 11 मई 2022 बड़ा ही शर्म का दिन रहा है। भारत में भ्रष्टाचार के इतिहास में आयकर विभाग ने पहली बार आजाद भारत में किसी पर आपराधिक श्रेणी मामला दर्ज किया है। आयकर विभाग ने देश में आजतक जितने भी मामले दर्ज किए हैं वो सिविल श्रेणी में आते थे पर छत्तीसगढ़ के इस मामले में उसने क्रिमिनल केस तीस हजारी कोर्ट में मामला दर्ज करवाया है।

इसी साल ईडी आयकर के जो छापे पड़े खासतौर पर भूपेश बघेल के खास कोटरी के लोगों पर थे। कई बार सरकारें केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग अपनी विपक्षी सरकारों को डराने के लिए करती हैं जिसका एक उदाहरण देश का नेशनल हेराल्ड केस है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रेशर में लाने के लिए कार्यवाही की गई। कोई ठोस मामला नहीं है इसलिए सरकार अभी तक ढंग की चार्टशीट प्रस्तुत नहीं कर पाई और ना कर पाएगी क्योंकि मामला सिर्फ राजनैतिक है। पर छत्तीसगढ़ के छापे इस मामले में अपवाद रहे हैं। कार्यवाही तो प्रेशर में लाने के लिए की गई पर जब कागज और मनी ट्रेल सामने आए तो एजेंसियों के होश फाख्ता हो गए। ताबड़तोड़ इस ऐतिहासिक लूटने खिलाफ आयकर और ईडी ने अब चार्टशीट प्रस्तुत करने जा रही है। इसी कड़ी में आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में प्रकरण क्रमांक 128612022, सीएनआर नंबर DLCT020128622022 को दिनांक 11 मई 2022 को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 276 C(1),277,278,278 E के तहत आपराधिक मामला सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा उनके पुत्र यश टुटेजा, अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, विकास अग्रवाल, सुब्बू, विकास अग्रवाल (सीए), मनदीप चावला आलियास मैंडी, मे. लिंगराज सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड, सौरभ जैन, वैभव सलूजा, अशोक कुमार अग्रवाल, गरिमा शर्मा, स्वाति अग्रवाल और निशी अग्रवाल समेत 15 लोगों पे आपराधिक मामला दर्ज करवाया है। इस मामले का कुल लब्बोलुबाब यह है कि आने वाले दिन भूपेश बघेल और उनके साथियों के लिए अच्छे नहीं हैं। वैसे भी जो ऐतिहासिक लूट छत्तीसगढ़ में मची थी और है उसका अंत ऐसे ही होगा।

Case History
Chief Metropolitan Magistrate Central, THC
Add Note

Case Details

Case Type	CL Cases
Filling Number	12861/2022
Filling Date	11-05-2022
Registration Number	1163/2022
Registration Date	18-05-2022
CNR Number	DLCT020128622022

First Hearing Date	03-06-2022
Next Hearing Date	11-10-2022
Case Stage	Misc./Appearance
Court Number And Judge	496-Addl. Chief Metropolitan Magistrate

Petitioner And Advocate

1) INCOME TAX OFFICE
Advocate - MANMEET SINGH ARORA

Respondent And Advocate

1) ANIL TUTEJA
2) SH YASH TUTEJA
3) SMT SAUMYA CHAURASIA
4) SH ANWAR DHEBAR,
5) SH NITESH PUROHIT
6) SH VIKAS AGARWAL @ SUBBU
7) SH CA VIKAS AGARWAL
8) SH MANDEEP CHAWLA ALIAS MANDY
9) M/S LINGRAJ SUPPLIERS PVT LTD
10) SH SAURABH JAIN

Scanned with CamScanner

क्या खीज में भूपेश बघेल ने दी केंद्रीय एजेंसियों को कार्यवाही की धमकी बेटे को एजेंसियो में फंसता देख मुख्यमंत्री हो रहे हैं चिंतित?

राजनीति में एक कहावत है कुर्सी में बैठे नेता किसी के सगे नहीं होते। जब भूपेश बघेल विपक्ष में थे, सबका आदर करते थे, पर सत्ता पर बैठते ही उनके हाव भाव के साथ नियत भी बदल गई। जिन व्यक्तियों से पहले भूपेश बघेल को परहेज था। किसी लालच वश मुख्यमंत्री बनते ही वो दरबारी हो गए। अपने आसपास भूपेश बघेल ने भ्रष्ट अधिकारियों, पत्रकार, सलाहकार एवं दलालों की ऐसी चांडाल चौकड़ी बनाई जिसने छत्तीसगढ़ प्रदेश के लूट, दमन अत्याचार का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। जिस भी पत्रकार, विचारक ने इसके खिलाफ लिखा उस पर मामले दर्ज करवा दिया। आर्थिक नुकसान करवाया और गिरफ्तार तक करवाया। पर कहते हैं ना, समय में पंख लगे रहते हैं। चार साल निकल गए और इनके कुकर्म के फल अब आने चालू हो गए हैं। नान घोटाले में 12 अक्टूबर को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई है। मुख्यमंत्री खुद की और उनके सलाहकार रिश्तेदार विनोद वर्मा की भी लिस्टिंग नजदीक है। इसके साथ-साथ आयकर के क्रिमिनल मामले में तीस हजारी कोर्ट में 12 अक्टूबर को सुनवाई है। साथ-साथ आशीष चतुर्वेदी मामले में सुप्रीम कोर्ट में इनके खास लोगों पर केस चालू हो गया। इसके साथ ही जैसे ही खबर लगी कि केंद्रीय एजेंसी मुख्यमंत्री के अभिन्न मित्र पप्पू ढिल्लो को बुलावा भेजा तो भूपेश बघेल ने झिल्लाहट में केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ केस दर्ज करवाने की धमकी दे दी। खैर वो मुख्यमंत्री हैं, किसी को भी जेल में डलवा सकते हैं पर न्यायपालिका भी ऊपर बैठी हुई है। इनके प्रयासों से और सूर्यकांत तिवारी के जीजाजी जो कि विधि सचिव भी हैं छत्तीसगढ़ स्थित पूरी यूडिशियरी को मैनेज करवा लिया। पर कहते हैं ना पियाले में पैमाने से ऊपर पानी डालो तो वो झलकने लगता है वैसा ही हाल अब छत्तीसगढ़ में भूपेश और उनकी चौकड़ी का हो गया है। मुख्यमंत्री साहब शायद यह भूल गए कि जो जिले एसपी, ईओडब्लू आदि पुलिस के आईपीएस स्तर के अधिकारी राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र के डीओपीटी के अधीन भी आता है।

सेंट्रल एजेंसियों से प्रताड़ना की शिकायत मिली, तो कार्रवाई: भूपेश

सीएम की दो टूक: जांच एजेंसियों के अफसर यहां आकर धमकाएं, चमकाए, ये ठीक नहीं

भूपेश ने कहा- यहां आकर धमकाने की शिकायतें मिल रहीं

सेंट्रल एजेंसियां अपने उद्देश्यों से भटक गई हैं

चिटफंड में मनी लॉड्रिंग कार्रवाई क्यों नहीं

सेंट्रल एजेंसियां आएं उनका स्वागत है लेकिन...

भूपेश बघेल की एक चिंता अपने बेटे चैतन्य बघेल बिट्टू को लेकर भी है। सूत्रों के मुताबिक बिट्टू का नाम और उनको केंद्रीय एजेंसियों की जांच में लाने का श्रेय भी इनके खास लोगों पर हो जाता है। इसको लेकर इनकी खास महिला अधिकारी ने कैबिनेट में भी कहा था पर उल्टा उन्होंने ने मुख्यमंत्री पुत्र को हाईलाइट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक भूपेश बघेल इस समय इन सब में इतने परेशान हैं कि अदालती कार्यवाही को मैनेज करने के लिए 1000 करोड़ फंड तक रखा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को लेकर ईडी के उच्च स्तर के अधिकारी से बात भी की जिसमें उन्होंने बाकी लोगों पर उचित कार्यवाही करने पर पुत्र को ना घसीटने की बात कही। वो बात अलग है कि इस बात की जानकारी इनकी चौकड़ी को भी है। खैर कोई भी अब मुगालते में ना रहे क्योंकि सरकार जिस जोर के साथ आती है उतनी खामोशी के साथ चली जाती है और प्रदेश में एक्टिव गवर्नेंस के अब बारह महीने से कम समय बचा हुआ है।

Scanned with CamScanner

क्या देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने छत्तीसगढ़ की छवि एट्रोसिटी प्रदेश की बन गई है?

सुप्रीम कोर्ट ने अशोक चतुर्वेदी को राहत देते हुए सौम्या चौरसिया, अभिषेक माहेश्वरी, अशोक जुनेजा, आनंद छाबरा, सुब्रत साहू समेत अन्य को दिया है नोटिस

छत्तीसगढ़ में नित नए हो रहे कारनामें भूपेश बघेल सरकार को सुर्खियों में ला रहा है। प्रशासनिक स्तर भी इससे अछूता नहीं है। जो परिपाटी सीएम बघेल ने अपनाई है वही परिपाटी यहां के अफसरों ने अपना ली है। इन्हें नियम कायदों का भी डर नहीं है।

जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में सरकारी मशीनरी जैसे आईएएस, आईपीएस और स्टेट सर्विस के अफसरों का उपयोग प्रताड़ना देने के लिए किया है उसकी कल्पना भारत देश में नहीं की जा सकती है। वास्तव में छत्तीसगढ़ में अघोषित इमरजेंसी लागू है जो सीएम भूपेश बघेल या उसकी चौकड़ी के खिलाफ जाता है उसे प्रताड़ित कर कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। चाहे मेरा खुद का अनुभव हो या मेरे जैसे कई पत्रकारों का, एक्टिविस्ट का, वकीलों का या सरकार में

Scanned with CamScanner

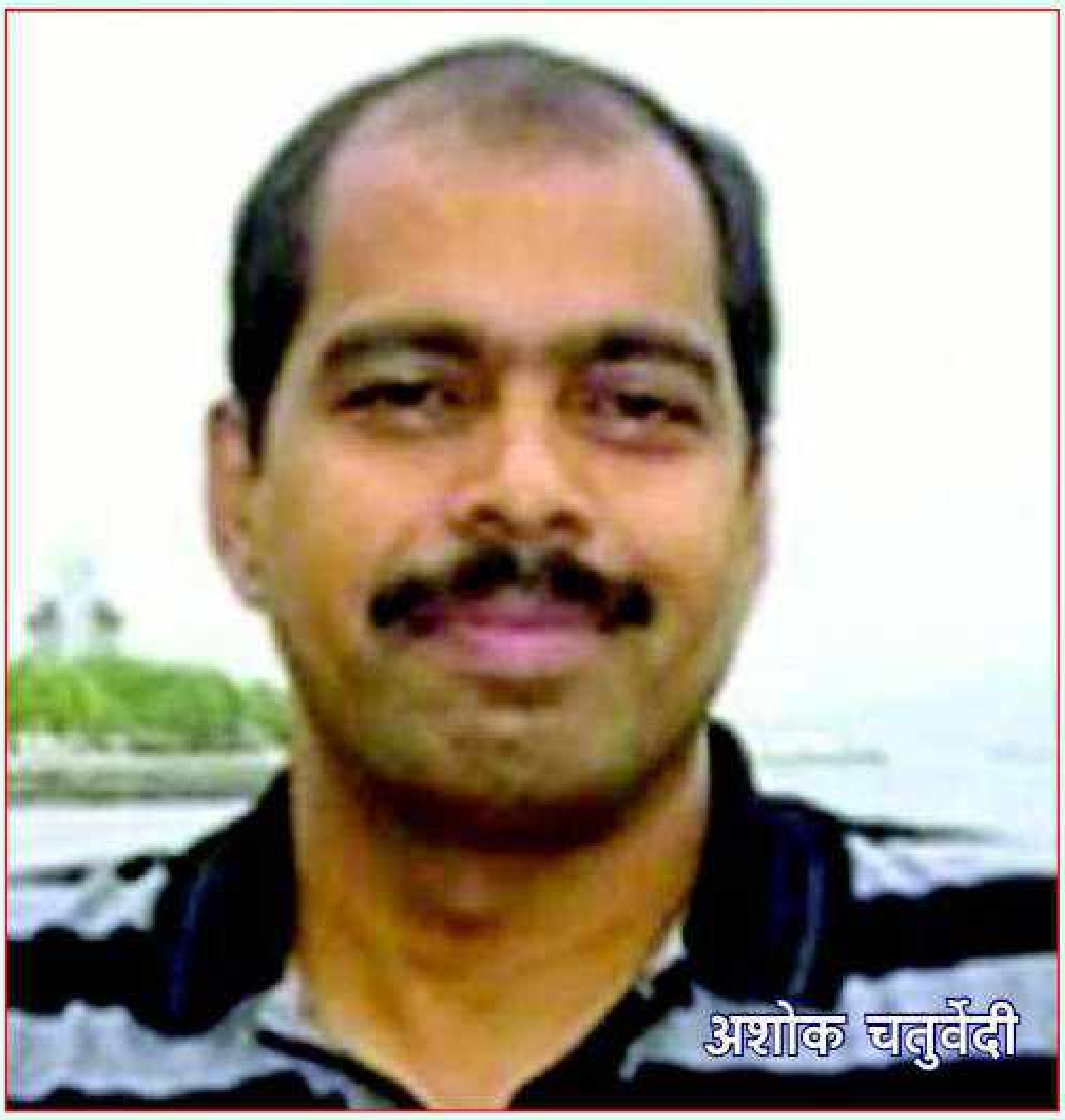
अशोक चतुर्वेदी

प्रदेश में ईमानदार अफसरों की मानो जैसे शामत सी आ गई है। कोई भी अफसर या कर्मचारी सरकार या शासन के मनमुताबिक काम नहीं करता उसे तरह–तरह से प्रताड़ित किया जाता है। जेसे छग पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अफसर अशोक चतुर्वेदी के साथ हो रहा है। चतुर्वेदी को इतना प्रताड़ित किया कि इन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने भी चतुर्वेदी की फरियाद पर प्रदेश के उच्च अधिकारियों को तलब करते हुए नोटिस जारी किया।

छत्तीसगढ़ में सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है। भय, आतंक और भ्रष्टाचार में साथी न बनना, मुसीबत में पड़ना है।

बैठे अधिकारी या कर्मचारी को इनके कारनामे उजागर करता है या इनको चोरी में शामिल नहीं होता उसकी मिटाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी का उपयोग मुख्यमंत्री करवाते हैं। अभी ताजा मामला छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अफसर अशोक चतुर्वेदी और उनके परिवार को प्रताड़ित करने से जुड़ा है। बताया जाता है कि एक फर्जी प्रकरण तैयार कर पुलिस ने अशोक चतुर्वेदी के आवास पर दबिश दी थी, उनके परिजनों को घंटों नजरबन्द रखा गया था, पुलिस कर्मी बगैर नोटिस और सर्च वारंट के उनके आवास में धमक देते थे। ख़ुफ़िया विभाग ने चतुर्वेदी और उनके परिजनों को सर्विलांस पर रख दिया। उनके खिलाफ मामले बनाए जाने लगे जिसके बाद अशोक चतुर्वेदी ने सर्वोच्च अदालत का रुख किया। वहां सरकार के कारनामे सुनकर सुप्रीम कोर्ट हैरत में था । ऐसे अफसरों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। फिलहाल उसने इन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आधा दर्जन से ज्यादा अफसरों को नोटिस जारी किया है। इन अफसरों को तलब किए जाने के पीछे उनकी आपराधिक कार्यशैली चर्चा में है।

सुप्रीम कोर्ट ने जिन अफसरों को नामजद तलब किया है, उसमे पहला नाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खासमखास उपसचिव सौम्या चौरसिया, एएसपी अभिषेक माहेश्वरी, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, वरिष्ठ आईएएस और ए.सी.एस. सुब्रत साहू को नामजद नोटिस जारी हुआ है। जबकि आईपीएस आनंद छाबड़ा, डी.जी.पी. अशोक जुनेजा व अन्य थानेदारो को पदनाम से नोटिस जारी किया गया है।

बताया जाता है कि पीड़ित पक्ष ने इन अफसरों की कार्यप्रणाली पर आपत्ति

Scanned with CamScanner

कहा जा सकता है कि प्रदेश में एक पूरा का पूरा गिरोह अराजकता और आतंक के लिए काम कर रहा है। जो पूरी तरह से भूपेश बघेल के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख भूमिका यहां की चांडाल चौकड़ी की है, जो सीएम को इस तरह की सलाह देते हैं और प्रदेश की छवि खराब करते हैं।

सौम्या चौरसिया

अभिषेक माहेश्वरी

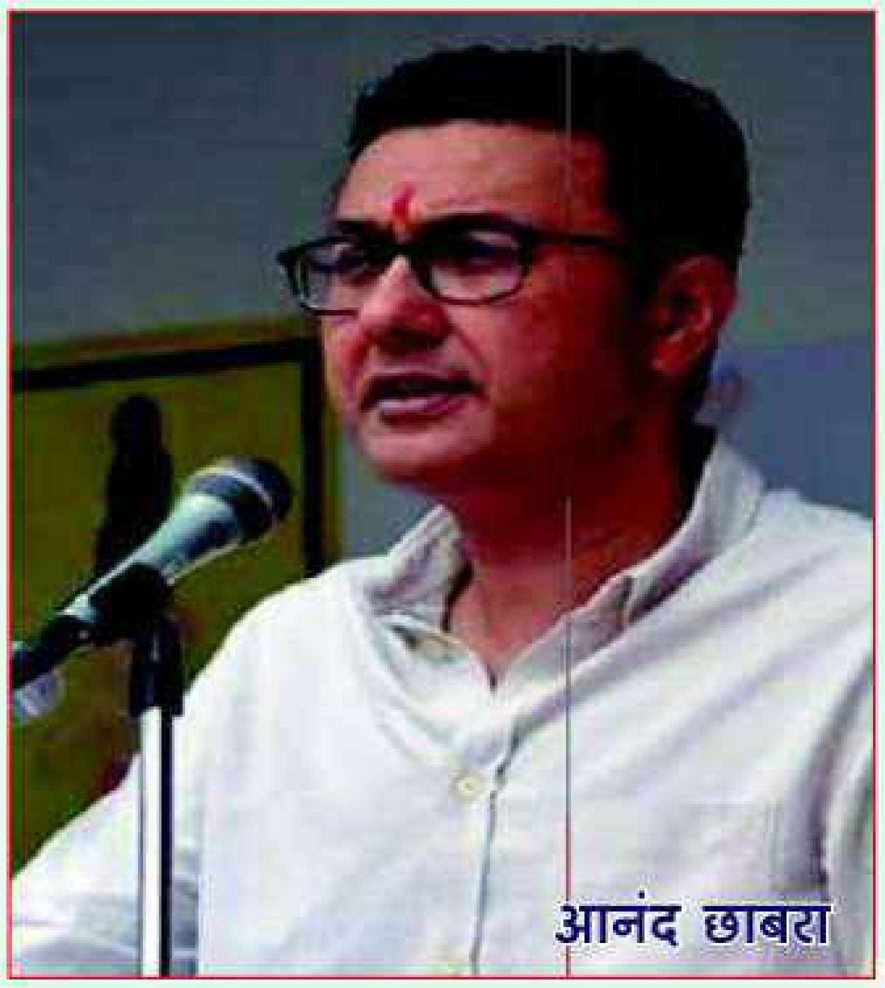
आनंद छाबरा

अधिवक्ता आशुतोष पांडेय

जताते हुए, उन्हें आपराधिक षड़यंत्र में शामिल होना बताया है। आरोप लगाया गया है कि ये अफसर सिविल सेवा आचरण संहिता की सरेआम धज्जियाँ उड़ा रहे है। बताया जाता हैं कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के तत्कालीन अफसर अशोक चतुर्वेदी को प्रताड़ित करने के लिए उक्त तमाम अफसरों ने अपने पद और प्रभाव का बेजा इस्तेमाल किया। इन अफसरों ने किसी गिरोह की तर्ज पर अशोक चतुर्वेदी के आवास पर बार -बार दबिश दी। इसके लिए कई थानों के पुलिस अफसरों को मैदान में उतारा गया था। अशोक चतुर्वेदी के आवास में निवासरत कर्मियों को अमानवीय यातनाए दी गई थी। सूत्रों के अनुसार अशोक चतुर्वेदी के मोबाइल फोन की अवैध रूप से रिकॉर्डिंग भी की गई थी। ताकि उनकी लोकेशन समेत तमाम गतिविधियों को मॉनिटर किया जा सके। अशोक चतुर्वेदी ने उन अफसरों के गैर कानूनी कृत्यों से घटनावार सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया है। उधर अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के वकीलों की फौज नदारद बताई जा रही है।

बताया जाता है कि राज्य शासन और आरोपी अफसरों की ओर से वकीलों के पेश नहीं होने के चलते सुनवाई अगली तिथि तक खिसक गई। सुप्रीम कोर्ट में अशोक चतुर्वेदी की ओर से पैरवी कर रहे छत्तीसगढ़ के चर्चित वकील आशुतोष पांडे ने मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के सरंक्षण में अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों की मनमानी सिविल सेवा आचरण संहिता का खुला उल्लंघन है।

उनके मुताबिक याचिका में सबूत पेश करने से अपराधों में भागीदार अफसरों की कलई खुल गई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के समक्ष अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों की कार्यप्रणाली का अभी नमूना मात्र पेश किया है। आगे जो सबूत पेश करेंगे वे ऐसे अफसरों के लिए सबक होगा। फिलहाल कोर्ट का नोटिस चर्चा में है।

खैर छत्तीसगढ राज्य में झूठे प्रकरण बनाकर एट्रोसिटीज में देश में अग्रणी राज्य बन गया है। इन अधिकारियो को याद रखना चाहिये कि प्रदेश सरकार के चार साल खत्म होने को हैं और घनघोर अंधेरा के बाद उजाला होता ही है।

Scanned with CamScanner

वायु प्रदूषण : जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरनाक !!

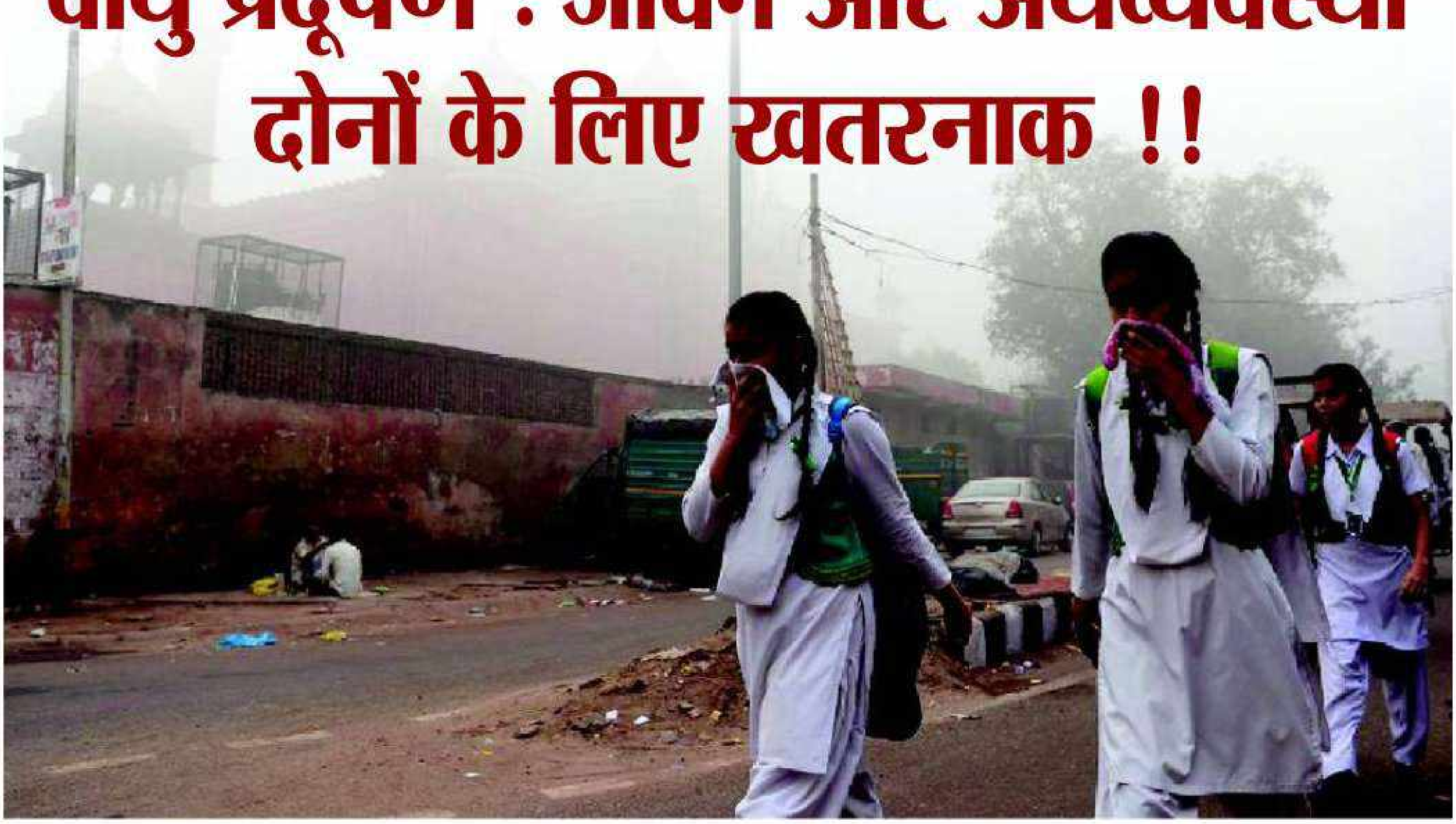

प्रशांत सिन्हा

ठंड दस्तक देने लगी है और इसके साथ दिल्ली एवं देश के अन्य प्रदेशों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की हवा तेजी से दूषित होनी शुरु होगी। पिछले साल के नवंबर में भोपाल, इंदौर ग्वालियर सहित 7 शहरों का वायु प्रदूषण स्तर यानी AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 300 से ऊपर पहुंच गया है जो बहुत खराब माना जाता है।

अगर 15 साल के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो यह निकलता है कि हर 5 साल में मध्य प्रदेश की हवा दोगुना दूषित होती जा रही है। यदि इसी रफ्तार से प्रदूषण होता रहा तो अगले 5 साल में यहां की हवा दिल्ली से बदतर हो जाएगी।

लोगों को समझना होगा कि ठंड के दौरान जब हवा में नमी रहती है तो वायु प्रदूषण धूल व ट्रैफिक से ज्यादा होता है। धूल व धुआं के पार्टिकल ऊपर न जाकर नमी के कारण सीमित दायरे में ही रह जाते हैं, इससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। पीएम 2.5 के स्तर के जो बारीक कण धूल वह सांस के जरिए शरीर के अंदर पहुंच कर फेफड़े व हार्ट को इफेक्ट करते हैं। इसलिए लंग्स और सांस से जुड़ी परेशानी वाली मरीजों के लिए यह बहुत नुकसानदायक है।

उल्लेखनीय है कि 0 और 50 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा 51 और 100 के बीच संतोषजनक 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब 401 से 500 के बीच बेहद खराब और 500 के ऊपर गंभीर माना जाता है।

विडंबना यह है कि कोई भी राजनीतिक दल इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखाती। तभी तो यह समस्या वर्षो से खड़ी है। केवल वे आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। प्रदुषण खत्म करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लेकिन परिणाम कुछ नही निकलता। सभी राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि हवा धर्म, जाति, सीमा आदि नही देखती। यह जहरीली हवा सबके लिए खतरनाक है।

वायु प्रदूषण जहर का काम कर रहा है जो धीरे धीरे मनुष्य के शरीर को क्षति पहुंचाता हुआ उम्र को कम करता जा रहा है। गंदी हवा गैसों और कणों का जटिल मिश्रण है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2.5 कण जिनमे से कुछ इतने छोटे होते हैं कि वे रक्त प्रवाह मे चले जाते है जो बहुत घातक होते हैं। 2019 मे वायु प्रदूषण घर के अंदर और बाहर, दुनिया भर मे लगभग सात करोड़ मौतों मे योगदान देने अनुमान है जो वैश्विक मृत्यु दर का लगभग 12 प्रतिशत है।

इसका असर शरीर के विभिन्न प्रणाली को प्रभावित करता है। सल्फर एइऑक्साइड और नाइट्रोजन

Scanned with CamScanner

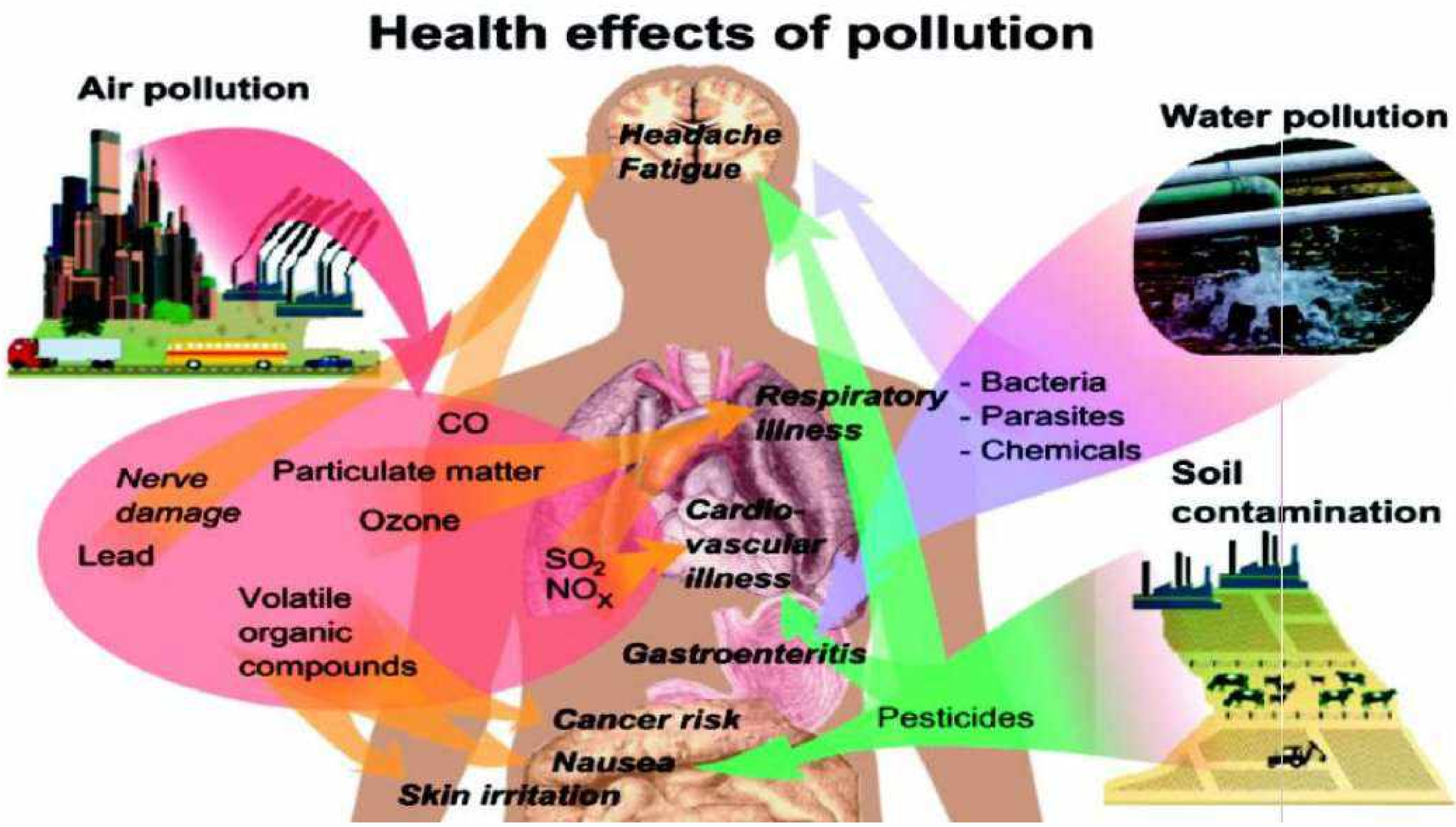

डाइऑक्साइड के लंबे समय तक सम्पर्क में रहने से संज्ञात्मक गिरावट हो सकती है। मस्तिस्क की संरचना मे परिवर्तन से अल्जाइमर रोग का खतरा बढ़ जाता है।

तंत्रिका प्रणाली (Nervous System) : प्रदूषण न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों और पार्किनसन्स से होने वाली मौतों से जुड़ा हुआ है। कण केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र की यात्रा कर सकते हैं और प्रतिरक्षा प्रतियि को सयि कर सकते हैं।

हृदय प्रणाली (Cardio Vescular System) संसर्ग हृदय रोगों से मृत्यु के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है जिसमें कोरोनरी धमनी रोग, दिल का दौरा, आघात और रक्त के थक्के शामिल हैं।

श्वसन प्रणाली (Respiratory System) प्रदूषण वायु मार्गो को परेशान कर सकता है और सांसों की तकलीफ, खांसी, अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। यह Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) में खतरे को बढ़ा सकता है।

अंतः स्त्रावि तंत्र (Endicrine System) कण प्रदूषण एक अंत स्त्रावी अवरोधक है जो मोटापा और मधुमेह जैसे रोग होते हैं। दोनों हृदय रोग के लिए जोखिम है। गुर्दे की प्रणाली (Renal System) लम्बे समय तक सूक्ष्म कणों में वायु प्रदूषण के संपर्क मे रहने से ॉनिक किडनी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। शहरी क्षेत्रों में गुर्दे की बीमारी की दर सबसे अधिक है।

प्रजनन प्रणाली (Reproductive System) प्रदुषण कम, प्रजनन क्षमता और असफल गर्भधारण से जुड़ा हुआ है। प्रसव पूर्व संसर्ग से समय से पहले जन्म, जन्म के समय वजन और सांस की बीमारियां हो सकती हैं।

प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। 1919 मेडिकल जर्नल लॉसेंट मे प्रकासित एक अध्ययन के मुताबिक़ तीन दशक में सांस की बीमारी Chronic Obstructive Pulmonary Disease से पीड़ित मरीजों की संख्या देश में करीब 4.2 प्रतिशत व 2.9 प्रतिशत लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। इसका सबसे बड़ा कारण प्रदूषण को माना गया है। प्रदूषण के कारण कम उम्र के लोगों में भी फेफड़े का कैंसर देखा जा रहा है। जो लोग धुम्रपान नही करते वे भी फेफड़े के कैंसर का शिकार हो रहे हैं।

इस प्रदूषण से जान का नुकसान ही नही हो रहा है। माल का भी नुकसान हो रहा है। देश भर में वायु प्रदूषण से अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर और ग्रीन पीस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था को 1.05 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। यदि सकल घरेलू उत्पाद के रूप मे देखे तो यह नुकसान कुल जीडीपी के 5.4 फ़ीसदी के बराबर है। इसके अलावा इस प्रदुषण से हुए बीमारी के कारण देश में हर साल 49 करोड़ काम के दिनों का नुकसान हो रहा है।

Scanned with CamScanner

रेलवे के जन विरोधी फैसले

रघु ठाकुर

भारतीय रेलवे क्रमशः निजी रेलवे और कॉरपोरेट रेलवे में तब्दील हो रही है। सत्ता के ऊपर के केन्द्रों से क्रमशः रेलवे का अंग भंग किया जा रहा है। सरकारी रेलों को बंद कर और यह कहकर की यह घाटे में चल रही हैं, उनके नाम पर निजी मालिकों की रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। माल ढुलाई के क्षेत्र में तो स्थिति यह है कि अधिकांश मालगाड़ियां अडानी-अम्बानी के नाम लिखे डिब्बों की चल रही हैं। रेल अफसरों का तंत्र गुलाम मानसिकता का है और वह पुनः मालिकों की भाषा और इशारे को बेहतर समझता है। जिस प्रकार आमतौर पर सामान्य जीवन में हम लोग वी.आई.पी. या वी.वी.आई.पी. महानुभावों को देखते हैं कि हर जगह उन्हें प्राथमिकता से विशेष प्रवेश मिलता है। कभी-कभी तो उन्हें अलग दरवाज़े निश्चित कर दिये जाते हैं जहां से केवल वही गुजर सकते हैं। राज्य या केन्द्र के मंत्रालयों में जनता की लिफ्ट अलग होती है। और मंत्री तथा अफसरों की लिफ्ट अलग होती है। संसद में सांसदों के प्रवेश द्वार और मंत्रियों के प्रवेश द्वार अलग-अलग होते हैं, तथा आम आदमी या दर्शक को तो संसद में प्रवेश करना स्वर्ग में प्रवेश के समान होता है। भारत के हवाई अड्डों पर वी.वी.आई.पी. लोगों के लिये ना केवल अलग प्रवेश द्वार होते हैं, बल्कि अलग बैठक खाने जिन्हें वी.आई.पी. लोंज कहते हैं, बनाये गये हैं उसी प्रकार रेलवे के विशेषतः बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन पर भी विशिष्ट और अतिविशिष्ट जनों के कक्ष

Scanned with CamScanner

अलग होते हैं। जो वातानुकूलित होते हैं। उनमें प्रवेश करना भी कठिन होता है। कौन विशिष्ट है और कौन नहीं इसका निर्णय उप स्टेशन अधीक्षक करते हैं। मंत्री ओर विधायक तो छोड़िये अगर उनके परिजनों के साथ 10, 20 हुल्लड़बाजों की टीम आती है, तो वह भी वी.आई.पी. होते हैं। और अगर कभी हम जैसे सामान्य लोग पहुंच जाये तो पहले उप अधीक्षक या चाबी के मालिक कर्मचारी के समक्ष सिद्ध करना पड़ता है की अंदर प्रवेश करने के अधिकार की पात्रता है। यहां तक की मंदिरों में दर्शन करने वाले भक्तों में भी पद और पैसे के आधार पर फर्क किया जाता है। आम कहावत है कि भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं, परन्तु यह जमीनी सच नहीं है। ज़मीनी सच तो यह है कि भगवान पर पहला अधिकार सत्ताधीशों का फिर अफसरों का फिर पैसे वालों का ही होता है, बेचारे गरीब तो एक कि.मी. दूर से ही दर्शन कर अपने आप को धन्य मान लेता है। रेलवे में भी यह स्थिति न केवल यात्रियों में बल्कि रेल गाड़ियों में भी है। अगर अडानी, अम्बानी की रेल गाड़ियां जा रही हों तो शायद केवल राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर बकाया सब गाड़ियों को रोक दिया जाता है और अडानी, अम्बानी की माल गाड़ी को निकाला जाता है।

रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालयों को न केवल आजाद भारत की सरकारों में बल्कि साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत में भी विशेष महत्व दिया था और इसीलिये रेल बजट आम बजट से पृथक होता था। परन्तु नरेन्द्र मोदी सरकार ने पृथक रेल बजट की परंपरा को ही समाप्त कर आम बजट में शामिल कर दिया और एक प्रकार से भारतीय रेलवे को उन गुलाम नौकरशाहों के अधीन कर दिया जिनका मूल सिद्धांत ही होता है ऊपर वालों को हाँ और नीचे वाले को ना। अब स्थिति यह है कि रेल के बड़े-बड़े तकनीकी जानकार उन अफसरों के सामने गिड़-गिड़ाने को लाचार होते हैं। जो रेल और रेल की तकनीक के बारे में कुछ भी नहीं जानते।

भारत सरकार की नीति यह लगती है कि क्रमशः नीचे से रेल सुविधायें समाप्त करो और इसके लिये आमजन की उपयोग वाली रेलों को बंद करो जो भारतीय रेलवे देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों, छात्रों, बेरोजगारों, की जरूरत की पूर्ति के लिये बनाई थी अब वह केवल बड़े और विशिष्ट

Scanned with CamScanner

तबके के लिये मुनाफे तथा मुनाफे की कंपनी में तब्दील की जा रही है। पिछले दिनों अलग-अलग रेल मंडलों के द्वारा उन गाड़ियों की सूची अखबारों में छापी गई है, जो रेल के अधिकारियों के मुताबिक घाटे में चल रही हैं, जबकि इससे बड़ा झूठ कोई दूसरा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिये भोपाल रेल मण्डल की रानी कमलापति जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, भोपाल-दमोह, राज रानी एक्सप्रेस सहित पश्चिम रेलवे जोन की ग्यारह रेलगाड़ियों को घाटे में बताया जा रहा है। यह भी खबर छपी है कि भोपाल-दमोह राज्य रानी एक्सप्रेस को साल भर में 45-65 लाख रूपये का तथा जबलपुर इंटरसिटी पर साल में 40-55 लाख रूपये का घाटा हो रहा है। एक तो यह आंकड़ा निकालने वाले यह भूल गये हैं कि वर्ष 2020 और 2021 कोरोनाकाल का समय था जिसमें सारे देश की रेलगाड़ियां बंद थी। जब गाड़ियां चली ही नही तो घाटा कहां से हुआ? राज्य रानी एक्सप्रेस में दमोह से भोपाल के बीच यात्रा करने वालों की संख्या उसकी क्षमता से कम से कम देढ़ गुना ज्यादा होती है फिर घाटा कहां से हुआ? दरअसल होता यह है कि जो 6 डिब्बे डी श्रेणी वाले बैठकी आरक्षित यात्रियों के होते हैं, उनका आम तौर पर यात्री आरक्षण नहीं करा पाते और वह सामान्य टिकिट लेकर इन डिब्बों में भर जाते हैं। नियम यह है कि इन यात्रियों से 15 रू. का बैठक शुल्क लिया जाता है। परन्तु पूरी रेल में केवल एक टी.टी. होता है। और वह पहले ए.सी. कोच की जांच करता है जिसमें उसे लगभग डेढ़ से दो घण्टे लग

जाते हैं। फिर वह उन सामान्य शुल्क वाले डिब्बों में जाता है और बमुश्किल 1-2 डिब्बों की जांच कर पाता है। या टिकिट बना पाता है उसे हर बैठने वाले यात्री की रसीद काटना होती है। इसमें काफी समय लगता है। परिणामस्वरूप 15-15 रू. वाली रसीदें नहीं कट पाती। हम लोगों ने कई बार जबलपुर रेल मण्डल के अधिकारियों को सुझाव दिया कि इन सामान्य बैठक वाले डिब्बों में 15-15 रूपये के कूपन टी.टी.ई. को उपलब्ध कराये जायें जो जल्दी दिये जा सकें। इसको लेकर हमारे बुन्देलखण्ड सर्वदलीय नागरिक संघर्ष मार्चो ने खुद धरने दिये ज्ञापन दिये और माँग की। अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया की एक सप्ताह में कूपन छपवाकर दे दिये जायेंगे परन्तु आज आठ साल में भी कूपन नहीं छप सके। मण्डल के अधिकारी रेल राजस्व की गणना केवल आरक्षित टिकिटों पर करते हैं। शाम 05:55 पर जब भोपाल-दमोह राजरानी एक्सप्रेस रवाना होती है तब लगभग 5-6 रेलगाड़ियां बीना की ओर जाती हैं और यात्री सामान्य टिकिट लेकर राज्य रानी में बैठते हैं उनकी गणना नहीं हो पाती। मालवा एक्सप्रेस, पातालकोट एक्सप्रेस, दक्षिण एक्सप्रेस, जैसी अनेकों रेलगाड़ियां हैं जो लगभग इसी समय चलती हैं। एम.एस.टी. वाले यात्री भी अमूमन इसी गाड़ी से घर वापस जाते हैं जिनकी संख्या प्रतिदिन सकड़ों में होती है, और वह किराया अग्रिम भुगतान कर चुके होते हैं, परन्तु इसका भी विवरण नहीं रहता।

रेल विभाग के आंकड़ें पूर्णत: गलत हैं। किसी भी एक दिन स्वत: जोनल महाप्रबंधक या मण्डल प्रबंधक बगैर घोषणा के इन गाड़ियों में आकर वस्तु स्थिति को देखें तो उन्हें पता लग जायेगा कि यह गाड़ियां घाटे में नहीं मुनाफे में चल रही हैं। मैंने स्वत: इन गाड़ियों में 20 से 25 तक रेल कर्मचारियों को ए.सी. चेयर कार में यात्रा करते देखा है जो अपनी ड्यूटी पर आते-जाते हैं आखिर वह भी तो रेल की आय ही है।

मैं भारत सरकार के इस जन विरोधी षड़यंत्र के प्रति आमजन को आगाह करना चाहता हूँ की ऐसे ही झूठे आंकड़े निकालकर पत्रकारों, वरिष्ठ जनों, महिलाओं की रियायतें समाप्त की गईं। बगैर बेडरोल दिये उसका शुल्क वसूला गया और झूठा प्रचार यह किया जाता है कि रेलयात्रियों की यात्रा में सरकार या रेल मंत्रालय को घाटा हो रहा है। यह याद रखना होगा कि रेल यात्री सब धर्म, सब जातियों के होते हैं और उनकी समस्या राष्ट्रीय समस्या है। तथ्य यह है कि भारत सरकार आम जनता की रेलगाड़ियों को बन्द करना चाहती है और उसके लिये यह नकली तथ्य व आंकड़े गढ़े जा रहे हैं।

Scanned with CamScanner

मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय का मंथन

प्रमोद भार्गव

जघन्यतम अपराधों के मामलों में देश में फांसी के जरिए मृत्युदंड प्रावधान है। लेकिन इस प्रावधान को समाप्त करने की मांग लंबे समय से उठती रही है। यहां तक कि देश को तोड़ने वाले आतंकवादियों की फांसी की सजा को रोकने के लिए भी कथित उदारवादी लोग आधी रात को अदालत की देहरी पर खड़े होने से नहीं सकुचाते। तर्क दिया जाता है मृत्यु के बाद अपराधी के सुधरने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इन कारणों के चलते अनेक देशों ने मृत्युदंड के कानून को खत्म कर दिया है। हालांकि भारत में अपराधी को सजा देने से पहले अदालतें अनेक पहलुओं पर गंभीरता से विचार करती हैं। मृत्युदंड की सजा मिल भी जाती है तो फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने के विधान हैं। इसलिए जब भी इस तरह के मामले उच्च और उच्चतम न्यायालयों में पहुंचते हैं, तब जीवन को समाप्त कर देने वाली इस सजा पर कमोवेश उदार रुख अपनाते हुए जघन्य अपराधों के कारणों की परिस्थितियों और मनोविज्ञान को तलाशा जाता है, जिससे फांसी के औचित्य का ठीक-ठीक ज्ञान हो सके। इसी जघन्य प्रकृति के एक मामले में मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे अपील के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। तीन जजों की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और विचार मंथन के लिए पांच जजों की पीठ के पास भेज दिया। इस सिलसिले में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि मृत्युदंड एक ऐसी सजा है, जिसके बाद दोषी की मौत हो जाती है। अतएव मृत्यु के बाद फैसले की सभी गुंजाइशे समाप्त हो जाते हैं।

भारत में मृत्युदंड लगातार बहस का मुद्दा बना रहा है। हालांकि षीर्श न्यायालय का फैसला जो भी हो,भारतीय दंड संहिता में जब तक मौत की सजा का प्रावधान है, तब तक जघन्य अपराधों में अदालत मौत की सजा देती रहेगी। इस सिलसिले में शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा था कि दया याचिका के फैसले में देरी होती है तो मौत की प्रतीक्षा कर रहे कैदी मानसिक रोगी हो सकते हैं। इस आधार पर मानसिक रूप से विक्षिप्त कैदी को फांसी की सजा देना

Scanned with CamScanner

उचित नहीं है। इस सजा को खत्म करने का अधिकार केवल संसद को है और संसद एकमत से हत्या की धारा 302, डकैती एवं हत्या की धारा 396 और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धारा 121 को विलोपित करने का विधेयक पारित करा ले,ऐसा निकट भविष्य में संभव नहीं जगता है। दरअसल जघन्य से जघन्यतम अपराधों में त्वरित न्याय की तो जरूरत है ही,दया याचिका पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की जरूरत भी है। शीर्ष न्यायलय ने यह तो कहा है कि दया याचिका पर तुरंत फैसला हो,लेकिन राष्ट्रपति के लिए क्या समय सीमा होनी चाहिए,यह सुनिश्चित नहीं किया। क्योंकि अकसर राष्ट्रपति दया याचिकाओं पर निर्णय को या तो टालते हैं,या फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देते हैं। हालांकि महामहिम प्रणब मुखर्जी इस दृश्टि से अपवाद रहे थे। उन्होंने ही अफजल गुरू जैसे देशद्रोही और अजमल कसाब जैसे विदेशी आतंकवादी की दया

देश की शीर्षस्थ अदालतें इस सिद्धांत को महत्व देती हैं कि अपराध की स्थिति किस मानसिक परिस्थिति में उत्पन्न हुई? अपराधी की समाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों व मजबूरियों का भी ख्याल रखा जाता है।

याचिकाएं खारिज करते हुए फांसी के फंदे पर लटकाने का रास्ता साफ किया था। जबकि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने या तो दया याचिकाएं टालीं या मौत की सजा को उम्र कैद में बदला। यहां तक कि उन्होंने महिला होने के बावजूद बलात्कार जैसे दुष्कर्म में फांसी पाए पांच आरोपीयों की सजा आजीवन कारावास में बदल दी थी। अतएव राष्ट्रपति और राज्यपालों तक पहुंचने वाली दया याचिकाओं का समय निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

हालांकि किसी भी देश के उदारवादी लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था आंख के बदले आंख या हाथ के बदले हाथ जैसी प्रतिषोघात्मक मानसिकता से नहीं चलाई जा सकती है, लेकिन जिन देषों में मृत्युदंड का प्रावधान है, वहां यह मुद्दा हमेशा ही विवादित रहता है कि आखिर मृत्युदंड सुनने का तार्किक आधार क्या हो ? इसीलिए भारतीय न्याय व्यवस्था में लचीला रुख अपनाते हुए गंभीर अपराधों में उम्र कैद एक नियम और मृत्युदंड अपवाद है। इसीलिए देश की शीर्षस्थ अदालतें इस सिद्धांत को महत्व देती हैं कि अपराध की स्थिति किस मानसिक परिस्थिति में उत्पन्न हुई ? अपराधी की समाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों व मजबूरियों का भी ख्याल रखा जाता है। क्योंकि एक सामान्य नागरिक सामाजिक संबंधों की जिम्मेदारियों से भी

Scanned with CamScanner

जुड़ा होता है। ऐसे में जब वह बहन, बेटी या पत्नि को बलात्कार जैसे दुष्कर्म का शिकार होते देखता है तो आवेश में आकर हत्या तक कर डालता है। भूख,गरीबी और कर्ज की असहाय पीड़ा भोग रहे व्यक्ति भी अपने परिजनों को इस जलालत की जिदंगी से मुक्ति का उपाय हत्या में तलाशने को विवश हो जाते हैं। जाहिर है, ऐसे मजबूरों को मौत की सजा के बजाय सुधार और पुनर्वास के अवसर मिलने चाहिए। क्योंकि जटिल ते जा रहे समय में दंड के प्रावधानों को तात्कालिक परिस्थिति और दोषी की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर भी आंकना जरूरी है। हालांकि ज्यादातर मुस्लिम देषों ने जघन्य अपराधों में अंग-भंग के साथ मृत्युदंड के प्रावधान हैं। ईशनिंदा के मामलों में नाबालिगों को भी आजीवन कारावास या मौत की सजा दे दी जाती है। पाकिस्तान में यही प्रावधान है।

भारत में न्याय को अपराध के विभिन्न धरातलों की कसौटियों पर कसना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि हमारे यहां पुलिस व्यक्ति की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक व आर्थिक हैसियत के हिसाब से भी दोषी ठहराने में भेद बरतती है। इसीलिए देश में सामाजिक आधार पर विश्लेषण करें तो उच्च वर्ग की तुलना में निचली जातियों से जुड़े लोगों को ज्यादा फांसी दी गई हैं। यही स्थिति अमेरिका है। वहां श्वेतों की अपेक्षा अश्वेतों को ज्यादा फांसी दी गई हैं। इस समय पश्चिमी एशियाई देशों में भी फांसी की सजा देने में तेजी आई हुई है। इनमें ईरान, इराक, सउदी अरब और यमन ऐसे देश हैं, जहां सबसे ज्यादा मृत्युदंड दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट जारी हुई है, इसके अनुसार भारत में 2020 में 78 लोगों को और

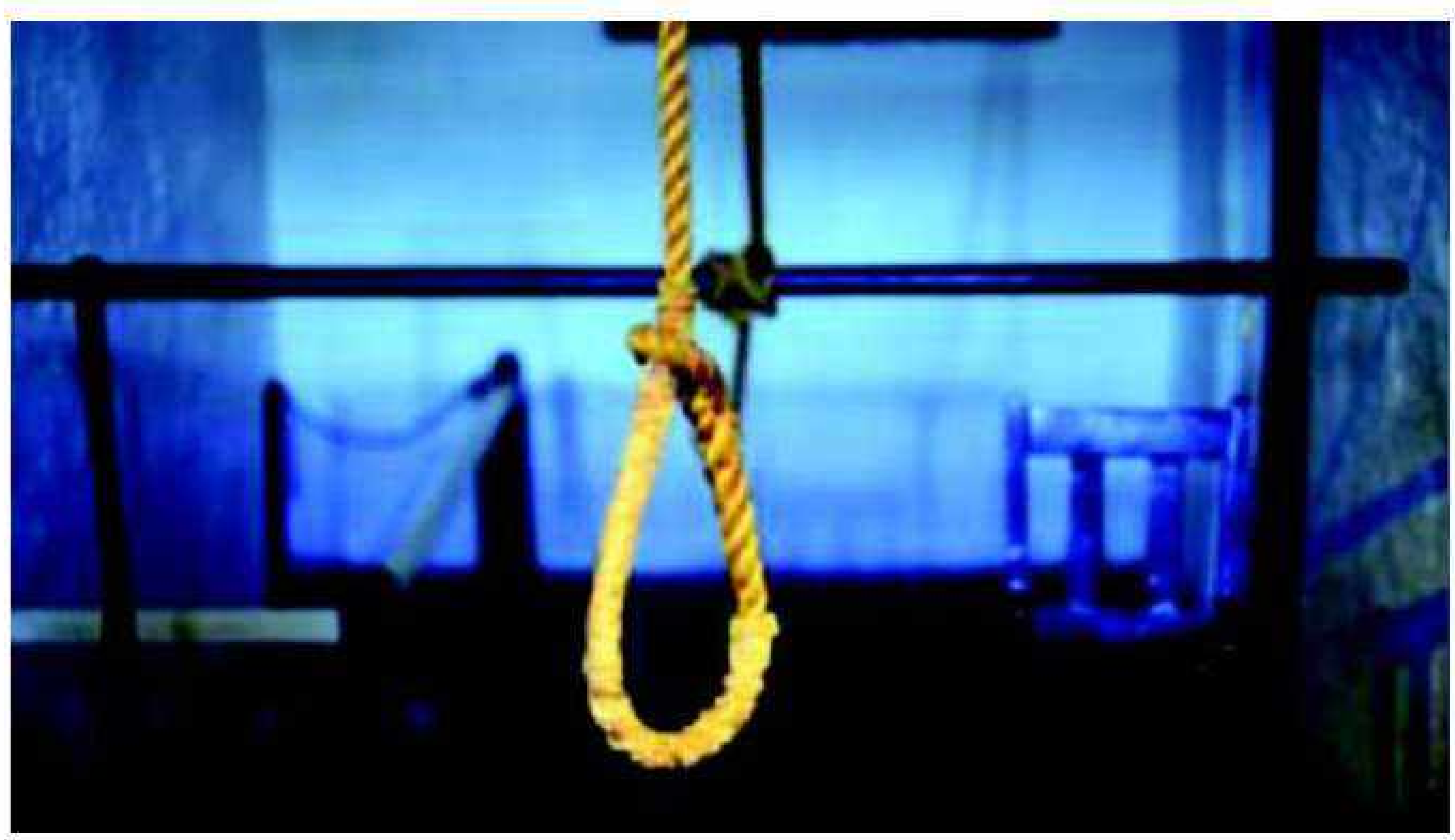

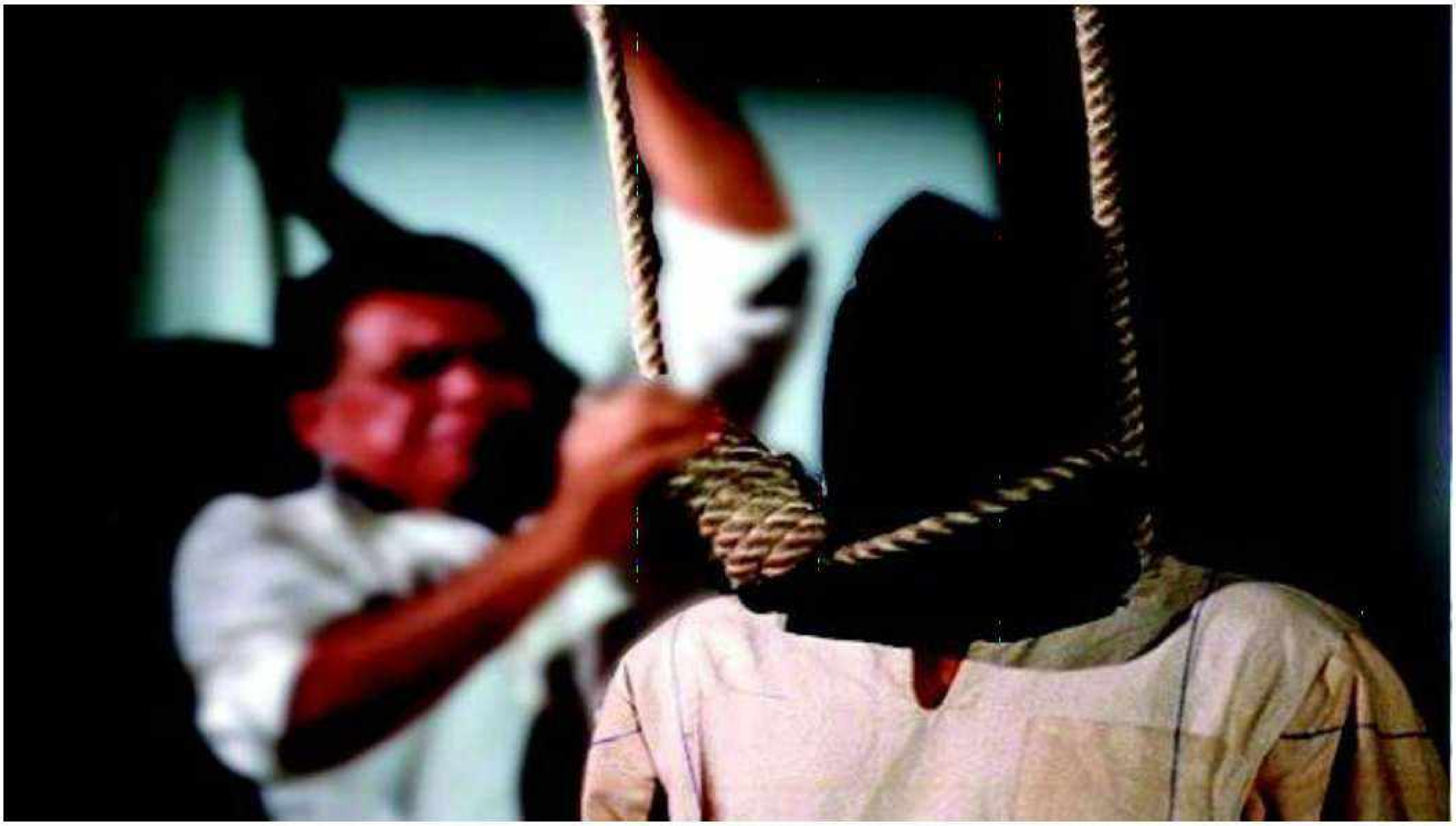

2021 में 144 लोगों को अदालतों ने सी सजाएं सुनाई हैं। दिसंबर 2021 तक भारत में 488 फांसी की सजा प्राप्त लोग जेलों में बंद हैं। इनमें से 76 प्रतिशत सजा-याफ्ता वंचित-गरीब और अशिक्षित वर्ग के हैं। कानून मंत्री किरण रिजूज ने सभी मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर फास्ट ट्रैक अदालतों में जल्द सुनवाई कर निर्णय देने का आग्रह किया है। चैंदहवें वित्त आयोग के अनुसार जघन्य अपराधों के लिए 1400 त्वरित न्यायालयों का गठन होना था, लेकिन अभी तक 896 अदालतें ही बन पाई हैं। इनमें सालाना 88 हजार मामले दर्ज हो रहे हैं और फैसला सिर्फ 35 हजार मामलों में हो पा रहा है। इस कारण जघन्य अपराधों से जुड़े अदालतों में 13 लाख मामले लंबित हैं। इसी तरीके से दुश्कर्म और पॉक्सो मामलों में एफटीएससी अदालतों का गठन किया गया है, जिनमें 3.28 लाख मामले लंबित है। त्वरित न्यायालयों में जल्दी में न्याय देने की मानसिकता के चलते गरीब और वंचितों को न्याय देने में पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। बिहार के एक जज ने हाल ही में बच्चे के दुष्कर्म से जुड़े मामले में चार दिन के भीतर ही आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। इन्हीं जज ने पॉक्सो के एक अन्य मामले में एक दिन के भीतर ही सुनवाई पूरी करके अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। तीजतन अब उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड रहा है। इन सजाओं पर भी उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

दया याचिका पर सुनवाई के लिए यह मांग हमारे यहां उठ रही है कि इसकी सुनवाई का अधिकार अकेले राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में न हो? इस बाबत एक बहुसदस्दीय जूरी का गठन हो। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, उप राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और कुछ अन्य विषेशाधिकार संपन्न लोग षमिल हों? यदि इस जूरी भी सहमति न बने तो इसे दोबारा शीर्ष अदालत के पास प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज देना चाहिए। इससे गलती की गुंजाइस न्यूनतम हो सकती है? इसके उलट एक विचार यह भी है कि राश्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का प्रावधान खत्म करके सप्रीम्र कोर्ट के फैसले को ही अंतिम फैसला माना जाए? यह विचार ज्यादा तार्किक है। क्योंकि न्यायालय अपराध की प्रकृति और अपराधी प्रवृति के विश्लेषण के तर्को से सीधे रूबरू होती है। फरियादी का पक्ष भी अदालत के समक्ष रखा जाता है। जबकि राष्ट्रपति के पास दया याचिका पर विचार का एकांगी पहलू होता है?जाहिर है न्यायालय के पास अपराध और उससे जुड़े दंड को देखने के कहीं ज्यादा साक्ष्यजन्य पहलू होते हैं। लिहाजा तर्कसंगत उदारता अदालत ठीक से बरत सकती है?

Scanned with CamScanner

अमीरों को छूट गरीबों की लूट

रघु ठाकुर

मीडिया में, इस आशय की खबरें आई है कि देश की अर्थव्यवस्था इस वर्ष लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करेगी। वैसे तो सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि 2030 तक देश की आर्थिक विकास की दर 25 प्रतिशत तक पहुँच जायेगी। परन्तु इस सरकार की अवधि अभी 2024 तक है और इसलिये उसके बाद की संभावनाओं के बारे में आंकलन औचित्यपूर्ण नही है। महत्वपूर्ण बात यह है की, जिसकी चर्चा जरुरी भी है कि देश में विकास की दर में वृद्धि 7 प्रतिशत से कुछ अधिक है, तथा आत्म हत्याओं की वृद्धि की दर भी कुल मौतों की लगभग 7 प्रतिशत है। आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। पिछले एक वर्ष में लगभग 1 लाख से अधिक आत्महत्यायें इस देश में हुई हैं, जिनमें लगभग 6 हजार छात्र है, 25 हजार के करीब बेरोजगार है, किसान है और गरीब लोग है। तब यह क्या वजह है कि देश के इतने विकास के बावजूद भी छात्र बेरोजगार, किसान, गरीब आत्महत्यायें करने को लाचार है। इस तथ्य को इस खबर के साथ समझना होगा कि अडानी दुनिया के अमीरो की सूची मे तीसरे नं. के अमीर बन गये हैं। अम्बानी भी दुनिया के अमीर लोगो की सूची में है यद्यपि पिछले वर्ष की उनकी सम्पत्तिा में कुछ कमी होने की वजह से वे अडानी से पिछड़ गये। देश के अन्य उद्योगपतियों ने भी पिछले वर्षो में भारी मुनाफा कमाया है।

Scanned with CamScanner

दूसरी ओर गरीबों की औसत आय में वृद्धि तो दूर कुछ कमी ही आई है। जब राज्यवार देश में प्रति व्यक्ति औसत आय का आँकड़ा निकाला जाता है तो उसमें देश की राजधानी दिल्ली एक लाख प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसत आय का आंकड़ा आता हैं जबकि उसी दिल्ली में कई लाख साईकिल रिक्शा चलाने वाले लोग है जो किसी ढाबे पर रोटी दाल खाकर तथा बैठकर कुछ समय के लिये चलने वाले टी.वी. को देखकर अपने दु:ख भूल जाते है और बाद में कुछ पीकर या वगैर पीकर रात में अपने साईकिल रिक्शा पर ही बन्दर की भांति सो जाते है। ऐसी स्थिति अकेले इन रिक्शे वालों की नही है बल्कि दिल्ली के लगभग 30 से 40 लाख लोग इनमें सुरक्षा प्रहरी, माल बेचने वाले हाकर, हज्जाम हाथ से

आय का आँकड़ा एक बड़ा छल होता है। जहाँ एक तरफ एक उद्योगपति 20-30 करोड़ रु. रोज कमा लेता है वही दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में गरीबी में जीने वाला मात्र 300 से 500 रुपये रोज तक कमा पाता है। परन्तु औसत आय के आँकड़े में 30 करोड रोड़ कमाने वाला और 300 रु. रोज कमाने वाला एक दूसरे के समान हो जाते है। औसत आंकड़े विषमता को छिपाने के सबसे बढिया माध्यम है।

कपड़े धोने वाले धोबी, मोची व ऐसे ही अन्य शामिल हैं की आय से 15 हज़ार रूपया प्रतिमाह है। औसत आय का आँकड़ा एक बड़ा छल होता है। जहाँ एक तरफ एक उद्योगपति 20-30 करोड़ रु. रोज कमा लेता है वही दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में गरीबी में जीने वाला मात्र 300 से 500 रुपये रोज तक कमा पाता है। परन्तु औसत आय के आँकड़े में 30 करोड रोड़ कमाने वाला और 300 रु. रोज कमाने वाला एक दूसरे के समान हो जाते है। औसत आंकड़े विषमता को छिपाने के सबसे बढिया माध्यम है।

फिर यह भी ध्यान में रखना होगा कि दिल्ली केन्द्र की राजधानी है जहाँ कई लाख केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्ता पेंशनधारी है, कई लाख वर्तमान में काम

Scanned with CamScanner

करने वाले सरकारी कर्मचारी है, लाखो निजी क्षेत्र में बड़े-बड़े पैकेज पर काम करने वाले कर्मचारी है। इसलिये वहाँ का औसत आय का आंकडा अन्य राज्यों की तुलना में बड़ा नजर आता है। अगर इसका संबंध केन्द्र या राज्य के विकास के साथ होता है तो इसका उत्तार केन्द्र राज्य की सरकार से पूँछा जाना चाहिये कि आप अनाज या खाद्यान्न कई लाख लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त में क्यों बांटते है? या दिल्ली की सरकार 300 यूनिट बिजली व पानी फ्री क्यों देती है? ये लोग खुद खरीद कर क्यों नही खा सकते? अपना घर क्यों नहीं जगमगा सकते तथा अपने आय के साधनों से नल का बिल चुकाकर पानी क्यों नहीं पी सकते?

दरअसल देश के, विकास में बनाये जाने वाले ढांचे में भी त्रुटियां हैं। देश में साधनों और सम्पत्ति का बंटवारा समान क्यों नही होता? अगर यह हो जाये तो सही अर्थो में सबका साथ सबका विकास कहा जा सकता है। परन्तु सबका विकास तब तक अर्थहीन नारा है जब तक कि वह सबका समान विकास के नारे में तब्दील नहीं होता।

भारत सरकार ने अभी कुछ दिनो पहले खाद्य सामग्री और यहाँ तक की आटे पर भी जी.एस.टी. लगा दिया है। यह समझना होगा कि गरीब जो श्रम करता है अतः उसके पेट की भूख ज्यादा होती है और अमीर को तो एक दो रोटियां पचाने के लिये दवा लेना पड़ती है। मान ले दिल्ली में कर्मचारी, पेंशनधारी आदि सब मिलाकर 15-20 लाख लोग ऐसे है जो उच्च मध्यम वर्ग में आते हैं। वे एक माह में 2 करोड़ कि.ग्रा. आटा या अनाज खाते हैं। जिसका बाजार मूल्य लगभग 60 करोड़ रूपया के आसपास होता हो और दिल्ली का यह अमीर तबका 5 प्रतिशत जी.एस.टी. देगा। और अगर थोड़ी देर के लिये यह भी मान ले गरीब व श्रमिक की की भूख ज्यादा न हो तथा उतना ही अनाज

Scanned with CamScanner

दिल्ली के गरीब अति गरीब मध्यम वर्ग के लोग खाते हो तो एक माह में 1 हज़ार करोड़ किलो खाद्य यानि न्यूनतम 30 हजार करोड़ की कीमत का खाद्य खायेंगें और उस पर भी 5 प्रतिशत जी.एस.टी. देने का मतलब है कि गरीबों से 1500 करोड़ रूपये की जी.एस.टी. की आय भारत सरकार को होगी जिसका एक हिस्सा राज्य को भी जायेगा। यह कटु सत्य है कि देश का गरीब खाद्यान्न ज्यादा टैक्स देगा । तथा अमीर जो ज्यादा आय कमाता है वह कम टैक्स देगा इतना ही नही यहाँ एक तरफ भारत सरकार ने आटे पर जी.एस.टी. लगाई वहीं दूसरी तरफ उसी समय कारपोरेट की जी.एस.टी. में 5 प्रतिशत की कमी कर दी गई। यानि अमीर को छूट गरीब की लूट। यह है देश की सरकारों का असल चेहरा और यही

Scanned with CamScanner

कारण है कि देश के छात्र, बेरोजगार, गरीब और छोटे किसान आत्महत्यायें करते है। भारत सरकार के प्रचारकर्ता यह भी बहुत प्रचार करते हैं कि देश का विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है। परंतु यह तथ्य छिपा लेते हैं कि देश पर विदेशी कर्ज कितना बढ़ा है। वर्ष 2021-22 में भारत का विदेश व्यापार का घाटा यानि हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का अन्तर लगभग 2 लाख करोड़ रूपये का रहा है। एक्सपोर्ट (निर्यात) कम है इंपोर्ट (आयात) ज्यादा है। आज भारत पर लगभग 6.5 लाख करोड़ रूपये का विदेशी कर्ज है। यही मेड इन इंडिया जैसे नारों की भी असलियत है।

मैं जानता हूँ कि कोई भी सरकार हो, सभी बेरोजगारो को सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती। परन्तु कम से कम इतना तो सरकार कर सकती है कि जब तक हर बेरोजगार को नौकरी या कोर्ट अन्य काम न मिल जायें तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे। अगर सरकार, सांसदों, विधायकों को पेशन दे सकती है, कर्मचारियों को बुढ़ापे के सहारे के लिये फण्ड या ग्रेज्युटी की एकमुश्त राशि दे सकती तो क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकती।

आये दिन भारत सरकार के समर्थक लोग अमेरिका और यूरोप से देश की तुलना करते हैं। कभी-कभी ऐसे भी समाचार छपते हैं या छपवाये जाते हैं कि देश ने इतनी तरक्की की है कि वह यूरोप से आगे निकल गया है और कुछ सालों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। परन्तु अमेरिका या यूरोप के अन्य कई देशों मे सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ताा देती है।

अगर देश के कारपोरेट कर में सरकार 5 प्रतिशत की कमी कर उन्हें कई लाख करोड़ का फायदा पहुँचा सकती है उन पर 3 प्रतिशत जी.एस.टी. टैक्स बढ़ाकर सरकार को आसानी से 1 लाख करोड़ रू. मिल सकता है तो और मात्र इतने से ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था हो सकती है। तथा बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। पढ़ा हो या गैर पढ़ा हो सभी बेरोजगारों को 5 हज़ार रूपये प्रति महीने का भत्ता दिया जा सकता हैं। सवाल पैसे का नहीं है सवाल है नीतियों का, मन के संकल्प का।

Scanned with CamScanner

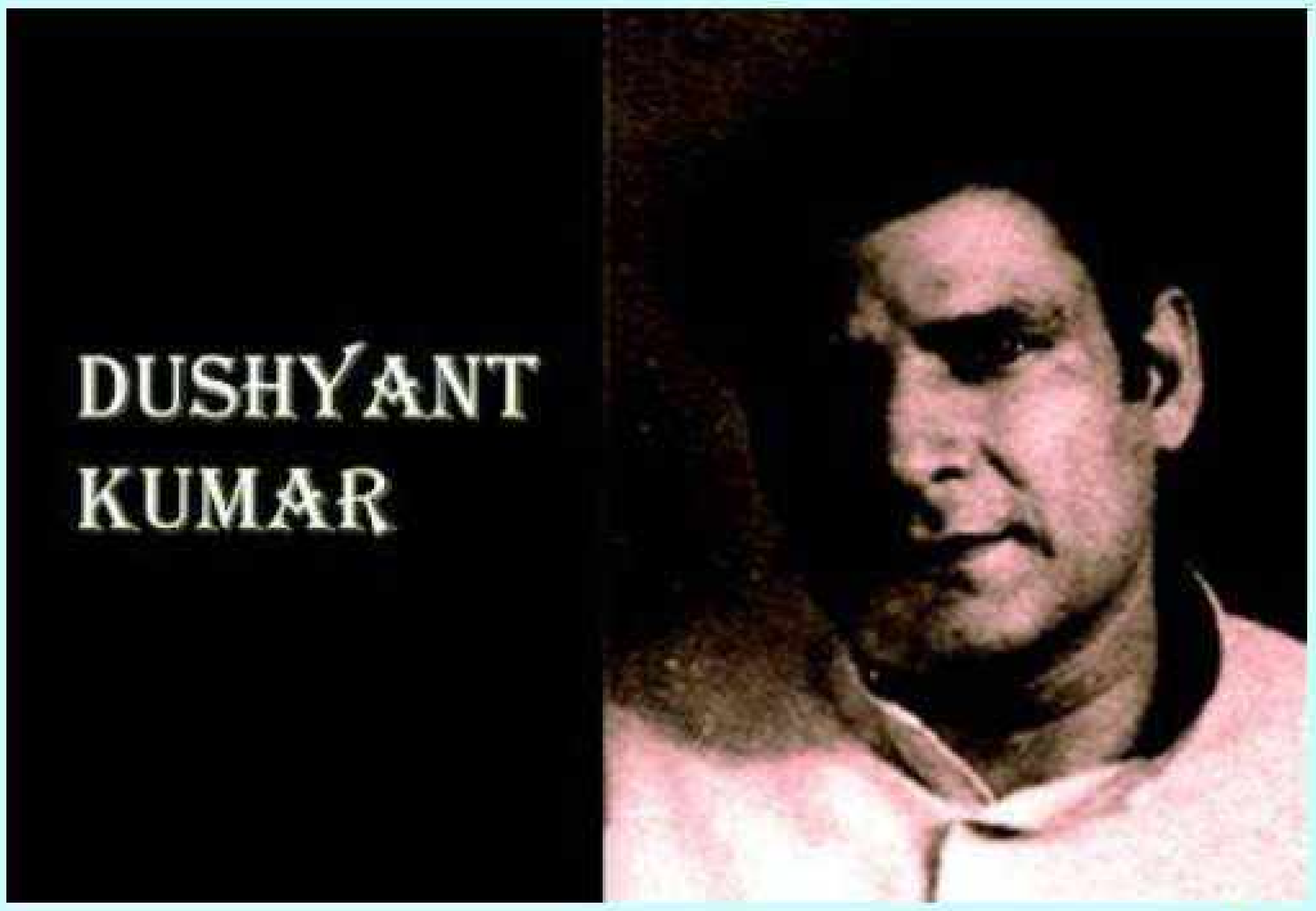

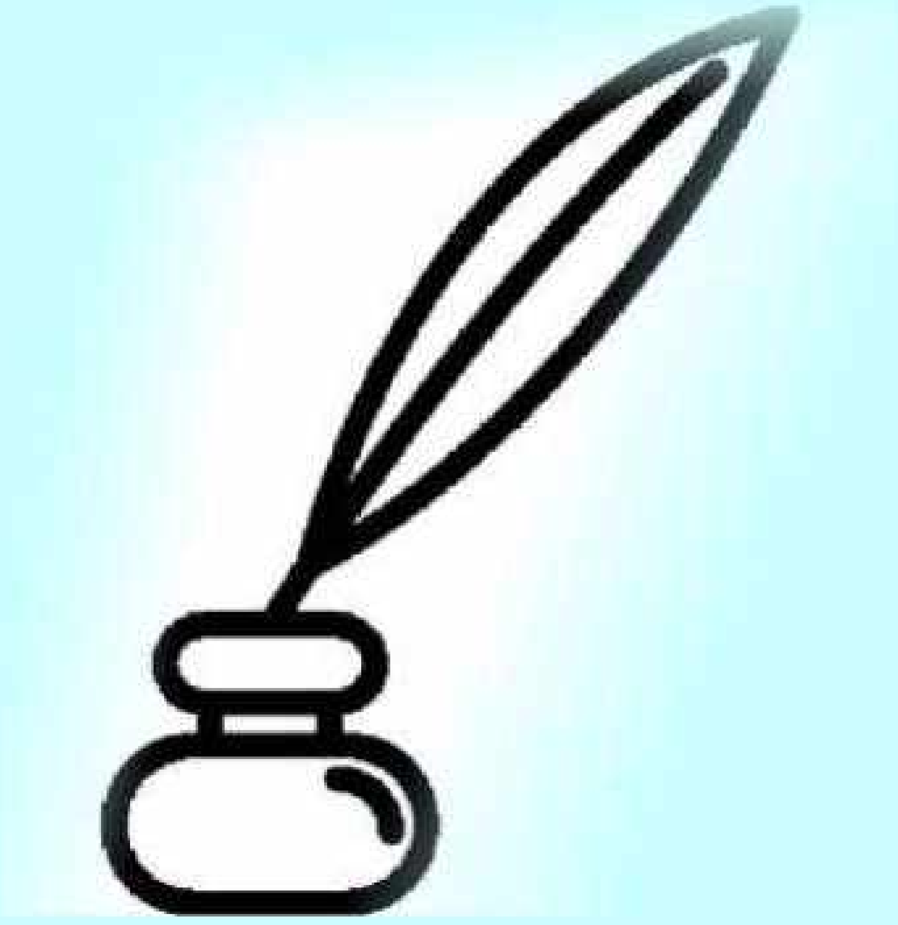

मत कहो आकाश में कोहरा घना है

मत कहो आकाश में कोहरा घना है
यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है

सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह का
क्या कारोगे सूर्य का क्या देखना है

हो गयी हर घाट पर पूरी व्यवस्था
शौक से डूबे जिसे भी डूबना है

दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है
आजकल नेपथ्य में सम्भावना है

कैसे मंज़र सामने आने लगे हैं

कैसे मंज़र सामने आने लगे हैं
गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं

अब तो इस तालाब का पानी बदल दो
ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं

वो सलीबों के क़रीब आए तो हम को
क़ायदे क़ानून समझाने लगे हैं

एक क़ब्रिस्तान में घर मिल रहा है
जिस में तहख़ानों से तहख़ाने लगे हैं

मछलियों में खलबली है अब सफ़ीने
इस तरफ़ जाने से कतराने लगे हैं

मौलवी से डाँट खा कर अहल-ए-मकतब
फिर उसी आयात को दोहराने लगे हैं

अब नई तहज़ीब के पेश-ए-नज़र हम
आदमी को भून कर खाने लगे हैं

Scanned with CamScanner

The potential of Indian toy industry

The global size of the toy industry is estimated to be USD 90 billion in which contribution of Indian toy industry is only USD 0.5 billion. Indian toy industry caters to only 25% of the total estimated domestic demand of USD 2 billion and rest of the demand is met from imports that too primarily from China. The global toy market is dominated by China meeting more than 50% of the total demand. India's share is not even 0.1% in the export market of toys. With 'Vocal for Local' push gaining momentum, the government has the opportunity to take purposeful initiatives as per the demands of the domestic toy manufacturers' inabid to rejoin the entire toy industry.

AS PER 2011 census, in India, total population under the age of 6 years is 158.8 million which constitute more than 13% of total population and population in the age group of 20-44 years is 373.77 million which is the likely buyer of toys for the children, owing to which, the Indian toy industry has witnessed a rapid growth in the past few years.

During 2011- 2018, the Indian toy industry was valued at US$ 1.5 Billion in 2018, registering a CAGR of 15.9% in the said period.

The Indian toy industry can be segregated into organised and unorganised markets. The organ-ised market is worth Rs 4,500crore out of which approximately fifty-fifty ratio of imported and domestic toys whilerest of the demand is met by unorganised market. The flourishing unorganised market

Scanned with CamScanner

controls the lion's share of the industry, of which 90% are imported from China. The domestic toy industryis primarily limited to the unorganised market comprising around 4,000 SMEs.

Knowing the Indian mindset with clarity, China knows that Indian purchase decisions are heavily influenced by the price factor of a product. The Chinese manufacturers thus leverage this ideology coupled with their capability developed over the years to produce products at much lower prices by automation of processes, supply cheaper products which do not comply with quality or safety norms/standards of India.

Some reports also suggested that the health of kids might be at risk from 'Made in China' toys that have flooded the local markets, asarecent study found the presence of "hazardous heavy metals and other lethal materials used in their manufacturing." The study, conducted by the Quality Council of India (QCI), found that "the majority of China-made toys have failed India's safety standards and are harmful to kids' health." Further, the study revealed that "nearly 67 per cent of all Chinese toys failed the safety standard tests as contained in the DGFT notification and the IS standards by Bureau of Indian Standards (BIS)." The study also claimed that "a whopping 67 per cent of toys imported from China failed to satisfy India's quality standards." The government took these developments very seriously and initiated several

re- forms to strengthen the sector and protect the local manufacturers. In February 2020, the import duty on toys was increased from 20 to 60 percent leading to price hikes and making the imported toys costlier. The new import duty may be 60%, but critics point out that with APTA—the 43% discount enjoyed between members of the Asia-Pacific Trade Agreement (India, China, Korea, Lao People's Democratic Republic, and Sri Lanka) — the actual tax levied on a huge segment of imported toys will be lesser. But an industry expert disagrees, saying "We've always had the APTA benefit. But where we paid around 11% tax earlier after the discount], now it will be 34.2%. So, if you calculate, it is still more than a 200% hike, which will increase inflation." Moreover, if imported toys do not conform with the BIS standards, they're to be destroyed leading to huge losses for importers. Talking about infrastructural support pertaining to setting up a domestic toy manufacturing unit, it is clear that India lags far behind China when it comes to encouraging toy manufacturers in the country. Indian toy industry is standing today where Chinese toys industry was in early 90s and by leveraging its strength of cheap labour it captured the global market. Today, labour is no more cheaper in China and it has upgraded its production from labour intensive

Scanned with CamScanner

to technology intensive and has heavily in-vested on automation of processes. It is also moving away from lower contribution to higher contribution segments.

Due to which many toy manufacturers in China are closing their shops. If right steps are taken at this point of time, Indian toy industry can reach within a short span of time where China has reached during the last 25-30 years.

Indicating towards the lack of facilities and support, the same report stated "Merely 12 percent of MSME Toys Manufacturers have their own full-fledged in-house design studio and team of trained designers for product conceptualisation, prototype development and R&D on design with proper setup of software, say those connected with the trade." If this was the situation in and around 2017, think how many domestic toy manufacturers must be out of business by now? The Indian toy industry has all the capabilities as far as skill and cost of labour matters. However, due to being heavily dependent for moulds, mechanical & electronic components, parts and automation tools on China, not many units are in a position to grow as the cost of imports be-come very heavy in view of the size of their units. The cost of raw material is almost identical irrespective of place/country of production. To support the toy manufacturers, the government should hold discussions with the industry to understand what are the bottlenecks faced by it to grow in size and scale up its operations to produce quality products at competitive prices. To promote exports of India-made toys, the government should provide more export incentives i.e., higher rate of duty draw back. Working sheds could be provided by the Indian government to the industry in proper industrial areas on rent at concessional rates. For the smooth functioning of the

manufacturing units, the government needs to provide adequate connectivity and uninterrupted power supply. The government along with the Toys Industry Associations need to create greater aware- ness among their members in availing benefits under Ministry of MSME Promotional & Developmental schemes for MSMEs like CLCSS, Design clinic scheme,

cluster development scheme, ISO certification scheme, Participation in fairs/exhibitions etc. In cluster development scheme, there is an efficient supply chain mechanism for raw materials, parts and better cost economics for suppliers as well as toy man- ufacturers. Even the unorganised toy manufacturing enterprises should also shift to these clusters. Further, finance is a major hur- dle for MSME toy manufacturers to grow, expand, modernise as it is quite expensive at the rate of 11-12% pa in India vis-à-vis about 3-4% pa in China. The current requirement is to extend loans to Indian toy manufacturers on softer terms like China. In order to encourage the units to conform to the BIS Standards, as issued

Centy Toys

TOYS,A child's first companion in the natural process of cognitive development, character of his imaginative stories and sometimes a collectible for lifetime. They are the first source of their social connect with the society and culture, they evolve around.As a toy maker, it is really important to understand, design and develop toys which are in sync with the socio-cultural need of a so-ciety or country. Established in 1990, Centy Toys isahome-grown toy company that has alwaysthrived on making Indian automobile miniature models, enticing Indian kids and modelcollectors.They have an exclusive range of Pull back toy cars, trucks, bikes, aeroplanes and battery operated toy trains. Designed and developed in India, these toys are produced with utmost focus on product detailing, quality and child safety. Today these made in India toys are exported

to countries like Australia, US and middle east. So, if you have made up your mind for buying only Indian toys then give it a try and buy Centy toys from any popular online store or reputed retail chain stores.

Scanned with CamScanner

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

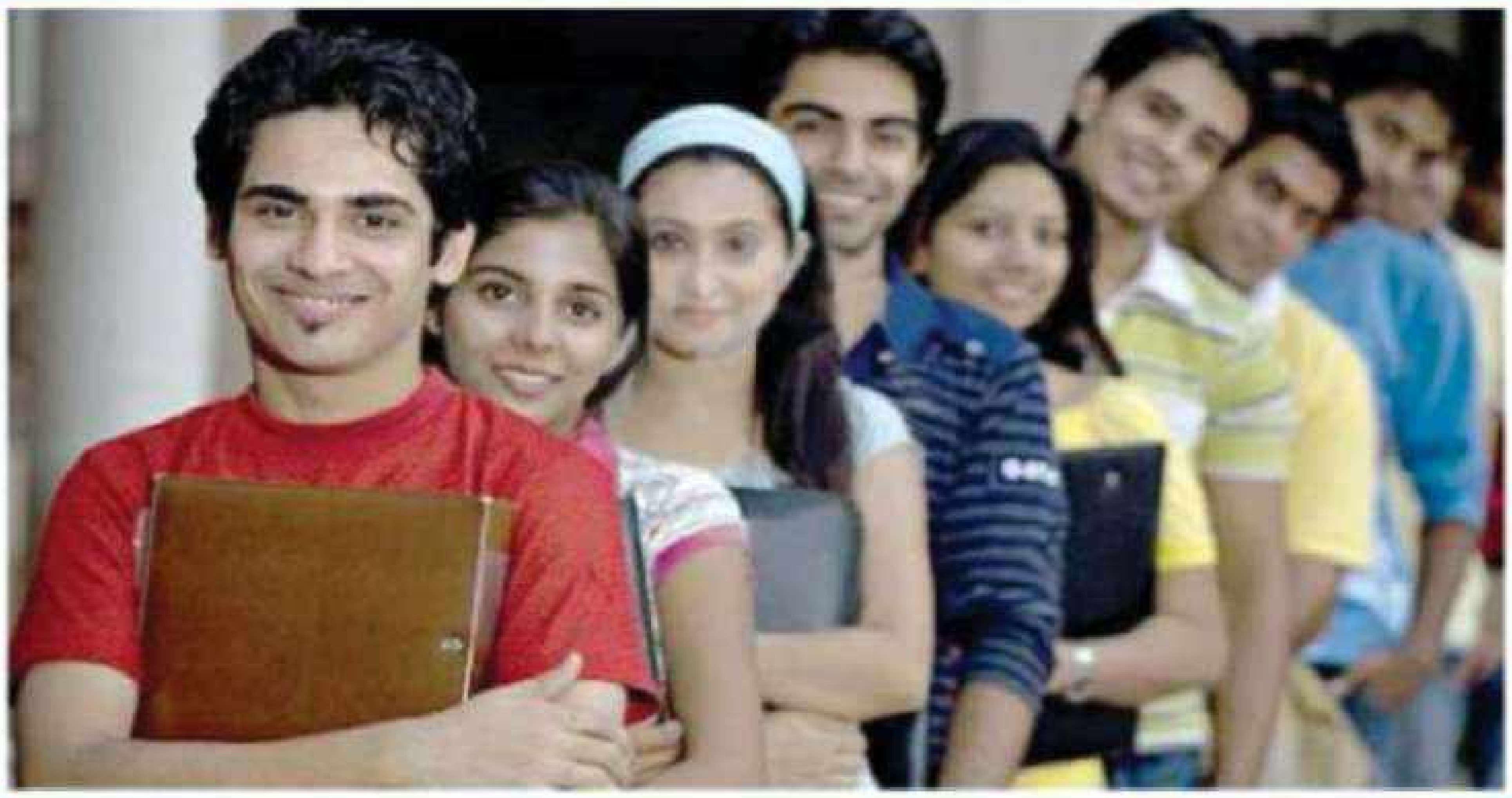

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

Scanned with CamScanner

SAWARNA COSMETICS

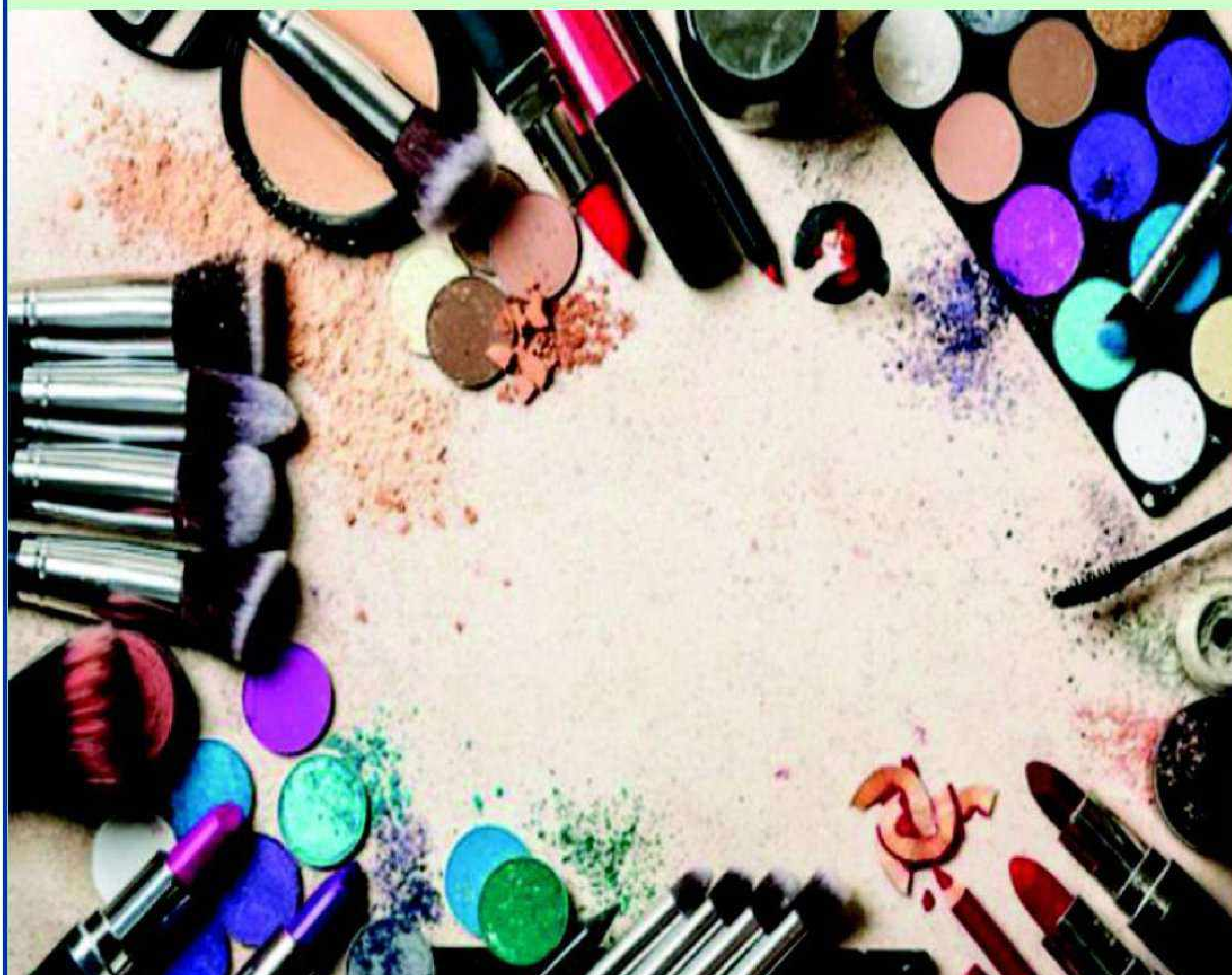

SHOP NO. 101/152, NEW MARKET, BHOPAL, M.P. 462016

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner